UGC Care Listed Journal

ISSN:2321-0443

# ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक 73-74

जनवरी-मार्च एवं अप्रैल-जून,2022

सत्यमेव जयते

ज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

UGC Care Listed Journal ISSN:2321-0443

# ज्ञान गरिमा सिंधु

**(त्रैमासिक पत्रिका)**

**अंक 73-74**

जनवरी-मार्च एवं अप्रैल-जून,**2022**

**वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग**

**शिक्षा मंत्रालय**

**(उच्चतर शिक्षा विभाग)**

**भारत सरकार**

**2022**

**COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY**

**MINISTRY OF EDUCATION**

**(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

ज्ञान गरिमा सिंधु 'मानविकी और सामाजिक विज्ञान' की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य है- हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान-संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली-चर्चा, पुस्तक-समीक्षा आदि का समावेश होता है।

**लेखकों के लिए निर्देश-**

1. लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
2. लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
3. लेख सरल हो जिसे विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
4. लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो। कृपया टाइप किया हुआ लेख भेजें जिसके दोनों तरफ हाशिया भी छोड़ें।
5. प्रकाशन हेतु भेजे गए लेख के साथ उसका सार भी हिंदी में अवश्य भेजें। लेख में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त तकनीकी/वैज्ञानिक हिंदी शब्द का मूल अंग्रेजी पर्याय भी आवश्यकतानुसार कोष्ठक में दें।
6. श्वेत-श्याम या रंगीन फोटोग्राफ स्वीकार्य हैं।
7. लेख के प्रकाशन के संबंध में संपादक का निर्णय ही अंतिम होगा।
8. लेखों की स्वीकृति के संबंध में पत्र-व्यवहार का कोई प्रावधान नहीं है। अस्वीकृत लेख वापस नहीं भेजे जाएँगे। अतः लेखक कृपया टिकट-लगा लिफाफा साथ न भेजें।
9. कृपया लेख की दो प्रतियां निम्न पते पर भेजें:
   संपादक, ज्ञान गरिमा सिंधु
   वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
   पश्चिमी खंड - 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066
10. समीक्षा हेतु कृपया पुस्तक / पत्रिका की दो प्रतियां भेजें।

| **पत्रिका का शुल्क :** | **भारतीय मुद्रा** | **विदेशी मुद्रा** |
|---|---|---|
| **सामान्य ग्राहकों / संस्थाओं के लिए प्रति अंक** | Rs 14.00 | पौंड 1.64 डॉलर 4.84 |
| वार्षिक चंदा | Rs 50.00 | पौंड 5.83 डॉलर 18.00 |
| **विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक** | Rs 8.00 | पौंड 0.93 डॉलर 10.80 |
| वार्षिक चंदा | Rs 30.00 | पौंड 3.50 डॉलर 2.88 |

**वेबसाइट :**
www.cstt.education.gov.in
**कॉपीराइट : ©2022**
**प्रकाशक :**
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार, पश्चिमी खंड -7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066

**बिक्री हेतु पत्र-व्यवहार का पता :**
प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली
आयोग, पश्चिमी खंड -7,
रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीफोन - (011) 20867172
फैक्स - (011) 26105211/246

**बिक्री स्थान :**
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक मंडल की इनसे सहमति आवश्यक नहीं है।

# अध्यक्ष की कलम से

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का संयुक्तांक (73 एवं 74 वां) आपके कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। यह आयोग विगत छह दशकों से भारत सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहा है।

विज्ञान एवं तकनीकी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विज्ञान की नई- नई संकल्पनाओं, नवीन तकनीकों और नयी- नयी मशीनों और उनके नए- नए कल पुर्जों के शोधकर्ताओं और आविष्कारों के अनुसार स्थिर नामों को भारतीय जनमानस को उनकी भाषा में सुलभ कराने का गुरुतर दायित्व आयोग द्वारा निर्वाह किया जा रहा है |इनमें से कुछ शब्द समान होते हुए भी अपनी भिन्न प्रकृति के कारण भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । ऐसी स्थिति में उनके समानार्थी/ पर्याय गढ़ने/ ढूँढने में अधिक श्रम तो करना ही पड़ता है साथ में उनके मूल के निकट होने, अर्थान्तर न होने के साथ- साथ पर्यायों में एकरूपता का भी ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है।

आयोग की शब्द- पर्याय गढ़ने की नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित है, फिर भी व्यवहार्यता और एकरूपता के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से विषद चर्चाएं कराकर उनके निष्कर्ष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसी रूप में आयोग द्वारा अलग- अलग विषयों पर पाठमालाएं, पाठ- संग्रह, शब्दावलियां, पारिभाषिक शब्दकोशों का प्रकाशन किया जाता है।

ज्ञान गरिमा का प्रकाशन इसी दिशा में एक व्यावहारिक प्रयास है। हमारे प्रयासों की सफलता, आपके पत्रों से प्रतिलक्षित होती है।

(प्रो. गिरीश नाथ झा )
अध्यक्ष

# संपादकीय

भारतीय स्वंतत्रता के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का संयुक्तांक (73-74) सुधी पाठकों को समर्पित करते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है।

पत्रिका के इस संयुक्तांक में शिक्षा के विविध आयामों पर सैद्धांतिक, समालोचनात्मक एवं शोध परक निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में नगर एवं ग्राम पंचायतों पर सामग्री है।शांति एवं मानवाधिकारों का भी विवेचन किया गया है। निरंतर गतिमान सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है तथा भारत की राजभाषा के संबंध में सिंहावलोकन करते हुए उसकी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जन-जीवन के महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए घटती बचत दर और वित्तीय साक्षरता को रेखांकित किया गया है। हमारे जीवन में अर्थ एवं वित्त के महत्व को देखते हुए वित्तीय साक्षरता ही नहीं बल्कि तत्संबंधी अद्यतन ज्ञान विश्लेषण तथा उनका उपयोग करते हुए निवेश/ व्यय एवं बचत करते रहने की क्षमता की दरकार है। अत: इस विषय का लेख पाठकों को इस दिशा में अवश्य प्रेरित करेगा।

देश और समाज के नाना प्रकार के कार्य- व्यवहारों के विनियमन में विधि- व्यवस्था एक अनिवार्य स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका ये तीनों अंग पारस्परिक कार्य विभाजन के आधार पर अपने कार्य/ विषय में स्वतंत्र (independent) भूमिका का निर्वहन करते हैं। न्याय- व्यवस्था के सूत्र से संपूर्ण समाज एक तरह से बंधा सा है। इस संयुक्तांक में न्यायालयों के निर्णय लेखन- कला के विभिन्न पहलुओँ पर प्रकाश डाला गया है। विद्वान लेखक ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सार प्रस्तुत किया है जिससे लेख की प्रामाणिकता बढ़ गई है। स्वदेशी कलम उद्योग पर रोचक तथा ज्ञान वर्धक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

पत्रिका में उत्तम सामग्री प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है कि हमारे सुधी पाठक इसे पसंद करेंगे।

(डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल)
सहायक निदेशक

# परामर्श एवं संपादन मंडल

**प्रधान संपादक**
**प्रोफेसर गिरीश नाथ झा**
**अध्यक्ष**

**संपादक**
**डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल, सहायक निदेशक**

**सहायक संपादक**
**श्रीमती चकप्रम बिनोदिनी देवी ,स.वैज्ञानिक अधिकारी**

## संपादन समिति

**डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी**
पूर्व प्रबंधक
(राजभाषा) वित्त मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

**श्री. के. के. सिंह**
पूर्व उपनिदेशक (भाषा)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
नई दिल्ली

# अनुक्रमणिका


| क्र. सं. | आलेख शीर्षक | लेखक | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | पढ़ने के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयाम | डॉ. पतंजलि मिश्र | 1 |
| 2 | स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार | डॉ.अमित कुमार | 13 |
| 3 | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक विचारधारा और उसकी उपादेयता | डॉ. आकांक्षा तिवारी | 20 |
| 4 | भारत में स्वदेशी कलम उद्योग के संस्थापक डॉ. राधिकानाथ सहा | श्री जगनारायण | 27 |
| 5 | डॉ. कलाम के विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी विचारों की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता | संध्या यादव<br>एवं<br>डॉ. अमित कुमार | 30 |
| 6 | रचनात्मकतावाद शिक्षण - वर्तमान समय की आवश्यकता | डॉ.मीना भंडारी<br>एवं डॉ. निशि त्यागी | 36 |
| 7 | संस्कृत शिक्षण में नवाचार का प्रयोग : एक समालोचनात्मक अध्ययन | डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार | 42 |
| 8 | नोएडा शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का अध्ययन | डॉ.अंशु माथुर | 48 |
| 9 | छात्रों के शैक्षिक विकास के संदर्भ में उनके गृह-वातावरण की भूमिका का अध्ययन | डॉ. चित्ररेखा ,<br>डॉ.मीना सहरावत एवं डॉ. एम.एम.रॉय | 54 |
| 10 | पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण | श्री श्रीपाल जैन | 63 |
| 11 | चुनावी व्यावसायिक कंपनियों की भारतीय चुनावों में भूमिका | डॉ. संजय कुमार | 68 |
| 12 | शांति,मानवाधिकार तथा लोकतंत्र शिक्षा की आवश्यकता | डॉ. बृजेश कुमार पाण्डेय | 73 |
| 13 | सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा | डॉ. सुनीता रानी घोष | 77 |
| 14 | राजभाषा हिंदी का संक्रमण काल और उसकी स्थिति | डॉ. रेखा गुप्ता | 82 |
| 15 | घरेलू बचत और वित्तीय साक्षरता | डॉ. संजीव कुमार<br>एवं प्रो. नावेद जमाल | 85 |
| 16 | निर्णय लेखन : एक कला | डॉ. मिथिलेश चंद्र पांडेय | 90 |
| | **विविध**<br>**ज्ञान-चर्चा** | | |
| 1 | नगर एक राजा दो | डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी | 92 |
| 2 | परीक्षा का भूत | सतीश चन्द्र सक्सेना | 95 |
| 3 | पत्रिकाएँ (त्रैमासिक) Journals (Quaterly)<br>बिक्री संबंधी नियम / Rules Regarding Sales | | 97 |
| 4 | पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक/ अभिदान फार्म | | 100 |
| 5 | प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र / Sale Counters of Department of Publication | | 102 |

# पढ़ने के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयाम

**डॉ. पतंजलि मिश्र**

## संक्षिप्तिका

पढ़ना न केवल हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि हमें तर्क शक्ति से भी सशक्त बनाता है। यह हमें चीजों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है । पढ़ना हमारी कल्पना और बुद्धि को विकसित करता है, हमें लीक से हटकर सोचने में मदद करता है । पढ़ने की आदत का महत्व आंतरिक रूप से पेशेवर सफलता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह दिमाग को नए अनुभवों के लिए खोलता है और ज्ञान के नए रास्ते प्रदान करता है । यह हमें अपडेट रखता है और हम तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीक की दुनिया में विलुप्त प्रजाति नहीं बनते । हमारा जीवन दिन-ब-दिन व्यस्त होता जा रहा है और पढ़ना हमें इस तेज-तर्रार दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे न केवल यह समझें कि वे क्या पढ़ रहे हैं बल्कि उन्हें पढ़ने में आनंद भी आए। वे लिखित सामग्री की व्याख्या कर सकें और उससे प्राप्त सीख को दैनिक जीवन में और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग कर सकें। प्रस्तुत पत्र में पढने में शामिल विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया है ।

***मुख्य शब्द : पढ़ना, स्वनिम, प्रतीक, ध्वन्यात्मकता***

पढ़ना एक जटिल कौशल है जिसमें कई घटकों का एक साथ अनुप्रयोग शामिल है। पढ़ना एक ऐसा जटिल कौशल है जिसे हमारे समाज में सफलता के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने कई संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि पढ़ने में कई मौलिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विडोसन (1979) ने पठन को "प्रिंट के माध्यम से भाषाई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया है।

"पढ़ना" लिखित प्रतीकों की एक श्रृंखला को देखने और उनसे अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जब हम पढ़ते हैं, तो हम अपनी आंखों का उपयोग लिखित प्रतीकों (अक्षर, विराम चिह्न और रिक्त स्थान) को प्राप्त करने के लिए करते हैं और हम अपने मस्तिष्क का उपयोग उन शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों में परिवर्तित करने के लिए करते हैं जिनसे हमें कुछ अर्थ प्राप्त होता है।

फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस (पॉसनर, 1989) के एक अध्याय में पोलात्सेक और रेनर (1989) ने संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों के लिए पढ़ने के संबंध में दस केंद्रीय प्रश्नों की पहचान की है। वे प्रश्न हैं :

I. लिखित शब्दों की पहचान कैसे की जाती है?
II. मौखिक भाषा की प्रणाली शब्द पहचान और पढ़ने के साथ कैसे अंतर्सम्बधित है?
III. क्या टेक्स्ट में शब्दों की पहचान अलगाव से भिन्न है?
IV. पढ़ते-पढ़ते नज़रें पन्ने पर घूम जाती हैं। यह प्रक्रिया उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार आकार देती है?
V. पाठक व्यक्तिगत शब्दों के अर्थ से परे कैसे जाता है?
VI. पढ़ने का अंतिम उत्पाद क्या है? (अर्थात् पढ़ने के परिणामस्वरूप कौन-सी नई मानसिक संरचनाएँ बनती हैं या बनी रहती हैं?)
VII. पढ़ने का कौशल कैसे विकसित होता है?
VIII. हम एक ही संस्कृति में पाठकों के बीच व्यक्तिगत अंतर और भिन्न संस्कृतियों में पाठकों में अंतर को कैसे चिह्नित कर सकते हैं?
IX. हम पढ़ने की अक्षमताओं को कैसे चिह्नित और दूर कर सकते हैं?
X. क्या हम "सामान्य पढ़ने" में सुधार कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, "स्पीड रीडिंग" संभव है)?

ये दस प्रश्न 30 साल बाद भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं और वास्तव में ये प्रश्न पढ़ने के मनोविज्ञान के केंद्र में बने रहते हैं।

बेहतर ढंग से पढ़ना सीखने के लिए पढ़ने के मॉडल सुझाए गए हैं । एक पठन मॉडल से अभिप्राय एक ऐसे सिद्धांत से है जो कि पढ़ने और समझने के दौरान पाठक की आंखों और दिमाग में क्या चल रहा है को संदर्भित करता है। पढ़ने की प्रक्रिया के मॉडल पढ़ने की व्याख्या और भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ना सिखाने के कई मॉडल हैं । यहाँ हम तीन प्रमुख मॉडलों की चर्चा करेंगे तथा हम पढ़ने के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे :-

I. टॉप डाउन
II. बॉटम अप
III. इंटरैक्टिव व्यू

## I: टॉप डाउन रीडिंग मॉडल

टॉप डाउन रीडिंग मॉडल इस दर्शन पर आधारित है कि मस्तिष्क और पाठक समझ और सफलता के केंद्र में हैं। इस पद्धति का तर्क है कि पाठक प्रिंट के लिए एक समझ बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पाठक के अनुभव उसे पढ़ने, डिकोड करने और पाठ को समझने में मदद करते हैं। टॉप-डाउन मॉडल पाठकों को पाठ से अर्थ बनाने के लिए कहते हैं; यह ज्ञान संपूर्ण (पाठ) से अंश (शब्दों) तक बनता है। गुडमैन (1971) सबसे पहले टॉप-डाउन मॉडल पर "एक मनोवैज्ञानिक अनुमान लगाने वाला खेल" के रूप में टिप्पणी करें, यह दिखाते हुए कि पाठक पाठ के अर्थ की भविष्यवाणी करते हैं |

मुख्य रूप से उनके मौजूदा या पृष्ठभूमि ज्ञान के आधार पर  यह मॉडल ध्वन्यात्मकता और डिकोडिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं करता , बल्कि बच्चों को 'वास्तविक' किताबें पढ़ने और उन्हें समझने का अवसर देता है। अंत में, टॉप-डाउन विधि अज्ञात शब्दों का पता लगाने के लिए व्याकरण और पाठ की समझ का उपयोग करती है।

टॉप डाउन मॉडल में ध्यान ध्वन्यात्मक निर्देश पर नहीं है बल्कि विद्यार्थियों  को पूरे वाक्य, पैराग्राफ और किताबें पढ़ने के लिए है। यह मॉडल अनुभव के माध्यम से कौशल में महारत हासिल करने वाले बच्चों पर निर्भर करता है। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, जहां शिक्षार्थियों को ध्वनियों के संयोजन के बजाय संपूर्ण शब्दों की पहचान करना सिखाया जाता है, एक टॉप डाउन मॉडल का एक उदाहरण है।

## II. बॉटम अप रीडिंग मॉडल

एक अलग दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की विधि है। बॉटम अप ध्वन्यात्मकता के प्रत्यक्ष निर्देश पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे अक्षरों की विशेषताओं की पहचान करना, जैसे वक्र और सीधी रेखाएं। वहां से विद्यार्थी शब्दों को पढ़ने और लिखने के लिए अक्षरों का संयोजन शुरू करते हैं। फिर वे वर्तनी पैटर्न से परिचित हो जाते हैं और वाक्य, पैराग्राफ और लंबे पाठ पढ़ना सीखते हैं। बॉटम अप मॉडल अपने मूल के रूप में ध्वन्यात्मकता का उपयोग करता है एवं यह विश्वास व्यक्त करता है कि पाठक पहले बोले गये शब्दों में ध्वनियों को समझते हैं और अक्षरों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं फिर शब्द, फिर लंबे वाक्यों को समझते हैं। अंत में  वे पाठक के रूप में विकसित होने के साथ-साथ समझ कौशल का निर्माण करते हैं।

III.**इंटरैक्टिव मॉडल**

स्टैनोविच (1980) ने तर्क दिया कि यह मॉडल बॉटम-अप और टॉप-डाउन मॉडल की विशेषताओं को इकट्ठा करता है और पढ़ने को अधिक सार्थक बनाता है। यहां पाठक पढ़ने में अधिक व्यस्त रहते हैं। वे विषय के अपने ज्ञान, लिखित शब्दों के अपने पूर्व-अनुभव, अपने पढ़ने और पाठ के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए अपनी स्वयं की अपेक्षाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए पाठ्य विवरण शब्दों और पाठ में शामिल अक्षरों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें संचार गतिविधियों और पढ़ने के कौशल को एकीकृत किया जाता है।

**पढ़ने की प्रक्रिया :**

पढ़ना एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें शब्द पहचान, समझ, प्रवाह और प्रेरणा शामिल है। पढ़ना प्रिंट से अर्थ बनाना है। यह आवश्यक है कि हम प्रिंट में शब्दों की पहचान करें - एक ऐसी प्रक्रिया जिसे शब्द पहचान कहा जाता है से एक समझ विकसित करें।

पढ़ने की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल हैं:

I. पूर्व- पठन
II. पढ़ना
III. प्रतिक्रिया देना
IV. अन्वेषण
V. अनुप्रयोग

**चरण 1: पूर्व- पठन**

प्री-रीडिंग उसे कहते हैं जब विद्यार्थी स्वयं को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। वे तय कर सकते हैं या उन्हें बताया जा सकता है कि वे पाठ का एक टुकड़ा क्यों पढ़ने जा रहे हैं। वे अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं कि पाठ किस बारे में होने वाला है। शिक्षक उन्हें एक अवधारणा मानचित्र का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं, जिसे केडब्ल्यूएल चार्ट कहा जाता है, जहां विद्यार्थी जो जानते हैं (के), जो वे जानना चाहते हैं (डब्ल्यू) डालते हैं, और उनके पढ़ने के बाद उन्होंने जो सीखा उसे (एल) से अभिहित कर सकते हैं।

**चरण 2: पढ़ना**

यह वह चरण है जहाँ आप वास्तविक पठन भाग में उतरते हैं। पाठ को विभिन्न तरीकों से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। विद्यार्थी व्यक्तिगत पठन में संलग्न हो सकते हैं, या उन्हें जोर से पढ़ने को कहा जा सकता है। समूह पठन सत्र करने के लिए शिक्षक बड़ी पुस्तकों या कहीं प्रक्षेपित प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं।

**चरण 3: प्रतिक्रिया देना**

प्रत्युत्तर देना एक ऐसा चरण है जहाँ विद्यार्थी अपने द्वारा पढ़ी गई बातों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य अक्सर चर्चा या बातचीत के माध्यम से होता है।

**चरण 4: अन्वेषण**

यहां विद्यार्थी अपनी नई जानकारी का पता लगाते हैं। वे पाठ के भाग या सभी को फिर से पढ़ सकते हैं। वे नए विषय के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए और अधिक पाठ पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी नई शब्दावली सीख सकते हैं। अन्वेषण एक बहुत व्यापक चरण है जो कक्षा – कक्षा की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

**चरण 5: अनुप्रयोग**

अनुप्रयोग चरण के दौरान विद्यार्थी अपने द्वारा सीखे गए नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अक्सर उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो यह आकलन करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। वे मूल पाठ से संबंधित पुस्तकें पढ़ सकते हैं या उसी प्रकार की किसी क्रियाविधि में भाग ले सकते हैं

**पठन कौशल के महत्वपूर्ण घटक :**

पठन कौशल पांच अलग-अलग घटकों पर निर्मित होते हैं: ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, शब्दावली, प्रवाह और समझ। ये घटक मजबूत, समृद्ध और विश्वसनीय पढ़ने की क्षमता बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अलग से या असमान वितरण में पढ़ाया जाता है। यहां हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आप पठन कौशल के 5 घटकों को व्यापक रूप से कैसे पढ़ा सकते हैं और उन्हें अपनी कक्षा की एक नियमित विशेषता बना सकते हैं।

I. ध्वन्यात्मकता
II. ध्वन्यात्मक जागरूकता
III. शब्दावली
IV. प्रवाह

V. समझ

**ध्वन्यात्मकता पढ़ने का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है?**

ध्वन्यात्मकता पढ़ने की प्रक्रिया के मूल में शामिल है। यह विद्यार्थियों को मौखिक रूप से व्यक्त भाषा में एक पृष्ठ पर मनमानी प्रतीकों को जोड़ने की अनुमति देता है। यहां तक कि अगर किसी बच्चे को किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तब भी वे इसे ध्वन्यात्मक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। ध्वन्यात्मकता विद्यार्थियों की 'दृष्टि से पढ़ने' की क्षमता भी विकसित करती है, यानी प्रत्येक अक्षर को बोले बिना एक नज़र में पूरे शब्दों को ग्रहण करें। एक अपरिचित शब्द के भीतर भी, विद्यार्थी ध्वन्यात्मक पैटर्न को जल्दी से देख पाएंगे (उदाहरण के लिए 'हालांकि' समग्र रूप से नया हो सकता है, लेकिन 'कैसे' और 'हमेशा' दृष्टि वाले शब्द होंगे)। उपरोक्त दोनों घटनाक्रम प्रवाह में पढ़ने के साथ- साथ अनुवाद करते हैं। विद्यार्थी हर बार शब्दावली के एक नए टुकड़े से सामना होने पर अक्षरों को रोकने और संसाधित किए बिना बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से पढ़ने में सक्षम होते हैं।

**पढ़ने के लिए ध्वन्यात्मकता सिखाने के 4 तरीके**

ध्वन्यात्मक निर्देश के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं लेकिन ये गतिविधियां किसी भी कक्षा के अनुरूप होंगी।

**तुकबंदी वाले खेल:** कोई भी गतिविधि जिसमें विद्यार्थियों को शब्दों की तुकबंदी करने की आवश्यकता होती है, उनकी ध्वन्यात्मक समझ विकसित होगी। यह एक कक्षा के रूप में एक कविता लिखना या तुकबंदी वाले शब्दों के मिश्रण और मिलान द्वारा हो सकता है।

**फ्लेक्सीवर्ड्स:** क्या विद्यार्थियों ने एक शब्द को उसके अलग-अलग स्वरों में तोड़ दिया है, जिनमें से प्रत्येक कार्ड के सजाए गए टुकड़े पर जाता है। विद्यार्थी फिर एक इलास्टिक बैंड में स्वर (क्रम में) संलग्न करते हैं। बैंड को स्ट्रेच करने से फोनीम्स अलग हो जाएंगे और विद्यार्थियों को शब्द से धीमी आवाज को देखने में मदद मिलेगी।

**ध्वन्यात्मक हॉप्सकॉच:** हॉप्सकॉच ड्रा करें लेकिन ग्रेफेम्स (ध्वन्यात्मक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर) के साथ संख्याओं को प्रतिस्थापित करें। विद्यार्थियों को विभिन्न अक्षरों के बीच कूदना पड़ता है क्योंकि वे उन्हें शिक्षक या साथी से सुनते हैं।

**शब्द का अनुमान लगाएं:** विद्यार्थी 5 शब्दों का एक सेट लिखते हैं, फिर उन्हें टेबल के बीच में रखते हैं। शिक्षक या नामांकित विद्यार्थी को तब एक शब्द चुनना होता है और सुराग देना होता है (जैसे "यह -ig के साथ समाप्त होता है") जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह क्या है।

**वर्ड मिक्स अप:** अलग-अलग कार्डों पर अलग-अलग ग्रैफेम रखें, और फिर विद्यार्थियों को उनमें हेरफेर करने के लिए जितना संभव हो उतने शब्द बनाने का कार्य दें।

**ध्वन्यात्मक जागरूकता**

ध्वन्यात्मक जागरूकता इस बात की समझ है कि कैसे स्वरों (व्यंजन या स्वर ध्वनियों) का हेरफेर किया जा सकता है और शब्दों को बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। यह ध्वन्यात्मकता के समान लग सकता है  लेकिन एक अंतर है। ध्वन्यात्मकता अक्षर-ध्वनि ज्ञान से संबंधित है, जबकि ध्वन्यात्मक जागरूकता ध्वनि-शब्द ज्ञान को संदर्भित करती है। इसलिए ध्वन्यात्मक जागरूकता एक पृष्ठ पर शब्दों के विपरीत, श्रवण समझ पर लक्षित है।

**ध्वन्यात्मक जागरूकता पढ़ने का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है?**

अंग्रेजी वर्णमाला प्रणाली का उपयोग करके लिखी जाती है, जहां प्रत्येक अक्षर एक स्वर से मेल खाता है। यह स्पष्ट लग सकता है  लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है जहां वर्ण पूरे शब्दांश (जैसे जापानी) या यहां तक कि पूरे शब्द (कुछ चीनी वर्णों के साथ) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों को किसी पृष्ठ पर शब्दों का अर्थ निकालने से पहले स्वयं स्वरों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, 'CAT ' शब्द को जोर से पढ़ने के लिए, विद्यार्थियों को यह जानना होगा कि एक साथ रखे जाने पर ध्वनि / C /, / A /, / T / ध्वनि कैसी होती है। और यह आसान भी नहीं है - धाराप्रवाह भाषण बनाने के लिए स्वरों को ओवरलैप और एक साथ प्रवाहित करना पड़ता है।

इस कारण से विभिन्न अध्ययनों ने ध्वन्यात्मक जागरूकता को विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता के सर्वोत्तम प्रारंभिक संकेतक के रूप में पहचाना है। यह ध्वन्यात्मकता के लिए मंच तैयार करता है।

**पढ़ने के लिए ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने के 5 तरीके**

**ध्वन्यात्मकता अलगाव:** विद्यार्थी शब्दों में अलग-अलग स्वरों की पहचान करते हैं, उदाहरण के लिए 'BOAT' में पहली ध्वनि कौन सी है?" (/B/)

**स्वनिम पहचान:** विद्यार्थी अलग-अलग शब्दों में सामान्य ध्वनि की पहचान करते हैं, उदाहरण के लिए "मुझे वह ध्वनि बताओ जो 'Bike', 'Boy' और 'Bell' में समान है।" (/B/)

**स्वनिम श्रेणियां:** विद्यार्थी एक क्रम में विषम ध्वनि वाले शब्द की पहचान करते हैं, उदाहरण के लिए "कौन सा शब्द संबंध नहीं रखता? Bus, Bun , Rug। " (Rug)

**स्वनिम सम्मिश्रण:** विद्यार्थी अलग-अलग बोली जाने वाली ध्वनियों के अनुक्रम को सुनते हैं और उन्हें एक पहचानने योग्य शब्द बनाने के लिए जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए "कौन सा शब्द है /s/ /k/ /u/ /l/?" (School)

**स्वनिम हटाना:** विद्यार्थी को वह शब्द मिल जाता है जो एक निर्दिष्ट स्वनिम को हटा दिए जाने पर बना रहता है, उदाहरण के लिए "जब हम 'Smile' से /s/ हटाते हैं तो हमें क्या शब्द मिलता है?" (Mile)

**शब्दावली** शब्दों की श्रेणी है, जिसे एक विद्यार्थी समझने और संदर्भ में आवश्यकतानुरूप उपयोग करने में सक्षम होता है। एक कौशल से अधिक टूलबॉक्स के रूप में, जैसे वे पढ़ते हैं और नए शब्दों से परिचित होते हैं उनकी शब्दावली में उतरोत्तर वृद्धि होती जाती है । शब्दावली विकास, समझ से निकटता से जुड़ा हुआ है। पाठक की शब्दावली (या तो मौखिक या प्रिंट) जितनी बड़ी होगी, पाठ को समझना उतना ही आसान होगा। नेशनल रीडिंग पैनल के अनुसार, कहानी की किताब पढ़ने या दूसरों को सुनने के माध्यम से संयोग से शब्दावली सीखी जा सकती है | शब्दावली को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से निर्देश में संलग्न होना चाहिए जिसमें पढ़ने से पहले शब्द सीखना, दोहराव, समृद्ध संदर्भों में सीखना, आकस्मिक शिक्षा और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

**समझ**

समझ एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पाठक यह समझने के लिए करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। शब्दावली विकास और निर्देश समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल रीडिंग पैनल ने निर्धारित किया कि युवा पाठक विभिन्न तकनीकों के माध्यम से पाठ की समझ विकसित करते हैं, जिसमें प्रश्नों का उत्तर देना (प्रश्नोत्तरी) और सारांश (कहानी को फिर से बताना) शामिल है।

प्रवाह /गति, समझ और सटीकता के साथ पढ़ने की क्षमता है। फिर भी यह सूचना निष्कर्षण से कहीं अधिक है - यह वह कौशल है जो हमें एक पाठ का 'अनुसरण' करने, उसके विवरणों को चित्रित करने और चुपचाप पढ़ने पर भी हमारे मस्तिष्क में शब्दों की श्रवण अभिव्यक्ति सुनने की अनुमति देता है।

**वाक्पटुता पढ़ने का एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है?**

प्रवाह वह है जो विद्यार्थियों को पाठ के 'प्रवाह' को महसूस करने देता है। उदाहरण के लिए संघर्षरत पाठक झटकेदार, क्लिप्ड अंदाज में जोर से पढ़ते हैं जैसे कि हर शब्द के साथ एक नया वाक्य शुरू होता है। अन्य लोग पाठ के बदलते स्वर और गति से बेखबर हो सकते हैं, इसे बिना किसी अभिव्यक्ति के स्थिर एकरस स्वर में पढ़ सकते हैं। दोनों ही मामलों में, पढ़ने की प्रक्रिया अजीब हो जाती है - भले ही विद्यार्थी अलग-अलग शब्दों को सफलतापूर्वक डिकोड कर सकें। प्रवाह और समझ का गहरा संबंध है। एक विद्यार्थी किसी पाठ को धाराप्रवाह पढ़ने की क्षमता के बिना उसके पीछे के अर्थ और विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है।

**पठन प्रवाह विकसित करने के 5 तरीके**

**शिक्षक मॉडलिंग:** विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से जोर से पढ़ना, प्रवाह पठन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। अभिव्यंजक बनें और अपनी गति में बदलाव करें ताकि विद्यार्थियों को प्रवाह का बोध हो। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को पाठ की अपनी प्रति के साथ पढ़ने के लिए कहें ताकि वे इसे उन शब्दों से जोड़ सकें जिन्हें वे जोर से सुनते हैं।

**वाक्यांश पहचान:** एक वाक्य लें और उसे जोर से पढ़ें जबकि विद्यार्थी लिखित संस्करण का उल्लेख करते हैं। विरामों को ध्यान से सुनकर उन्हें रेखांकित करने के साथ अलग-अलग वाक्यांशों की पहचान करने के लिए कहें। क्या वे वाक्य को शब्दों के समूहों में विभाजित कर सकते हैं जो एक साथ चलते हैं? विद्यार्थियों को एक स्पष्ट विचार देने के लिए इसे पहले मॉडल करें।

**कोरल पठन:** अपने विद्यार्थियों के लिए एक छोटा पाठ जोर से पढ़ें, और फिर उन्हें एक स्वर में इसे जोर से पढ़ने के लिए कहें। समूह के प्रवाह और गति को मिलाने से प्रवाह का विकास होता है।

**युग्मित पठन:** बच्चों को एक-दूसरे को ऊँची आवाज़ में पढ़ने से उनमें प्रवाह के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति और प्रवाह विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक शक्तिशाली रूप में सिखाने के लिए विभिन्न क्षमता स्तरों के विद्यार्थियों की जोड़ी बनाएं लेकिन सुनिश्चित करें कि असमानता बहुत अधिक न हो।

**ऑडियोबुक का उपयोग करें:** टेक्स्ट के साथ जोड़ी गई ऑडियोबुक विद्यार्थियों को पृष्ठ पर शब्दों को धाराप्रवाह और अभिव्यंजक ढंग से पढ़ने के साथ जोड़ने की अनुमति देती है।

**अच्छे पाठकों की पांच रणनीतियाँ**

अच्छे पाठक पढ़ने में शामिल प्रक्रियाओं को समझते हैं और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उन्हें नियंत्रित करते हैं। पठन प्रक्रियाओं की इस जागरूकता और नियंत्रण को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, जिसका

अर्थ है *"जानने के बारे में जानना।"* कुछ विद्यार्थी यह नहीं जानते कि वे कहाँ नहीं समझ पाते। समझ में न आने पर भी वे पढ़ना जारी रखते हैं। कमजोर पाठक इस तरह के भ्रम को सहन करते हैं क्योंकि उन्हें या तो यह पता नहीं होता कि इसके बारे में उन्हें क्या करना है। कमजोर पाठक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि अच्छे पाठक विवरण को एक बड़े संज्ञानात्मक पैटर्न में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम बेहतर पाठकों द्वारा अपनाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों की चर्चा करेंगे।

I. **भविष्यवाणी करें:** बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाएं। अच्छे पाठक विचारों, घटनाओं, परिणामों और निष्कर्षों के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं, आपकी भविष्यवाणियों की पुष्टि या खंडन किया जाता है। यदि वे अमान्य साबित होते हैं, तो आप नई भविष्यवाणियां करते हैं। यह निरंतर प्रक्रिया आपको लेखक की सोच से जुड़ने में मदद करती है और आपको सीखने में मदद करती है।

II. **चित्र:** अच्छे पाठकों के लिए पृष्ठ पर शब्द और विचार मानसिक छवियों को ट्रिगर करते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामग्री से संबंधित होते हैं। छवियां आपके दिमाग में चल रही फिल्मों की तरह होती हैं और जो आप पढ़ते हैं, उसके बारे में आपकी समझ में वृद्धि होती है।

III. **संबंधित तुलना करें:** जब आप अपने मौजूदा ज्ञान को पाठ में नई जानकारी से जोड़ते हैं तो आप सामग्री को अलंकृत कर रहे हैं और इसे अपने विचारों के ढांचे का हिस्सा बना रहे हैं। एक स्थिति का एक वाक्यांश आपको एक व्यक्तिगत अनुभव या कुछ ऐसा याद दिला सकता है जिसे आपने किसी फिल्म में पढ़ा या देखा था। इस तरह के संबंधित अनुभव आपको नई सामग्री को आत्मसात करने में मदद करते हैं।

IV. **मॉनिटर: समझ की जाँच करें:** सामग्री की अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए अपनी चल रही समझ की निगरानी करें। जानकारी का एक आंतरिक सारांश या संश्लेषण रखें जैसा कि इसे प्रस्तुत किया गया है और यह समग्र संदेश से कैसे संबंधित है। आपका सारांश प्रत्येक नए विवरण के साथ बनेगा और जब तक संदेश सुसंगत है, आप विचार बनाना जारी रखेंगे। यदि, हालांकि, कुछ जानकारी भ्रामक या गलत लगती है तो आपको रुक जाना चाहिए और समस्या का समाधान खोजना चाहिए। आपको अपनी खुद की समझ की निगरानी और पर्यवेक्षण करना चाहिए। अच्छे पाठक आने वाली कठिनाइयों को हल करना चाहते हैं; भ्रमित होने पर वे पढ़ते नहीं रहते।

V. **समझ में उपयुक्त अंतराल :** अपने पढ़ने की समझ में अंतराल को स्वीकार न करें। वे किसी शब्द या वाक्य को समझने में विफलता का संकेत दे सकते हैं। बंद करो और समस्या का

समाधान करो। समाधान खोजें, भ्रम नहीं। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी वाक्य को फिर से पढ़ना या स्पष्टीकरण के लिए पिछले पृष्ठ पर वापस देखना। यदि कोई अज्ञात शब्द भ्रम पैदा कर रहा है तो परिभाषा आगे पढ़ने से सामने आ सकती है। जब अच्छे पाठक समझ में अंतराल का अनुभव करते हैं तो वे खुद को असफल नहीं मानते हैं; इसके बजाय, वे बेहतर समझ हासिल करने के लिए कार्य का पुनर्विश्लेषण करते हैं।

**निष्कर्ष :** यदि हम प्रारम्भ से ही बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करें तो पढ़ना एक आनन्ददायक क्रिया हो सकती है। जब बच्चे पढ़ने के अनुभवों को अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वे उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा नहीं बना पाते हैं तो उनका कक्षा के पाठों से कोई अन्तरंग रिश्ता नहीं बन पाता और लिहाज़ा, वे उनको समझने में सक्षम नहीं हो पाते। इस दौर में जबकि बच्चों के पास आनंद के लिए पढ़ने के अलावा कई अन्य संसाधन मौजूद है , उन्हें एक बेहतर पाठक बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य लग सकता है।

डॉ. पतंजलि मिश्र
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा (राजस्थान) - 324010

सन्दर्भ

1.गुडमैन, के.एस. (1971). साइकोलिंग्विस्टिक यूनिवर्सल इन द रीडिंग प्रोसेस, पी. पिम्सलेउर और टी. क्विन (संस्करण) में, द साइकोलाजी ऑफ़ सेकेण्ड लैंग्वेज लर्निंग. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

2.ह्यूई., ईबी. (1908). द साइकोलजी एंड पेडागाजी ऑफ़ लर्निंग. न्यूयॉर्क, एनवाई: द मैकमिलन कंपनी.

3.पॉस्नर, एमआई(1989). फाउन्डेशन ऑफ़ कागनेटिव साइंस. कैम्ब्रिज, एमए: एमआईटी प्रेस.

4.पोलात्सेक ए, रेनर के. (1989). रीडिंग इन: पॉस्नर एम, संपादक. फाउन्डेशन ऑफ़ कागनेटिव साइंस . कैम्ब्रिज. एमए: एमआईटी प्रेस; 401-436.

5.स्टेनोविच, कीथ इ ( 1980) टुवार्ड ऐन इनटरेक्तिव- कम्प्न्सेट्री मॉडल ऑफ़ इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ़ रीडिंग फ्लुवेन्सी Toward an Interactive-Compensatory Model of Individual Differences in the Development of Reading Fluency on JSTOR से प्राप्त

6.विडोसन, एच.जी. (1979). एक्सप्लोरेशन इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

**********

# स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार व उनकी उपादेयता

डॉ. अमित कुमार

स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के ऐसे सन्यासी दार्शनिक विचारक और प्रचारक थे जिन्होंने स्वयं तो राजनीति में कोई भाग नहीं लिया परंतु अपनी प्रखर प्रतिभा से देश में स्वतंत्रता प्रेम की ज्योति जगा दी। राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना जागृत की और पश्चिम में भारतीय संस्कृति की धाक जमा दी। जिन दिनों पूर्व के देशों में पश्चिम की महानता का बोलबाला था, उन दिनों स्वामी जी ने पश्चिम को पूर्व की महानता का प्रमाण देकर चकित और चमत्कृत कर दिया। उनकी मुख्य कृतियां दार्शनिक विषयों पर हैं जिनमें ज्ञान योग और पतंजलि के योग सूत्रों की टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो ओजस्वी भाषण दिए वह भी उनके विचारों की महत्वपूर्ण शोध सामग्री हैं। एक सन्यासी दार्शनिक के नाते स्वामी विवेकानंद का मुख्य सरोकार परम सत्य और परम ब्रह्म से था। उन्होंने ब्रह्म की परिभाषा 'सच्चिदानंद' अथवा सत् , चित् व आनंद के रूप में दी अर्थात वह परम सत्य, परम पावन, कल्याणकारी चेतन और आनंदमय है। परम ब्रह्म या परमात्मा की सेवा और ध्यान में ही आत्मा का परम कल्याण निहित है।

अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा की सेवा कैसे की जाए, क्या संसार से विमुख होकर एकांत वन पर्वत शिखर या कंदरा में समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने से उसकी प्राप्ति होगी। उन्होंने आध्यात्मिक साधना की इस विधि का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि धरती का मानव समुदाय ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

उसी के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार संभव और सार्थक होता है। अतः यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। उस मनुष्य की जिसे तुम्हारी सेवा और सहायता की प्रबल आवश्यकता है। दीन दुखी ,असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है।

उनका कथन है कि आज का संसार परस्पर विरोधी अधिकारों के संघर्ष में उलझा है। यह भी विश्व में दुख और अशांति का कारण है। मनुष्यों को इस प्रवृत्ति का त्याग करके कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का गौरव स्वार्थ साधन में नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए आत्म बलिदान में निहित है। वे स्वयं सन्यासी थे, परंतु उन्होंने ऐसे गृहस्थ को सराहनीय माना जो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करता है। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की मांग करती है, परंतु संसार से संबंध तोड़ कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं ढूंढी जा सकती। जैसे पीड़ित मानवता

की सेवा से मुंह मोड़ कर ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती, वैसे ही पराधीन देश की स्वतंत्रता की चिंता छोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश करना व्यर्थ है।

कर्म योग की शिक्षा देते हुए स्वामी जी ने यह संकेत दिया कि मातृभूमि की निःस्वार्थ सेवा ही सच्चा कर्म योग है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य की संपूर्ण और सर्व व्यापक स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को इस ओर अग्रसर होने में सहायता देना सबसे बड़ा सत्कर्म है, जो सामाजिक नियम स्वतंत्रता की स्थिति में बाधक हो उन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। जो संस्थाएं स्वतंत्रता की प्रगति में सहायक हों, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। स्वतंत्रता यह मांग करती है कि सब व्यक्तियों को संपदा, शिक्षा और ज्ञान अर्जित करने के असीम अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने सब तरह के अन्याय के विरोध की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और दर्शन से जो आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की उसे उन्होंने मानवता की सेवा का रूप दे दिया। यह सेवा स्वार्थ साधन से हटकर देश सेवा या राष्ट्र सेवा के रूप में आरंभ होती है और संपूर्ण मानवता की सेवा की प्रेरक शक्ति बन जाती है। इस तरह राष्ट्रवाद और मानववाद का आधार तैयार होता है। उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के विचार को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति बना दिया है। विवेकानंद जी को व्यावहारिक राजनीति से कोई सरोकार नहीं था । राजनीति में प्रत्यक्ष अभिरुचि ना रखते हुए भी उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत के यूरोपीयकरण का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि हमें अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप अपना विकास करना चाहिए दूसरों की प्रथाएं उन्हीं के लिए अच्छी हो सकती हैं, परंतु उसे हमारे समाज पर थोपना उपयुक्त नहीं है। पश्चिम के अंधानुकरण से हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। धर्म और आध्यात्मिकता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आधार स्तंभ है। अतः उन्हीं के आधार पर हमें सामाजिक पुनर्निर्माण करना चाहिए। देश सेवा को आध्यात्मिक आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने भारत माता की संकल्पना भगवती के रूप में की। उनका यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है- गर्व से कहो मैं भारतीय हूं, सारे भारतीय मेरे बंधु हैं । भारत की मिट्टी मेरे लिए परम स्वर्ग है भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। उन्होंने सच्चे मानववाद और विश्वबंधुत्व के आदर्शों को बढ़ावा दिया।

**शिक्षा का स्वरूप**

स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा स्वरूप की दृष्टि से आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद एवं मानवतावाद का समन्वित रूप है, उन्होंने जिन तत्वों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उससे उनके आदर्शवादी होने का संकेत मिलता है। वह तर्क, बुद्धि, हृदय और मन के साथ ही वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध तथा उपनिषदों के प्रतिकूल अंध विश्वासों का खंडन करते हैं। वह सत्य के महान पुजारी सच्चे समाज

सुधारक धर्म रक्षक तथा भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे। उन्होंने मानव जीवन के लिए यह आवश्यक समझा कि वह अच्छी तरह से रहे। उसकी उचित कामनाओं की पूर्ति हो और सामान्यतया सुख से अपने दिन बिताए। इस दृष्टि से उनका शिक्षा दर्शन यथार्थवाद के निकट प्रतीत होता है। उनका दर्शन पूर्वाग्रही नहीं है। वह सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तैयार हैं। वह मानव मूल्यों को मूर्तिमान तथा मनुष्य को आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं। स्वामी जी ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया वह शिक्षा संस्थाओं को नगरों से बाहर प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने के पक्ष में थे, ताकि छात्रों को शुद्ध वातावरण मिल सके तथा प्रकृति की गोद में उनका शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। इस दृष्टि से उनका शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद के अधिक निकट है। शिक्षा व्यक्ति केंद्रित हो अथवा समाज केंद्रित इस संबंध में भी स्वामी जी का समन्वित दृष्टिकोण है। वह शिक्षा द्वारा व्यक्ति का विकास तो चाहते ही हैं लेकिन वह मानव की सारी क्रियाएं समाज हित में ही चाहते हैं। इसी दृष्टि से वह सच्चरित्र आदर्श नागरिक का निर्माण चाहते हैं। स्वामी जी ने शिक्षा की परिभाषा व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के रूप में की है। उनके मत में शिक्षा द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है समस्त अध्ययनों का अंतिम लक्ष्य मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना है। जिस अध्ययन द्वारा मनुष्य की संकल्प शक्ति का प्रभाव संयमित होकर प्रभाव उत्पादक बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्थित है ज्ञान बाहर से नहीं आता मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में ज्ञान का आविष्कार करना ही है। शिक्षा मनुष्य में छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम है। स्वामी जी ने शिक्षा में निम्न आधारभूत सिद्धांतों पर बल दिया है-

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा एक राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता। चरित्र निर्माता, मानव निर्माता एवं जीवन निर्माता शिक्षा। धार्मिक शिक्षा सर्वधर्म समन्वयवादी शिक्षा। आत्मनिर्भरता प्रदाता शिक्षा। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। राज्य के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। व्यक्ति व समाज हित में समन्वयकारी शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर। रुचि एवं बौद्धिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा । शिक्षा में सकारात्मक विचार। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरणा। वैदेशिक मोह से मुक्त रहकर राष्ट्रीय ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन। ऐसी अभियांत्रिकी तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध एवं विकास जिससे उद्योग धंधों में वृद्धि हो। उपरिनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य ब्रह्मचारी शिक्षकों, तपस्वी व त्यागी पुरुषों व महिलाओं को तैयार करना। स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का स्वरूप कल्याणकारी है। यह व्यक्ति तथा समाज को सर्वोत्तम रूप में विकसित करने के लिए परिनिर्मित की गई है।

**शिक्षा का उद्देश्य-**

स्वामी जी ने शिक्षा का उद्देश्य मानव निर्माण माना है। मानव निर्माण से तात्पर्य मनुष्य के सर्वपक्षीय एवं संतुलित विकास से है। इसलिए शिक्षा को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की संज्ञा दी गई है। मानव निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में मनुष्य के शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास पर विचार किया गया है।

**शारीरिक विकास**

स्वामी जी के मत में, शरीर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। शरीर ही मन तथा बुद्धि का धारक है। शरीर मन और बुद्धि एक दूसरे पर आश्रित है। मन शरीर की गतियों पर नियंत्रण रखता है। बुद्धि शरीर की गतियों को दिशा प्रदान करती है गतियाँ योग, आहार, आसन, संयम तथा दैहिक साधना शारीरिक विकास के प्रमुख साधन हैं।

**मानसिक विकास**

मन वह साधन है जिसके माध्यम से आत्मा बाह्य प्रभावों को ग्रहण करती है। मन परिवर्तनशील है। इसके दो मुख्य कार्य हैं-

1- बाह्य विषयों के आघातों से उत्पन्न संवेदनाओं को एकत्र करके बुद्धि तक पहुंचाना।

2- चिंतन।

उनके मतानुसार जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। योगाभ्यास, सदाचार, सात्विक आहार, शिक्षा, ब्रह्मचर्य, प्रसन्नता तथा मनोविज्ञान का ज्ञान मन को एकाग्र करने के प्रमुख साधन है।

**बौद्धिक विकास**

स्वामी विवेकानंद के अनुसार बुद्धि चेतन स्तर से प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं का समुच्चय है। बुद्धि सीमित है तथा परिवर्तनशील है। बुद्धि का मुख्य कार्य अलौकिक उपलब्धियों को व्यवहार जगत में प्रयोग करना है। तर्क जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। वह बुद्धि का ही अंग है। व्यायाम, स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन बौद्धिक विकास के प्रमुख साधन हैं।

**आध्यात्मिक विकास**

स्वामी जी के मत में आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। आत्मा स्वतंत्र है। कर्म, उपासना मनोनिग्रह, ज्ञान, प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष एवं उन पर विजय, धर्म, आत्म स्वरूप का चिंतन, स्वाध्याय, साधना, योग, हृदय शिक्षा, ईश्वर की आराधना, आदर्श चयन तथा आत्मविश्वास, आध्यात्मिक विकास के प्रमुख उपाय हैं।

**चरित्र विकास**

स्वामी जी ने व्यक्ति के नैतिक चरित्र के विकास पर बहुत बल दिया है। यह आध्यात्मिक विकास का ही अंग है फिर भी स्वामी जी ने चरित्रवान स्त्री पुरुषों के निर्माण पर विशेष बल दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए ही ब्रह्मचर्य के पालन पर बल दिया है।

**जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना-**

स्वामी जी ऐसी शिक्षा की संकल्पना करते हैं जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके इसीलिए उन्होंने तकनीकी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया ताकि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

**स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास-**

स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता रहे। उनका मत है कि लोग शारीरिक मानसिक गुलामी से स्वतंत्र रहकर आत्म सम्मान पूर्वक ज्ञान व शक्ति से युक्त बने।

राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का विकास- उनकी शिक्षा का अभिन्न उद्देश्य व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना भरना है। उनके मत में राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। अंतरराष्ट्रीयता का विकास राष्ट्रीय गौरव के धरातल पर ही हो सकता है स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों में लौकिक-अलौकिक सिद्धांत व्यवहार का सम्यक समावेश है। अतः यह सार्वभौमिक दृष्टि से उपादेयता रखते हैं।

**पाठ्यक्रम**

पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी के विचार उनके व्याख्यानों में भरे पड़े हैं। उनके व्याख्यान से स्पष्ट है कि वह भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, साहित्य, धर्म, दर्शन, संगीत, कला, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, उद्योग, कौशल, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यायाम आदि विषयों की शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने पाठ्यक्रम में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों के समावेश पर विशेष बल दिया। उन्होंने एक ओर पाठ्यक्रम निर्माण का आधार भारतीय संस्कृति को माना तो दूसरी ओर पाश्चात्य विज्ञान को ही पाठ्यक्रम में स्थान देने का समर्थन किया। उनके द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में आर्थिक विकास का उद्देश्य सन्निहित है। उनके मत में भारत की गरीबी और बेकारी औद्योगिक शिक्षा के बिना दूर नहीं हो सकती। अतः उन्होंने यांत्रिक एवं औद्योगिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को विशेष रूप से ग्रहण करने योग्य माना। स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम में वेदांत तथा विज्ञान और पौर्वात्य व पाश्चात्य का कुशल समावेश है।

**शिक्षण विधि**

स्वामी जी लोक शिक्षक थे उन्होंने लोक शिक्षण के लिए व्याख्यान, उपदेश, एवं परामर्श विधियों का प्रयोग किया। वह व्याख्यान तथा उपदेश विधि का प्रयोग धर्म, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र विषय तथा भाषा ज्ञान के लिए करते थे। उन्होंने प्रयोग विधि पर भी बल दिया, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा गृह विज्ञान आदि विषय के शिक्षण के लिए आवश्यक माना। स्वामी जी ने शिक्षण प्रविधि के रूप में कथाकथन, प्रश्नोत्तर, सत्संग, देश विदेश भ्रमण, दृष्टांत, तर्क वितर्क, चित्र, मॉडल, मानचित्र के प्रदर्शन आदि को उपादेय माना। उनका यह भी मत है कि शिक्षण में स्थानीय सामग्रियों व साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

स्वामी विवेकानंद व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं उनका मत है कि ज्ञान प्राप्ति की क्षमता तो प्रत्येक मनुष्य में है किंतु सभी की ग्रहण शक्ति एक समान नहीं होती। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी ग्रहण शक्ति के अनुसार शिक्षा देने से लाभ होता है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके साथ परिश्रम करना चाहिए और उन्हें सरल तरीके से पढ़ाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि वह है जो विद्यार्थी को सक्रिय बनाए। इस दृष्टि से स्वामी जी ने प्रयोगात्मक पद्धति को विशेष उपयोगी माना।

**शिक्षक-शिक्षार्थी व अनुशासन**

स्वामी विवेकानंद गुरु शिष्य संबंधों को सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करते हैं। उनकी मान्यता है कि सच्चा गुरु वही है जो अपनी आत्मा से दूसरों की आत्माओं में शक्ति का संचार करें। उनके अनुसार विद्वान, निरहंकार, सत्यवादी, पवित्र निष्काम, निःस्वार्थ, उद्देश्य युक्त, शिष्य प्रकृति का ज्ञाता, सहानुभूतिपूर्ण, व्यवहारकर्ता, आध्यात्मिक गुणों से युक्त, मानव दुर्बलताओं से रहित व्यक्ति गुरु पद का अधिकारी हो सकता है। उनके अनुसार शिक्षक या गुरु दो प्रकार के होते हैं- औपचारिक शिक्षक अथवा विद्यालय के अध्यापक तथा अनौपचारिक शिक्षक अथवा आध्यात्मिक गुरु। प्रथम प्रकार के गुरु या शिक्षक अपने शिष्यों को विधिवत समस्त विषयों की शिक्षा देते हैं, लेकिन वे अपने शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं करते। द्वितीय प्रकार के गुरु या शिक्षक अपनी आत्मा से दूसरी आत्माओं में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं। वह औपचारिक शिक्षा नहीं देते। श्री रामकृष्ण परमहंस इसी श्रेणी के आचार्य थे। उन्होंने विवेकानंद में अपनी आध्यात्मिक शक्ति हस्तांतरित कर दी थी। उनके अनुसार आध्यात्मिक गुरु के पांच मुख्य कार्य है- जीवात्मा को मुक्त करना, धर्म भाव की वृद्धि करना, आध्यात्मिक उन्नति में सहायता देना, जीवन रहस्यों को प्राप्त करना, समाज को उन्नति पर ले जाना। स्वामी जी ने शिष्य के स्वरूप की व्याख्या अध्यात्मिक दृष्टि से की है। उनके अनुसार गुरु पिता से भी बढ़कर है। पिता केवल शरीर प्रदान करता है, किंतु गुरु शिष्य के लिए मुक्ति का पथ

प्रशस्त करता है। गुरु शिष्यों को अपना धार्मिक वंशज और शिष्य अपने गुरुओं को अपना धार्मिक पूर्वज समझे। गुरु शिष्य संबंध सम्मान एवं विश्वास की आधार भूमि पर स्थित हों।

स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास का सर्वोत्तम माध्यम माना है। उनके मत में शिक्षा में ही ऐसी शक्ति निहित है, जिससे वांछित परिवर्तन बिना हिंसा, असंतोष के सहज रूप से हो जाता है । संपूर्ण भारतीय शिक्षा को भारत केन्द्रित किये जाने की प्रबल आवश्यकता है। जब तक बीज तथा धरती में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक सम्यक परिणाम की आशा व्यर्थ है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय निहितार्थों से अनुकूलन रखने वाली शिक्षा की संकल्पनाओं का अवगाहन इस प्रकार किया जाए, जिससे संपूर्ण भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यवस्थित शैक्षिक आकार सामने आ सके। स्वामी विवेकानंद की मानववादी शिक्षा भारतीय मूल्यों तथा आवश्यकताओं से अभिप्रेरित रही है। उन्होंने पश्चिम सहित शेष विश्व के साथ कदमताल करते हुए भारतीय पुनरुत्थान पर बल दिया। स्वामी जी आम जनमानस तथा प्रबुद्धजनों के हृदय में सर्वोच्च आदर के साथ प्रतिष्ठित हैं तथा भारतीय आकांक्षाओं के शिखर के रूप में पहचाने जाते रहेंगे ।

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
आर्य कन्या डिग्री कॉलेज,संघटक- इलाहाबाद विश्वविद्यालय,प्रया

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-


- शर्मा, डॉ. आर.ए. व डॉ. आर. के. (1996) शिक्षा दर्शन, नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स।
- शुक्ला, डॉ. सी.एस. (2013) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, इलाहाबाद: अनुभव पब्लिशिंग हॉउस।
- लोढ़ा, डॉ. एम. (2013) नैतिक शिक्षा के विविध आयाम, जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- विवेकानंद, स्वामी (1985) शिक्षा, नागपुर: रामकृष्ण मठ।
- विवेकानंद, स्वामी (2002) शिक्षा, संस्कृति और समाज नागपुर: रामकृष्ण मठ।
- विवेकानंद, स्वामी (1992) राष्ट्र का आवाहन, नागपुर: रामकृष्ण मठ।
- विवेकानंद, स्वामी (1961) हमारा भारत, नागपुर: रामकृष्ण मठ।

# राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक विचारधारा और उसकी उपादेयता

**आकांक्षा तिवारी**

यह शाश्वत सत्य है कि मनुष्य की सम्पूर्णता का विकास ऐसी शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, जो उसकी अन्तर्निहित दिव्य शक्तियों व क्षमताओं का प्रकटीकरण कर सके। मानवमात्र सहित सम्पूर्ण सृष्टि के मूलभूत आध्यात्मिक पक्ष की स्वीकार्यता द्वारा ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था सम्भव है। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट व खंडित करने का प्रयत्न किया तो समर्थ गुरु रामदास से लेकर महर्षि दयानन्द सरस्वती, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, महर्षि अरविन्द, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुषों ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के संरक्षण व संवर्धन के लिए भगीरथ प्रयत्न किये। ऐसे ही एक प्रयत्न का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि शिक्षा जीवन के विकास की प्रक्रिया है। वह जीवन की साधना है, जीवन का साक्षात् स्वरूप है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज देश का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। परन्तु फिर भी, जो लोग अभी उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्पर्क में नहीं आये हैं उन्हें उसके बारे में वास्तविक जानकारी अधिक नहीं है। अनेक लोगों में तो संघ के बारे में कुछ भ्रम भी है । इसके दो कारण हैं:- एक तो संघ की कार्य-पद्धति व्यक्ति-व्यक्ति को, एक-एक करके, व्यक्तिगत सम्पर्क और मित्रता के द्वारा होने वाली सहज-स्वाभाविक जानकारी के साथ संगठन से जोड़ने की रही है जिससे संगठन से जुड़ने या उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति ही उसे भली भाँति जान पाते थे। दूसरे, संघ के सदस्यों की निरन्तर बढ़ती विशाल संख्या को देखकर उसकी शक्ति को अपने लिए संभावित संकट मानने वाले लोग जानबूझकर उसके बारे में अनेक असत्य बातें गढ़कर विरोध-अभियान चलाते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कुहासे को छाँटने के लिए संघ के साठ वर्ष पूरे होने पर और संघ-संस्थापक डॉ. हेडगेवार की जन्म-शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दो बड़े जन-जागरण अभियान चलाये जिनके अन्तर्गत स्वयंसेवक नगर-नगर, ग्राम-ग्राम जाकर लोगों से मिले, उन्हें अपना ध्येय बताया और संघ का परिचायक साहित्य दिया। इससे बहुत कुछ सही जानकारी समाज में दूर-दूर तक पहुँची |

### राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पृष्ठभूमि

संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी अपने जीवनकाल में सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में चलने वाले समकालीन सभी कार्यों से सम्बद्ध रहे। अनेक महत्त्वपूर्ण आन्दोलनों का अनुभव किया। उन्होंने सार रूप में निम्न तथ्य सामने रखे -

- अपने समाज की कमजोरियों- स्वार्थपरता, अकेलेपन की भावना, देशभक्ति का अभाव, आत्महीनता, राष्ट्रीयता की भ्रामक कल्पना, संगठन का अभाव आदि) के कारण हम परतन्त्र हुए।
- आत्म-गौरव समाप्त होने के कारण लोगों को हिंदू कहने व कहलाने में लज्जा का अनुभव होता था।

- देशभक्ति है भी तो अँग्रेजों के विरुद्ध देशभक्ति की भावात्मक कल्पना का अभाव है।
- संगठन के अभाव में विभिन्न आन्दोलन बीच में रुक जाते थे।
- मुट्ठीभर लोगों से देश आजाद नहीं होगा, इसलिए पूरे देश को खड़ा होना होगा।
- देश का भाग्य भारतीयों के साथ जुड़ा है आदि।

- उपरोक्त आधारों पर डॉ. हेडगेवार साहब ने यह घोषणा की -
  - संघे शक्तिः कलियुगे।
  - शक्ति से ही सब कार्य सम्भव है।
  - शक्ति संगठन मे है।

**राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना -**

अपने इन्हीं अनुभवों से अपनी घोषणाओं के संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया कि देश की आजादी तथा राष्ट्र निर्माण के लिये विशुद्ध देशभक्ति से प्रेरित, व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त, अनुशासित और चरित्रवान लोगों का संगठन आवश्यक है। ऐसा संगठन स्वतंत्रता आन्दोलन की रीढ़ तो बनेगा ही, देश व समाज पर आने वाली हर विपत्ति का सामना भी कर सकेगा। इसी विचार से संघ का कार्य प्रारम्भ हुआ तथा डॉ. साहब ने संगठन के लिये 'शाखा' रूपी अभिनव पद्धति खोज निकाली। उस समय अनेक लोग कहते थे संगठन करना जिन्दा मेंढ़कों को तौलने के समान है, परन्तु डॉ. साहब इन बातों से विचलित नहीं हुए। दृढ़ संकल्प के धनी होने के कारण संगठन और व्यक्ति निर्माण के कार्य हेतु ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया तथा अपने जीवन काल में ही हर प्रान्त में कार्य पहुँचा दिया।

ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत में जब हमारी संस्कृति, धर्म व राष्ट्रीय चेतना का लगातार जन-मानस में अभाव होता जा रहा था, तो ऐसी ही संकट की घड़ी में पेशे से चिकित्सक डॉ0 केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भारतीय समाज को अपनी अस्मिता और साख के साथ जोड़कर एक संगठित सामर्थ्यशाली व सुदृढ़ राष्ट्र संरचना के रूप में पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 27 सितम्बर 1925 को विजय दशमी पर्व के शुभ अवसर पर नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित सेवा प्रकल्पों में अधिकांश सेवा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। स्थापना के समय से ही संघ से प्रेरित अनेक संगठनों व संस्थाओं ने कार्य करना आरंभ किया। स्वाभाविक ही इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शाखा की अनौपचारिक शिक्षण पद्धति के अतिरिक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव होती गयी और शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं व संगठन आकार ग्रहण करते गए।

वर्ष 1952 में संघ के शैक्षिक संगठन विद्या भारती ने नवोदित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा के साथ संस्कार देने के उद्देश्य से गोरखपुर के पक्की बाग में किराये के भवन में 'सरस्वती शिशु मन्दिर' की आधारशिला रखी। हालाँकि इससे पूर्व वर्ष 1946 में कुरूक्षेत्र में गीता विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। वर्तमान में 49 शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थान व महाविद्यालय समेत लगभग 23320 शिक्षण संस्थायें संचालित हैं, जिनमें लगभग 35 लाख छात्र-

छात्राएं शिक्षा एवं संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। विद्या भारती के अलावा सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, दीन दयाल शोध संस्थान व राष्ट्र सेविका समिति जैसे संघ के संगठन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के उन्नयन हेतु समय-समय पर कार्यशाला, संगोष्ठी व बैठक आयोजित करती रहती है और विभिन्न सुझाव के साथ सरकार को प्रस्ताव व मांग पत्र भी भेजती रहती है । संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के शब्दों में, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है ''मनुष्य को जीवन के अन्तिम लक्ष्य की ओर उन्मुख करना।'' उनका मानना था कि राष्ट्र का आधार मजबूत बनाना है तो छात्रों को संस्कारवान शिक्षा के साथ शक्तिशाली व चरित्रवान बनाना होगा, जिससे वह उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारे देश में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो भारत की संस्कृति पर आधारित हो , देश के भावी निर्माताओं को राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए तैयार करे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आर०एस०एस लगातार प्रयासरत है।

**राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा दर्शन:**

देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम वर्तमान समय में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक संगठन है और वह अपने सामाजिक कार्यों, सिद्धान्तों व विचारों के कारण ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व कार्यकर्ता भी सदैव चिन्तनशील होते हैं और समय-समय पर सामाजिक व शैक्षिक परिस्थिति के अनुसार नए-नए सिद्धांत विकसित करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव भारत केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था अर्थात जो भारत व देश के निवासियों के लिए हितकर हो, के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। संघ की इस भारत केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन व आधुनिक भारत के प्रचलित शिक्षा सिद्धान्तों का मेल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों व कार्यकर्ताओं ने अपने सिद्धान्तों में शिक्षा पद्धति के विभिन्न पहलुओं शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक, विद्यार्थी, मूल्यांकन, अनुशासन व विद्यालय सहित शिक्षा के लगभग समस्त अंगों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

**शिक्षा की अवधारणा:-** किसी भी शिक्षा पद्धति में तीन प्रमुख आयाम आवश्यक माने जाते हैं- शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसकी शिक्षण पद्धति। शिक्षा किस लिए दी जाये इसका उत्तर उसके उद्देश्य में विद्यमान है। शिक्षा में क्या दिया जाए , यह उसके पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। शिक्षा किस विधि से प्रदान की जाए , यह उसकी शिक्षण पद्धति बताती है। इन्हीं प्रश्नों का हल ही शिक्षा की संकल्पना को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही मानव शक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो मनुष्य अपनी शक्तियों, क्षमताओं का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता, वह सफलतापूर्वक जीवनयापन नहीं कर पाता है। द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर जी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। श्रीगुरुजी का विचार है कि ''हम समर्थ बनें, व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का जागरण कर आत्मिक शक्ति उत्पन्न कर समग्र समाज को सूत्रबद्ध करके एक शक्ति का विकास करें। इन शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों के द्वारा चतुर्विध पुरुषार्थ के अधिष्ठान पर निर्माण किया गया

जीवन सुखी, परंतु सुख-लोलुप नहीं, समृद्ध परन्तु समृद्धि में फंसा नहीं, अन्तिम लक्ष्य की उपासना में लीन एवं आदर्श जीवन का निर्माण ही शिक्षा का आदर्श है''।

**शिक्षा के उद्देश्य:-** शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य जीवन के उद्देश्यों से भिन्न नहीं है। दोनों में काफी अनुकूलता है। शिक्षा एक प्रणाली है, जिससे जीवन के उद्देश्य प्राप्त किये जाते हैं। शिक्षा मानव की उन अन्तर्निहित शक्तियों, कुशलताओं एवं गुणों का विकास करती है, जिनसे मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। संघ से जुड़े शिक्षा मनीषियों ने शिक्षा के उद्देश्य में पंचमुखी शिक्षा को प्रमुख माना है, जिसमें शारीरिक विकास, व्यावसायिक कुशलता, मानसिक क्षमताओं का विकास, नैतिक व आध्यात्मिक गुणों के विकास को शामिल किया है। इसके अलावा, शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, इन्द्रियों का विकास, चरित्र निर्माण, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, राष्ट्र प्रेम की भावना का उद्देश्य, सदाचार व सद्गुणों के विकास, जीवन लक्ष्य के प्रति सजगता की भावना का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, निर्भयता की भावना, स्वतन्त्रता की भावना, आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन, करूणा की भावना, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सद्भावना का विकास उद्देश्यों में शामिल है।

**पाठ्यक्रम:-** शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम अपनी संस्कृति व प्रकृति के अनुरूप हो, जो राष्ट्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा छात्रों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास में योगदान दे सके। दीनानाथ बत्रा के अनुसार ''शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन एवं जीने के लिए हो।'' संघ से जुड़े शिक्षाविदों का मानना है कि पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता व भौतिकता के साथ-साथ प्राचीनता एवं आधुनिकता का समन्वय हो। संघ व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु पाठ्यक्रम का समर्थन करता है तथा व्यावहारिकता एवं सिद्धान्तों के समन्वय व संतुलन का पक्षधर है। वे चाहते हैं कि अतीत का आधार लेकर वर्तमान के पाठ्यक्रम बनाये जायें। संघ गणित, विज्ञान, खेल, व्यायाम, सैन्य-शिक्षा, योगासन, प्राणायाम, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, सामाजिक विषय आदि के साथ-साथ व्यावसायिक कुशलता के विकास करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कर बच्चों का समग्र विकास करना चाहते हैं। संघ बाल केन्द्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम रखना चाहता है। उनका मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। पाठ्यक्रम भी बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। इसके अलावा योग आधारित शिक्षा, मातृभाषा, संस्कृत, त्रिभाषा फार्मूला, योग, आयुर्वेद, गृहशास्त्र, धर्मशास्त्र, उद्योग व संस्कृति के विषयों का समावेश हो। संघ ने मानविकी, गणित और विज्ञान तीनों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञान का अभिन्न अंग माना है। पाठ्यक्रम में समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐतिहासिक घटनाक्रमों, महापुरूषों के जीवन चरित्र, धार्मिक ग्रन्थों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, कृषि, वाचन क्षमता का विकास आदि को संघ ने समाहित किया है।

**शिक्षण पद्धति:-** भारतीय शिक्षा सिद्धान्तों, आदर्शों एवं शैक्षिक उद्देश्यों को साकार रूप देने वाली शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्राचीन भारत की शिक्षण पद्धति व आधुनिक पद्धतियों में समन्वय करना भी आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन पद्धति को आज के नवीन परिवेश में उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है और न ही प्राचीन के नाम पर उसे त्यागकर नवीन को पूर्णतः अपनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ का शिक्षण पद्धति के विषय में अपना एक अभिनव प्रयोग भी है, जो सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षण पद्धति के नाम से जानी जाती है। यह शिक्षण पद्धति विद्या भारती द्वारा संचालित है। इस शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता है

भारतीय संस्कृति एवं जीवन दर्शनों के अनुरूप संस्कार पद्धति के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करना। इस पद्धति में भारतीय मनोविज्ञान के संस्कार सिद्धान्त पर आधारित संपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापों की योजना तैयार की जाती है। विद्या भारती की इस शिक्षण पद्धति को अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के पांच सोपान हैं- अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग तथा प्रसार। इन पांचों सोपानों के माध्यम से छात्र सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अनुभवजन्य, सम्पूर्ण एवं स्थायी होता है। इसके अलावा भी संघ कुछ प्राचीन व अर्वाचीन शिक्षण पद्धतियों को आंशिक रूप से अपनाने का पक्षधर है- स्वाध्याय पद्धति, व्याख्यान पद्धति, प्रवचन पद्धति, वृहदारण्यक उपनिषद की श्रवण, मनन, निदिध्यासन, प्रश्नोत्तर पद्धति, कहानी पद्धति, नाट्य प्रयोग पद्धति, शंका समाधान विधि, तर्क-वितर्क विधि, प्रयोग विधि, वाद-विवाद पद्धति, शास्त्रार्थ पद्धति, परिचर्चा पद्धति, उपगुरू पद्धति, सिद्धान्त मूलक व दृष्टान्त मूलक पद्धति, दर्शन पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, हरबार्टीय पंचपदी पद्धति, योजना पद्धति, श्रवण पद्धति, इकाई पद्धति, कथा-कथन पद्धति, किण्डरगार्टन पद्धति, माण्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, बुनियादी शिक्षा पद्धति, शान्ति निकेतन शिक्षा पद्धति, गुरूकुल शिक्षा पद्धति, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति आदि हैं।

**शिक्षक:-** शिक्षक अपने ज्ञान, कौशल, प्रेम तथा सहानुभूति के द्वारा विधार्थी के जीवन का निर्माण करता है। शिक्षक का कार्य विषय शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह अपने आचरण के द्वारा छात्रों में मानवता का निर्माण करता है। शिक्षक के अन्दर ज्ञान परायणता, विद्यार्थी परायणता, आचार परायणता, धर्म परायणता व समाज परायणता के गुण होने चाहिये। संघ शिक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि वे ज्ञानी हों, सदाचारी हों और छात्रों के दिव्य स्वरूप को पहचानने वाले हों। संघ गिजुभाई बधेका को प्रेरक शिक्षक मानता है। संघ के अनुसार शिक्षकों को कर्तव्यनिष्ठ, पथ प्रदर्शक, प्रगतिशील, छात्रों से प्रेम, शिक्षण कला में निपुण, स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनिरीक्षक, मृदुभाषी प्रेरणास्रोत, आस्थावान, सदाचार, करूणावान, देशभक्त, समाज प्रेम आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वह मानसिक शान्ति, आत्म विश्वास, प्रसन्नता, निर्भयता और स्नेहयुक्त व्यवहार के साथ सदा सब परिस्थितियों में शान्तचित्त और धैर्यवान बना रहे।

**शिक्षार्थी:-** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, जो जिज्ञासु है, उसे ही विद्यार्थी कहते हैं। ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्रतिष्ठा, धन या सत्ता की प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि पैसा, प्रतिष्ठा या सत्ता की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है। संघ का मानना है कि विद्यार्थी में श्रद्धा, तत्परता व इन्द्रिय संयम होना चाहिये, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर पायेगा। शिक्षार्थियों के लिए ब्रहमचर्य का पालन भी आवश्यक है। इनका विश्वास है कि जब तक शिक्षार्थी इन्द्रियनिग्रह नहीं करते, उनमें सीखने के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और वे शिक्षक में श्रद्धा रखकर सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे न भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी की दिनचर्या नियमित व संयमित होनी चाहिये तथा वह अनुशासनबद्ध हो। संघ अपेक्षा करता है कि शिक्षक, शिक्षार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्सवों में सहभागिता और सेवाभावना , प्राकृतिक आपदाओं में सेवा प्रदान करने व देश दर्शन आदि का भाव जाग्रत करें।

**अनुशासन:-** किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनुशासन का होना नितान्त आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी शिक्षा प्रक्रिया में अनुशासन के विषय में भी विचार दिये हैं। संघ दण्ड व्यवस्था का प्रबल विरोधी है। वे आत्मानुशासन से अनुशासन की व्यवस्था लागू करने के पक्षधर है। संघ लोगों की असामाजिक व कुत्सित प्रवृत्ति के पीछे भी कहीं न कहीं तत्कालीन अनुशासन प्रणाली की कमी को ही मानता है। संघ स्वामी विवेकानन्द के अनुशासन को आधार मानता है और शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों से आत्मानुशासन की अपेक्षा रखते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थियों के समक्ष आत्मानुशासन का उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे, तो विद्यार्थी भी उनका अनुकरण करेंगे और उन्हें प्रेरणा मिलेगी, तो वे आत्मानुशासन की ओर बढ़ेंगे। संघ के अनुसार अनुशासन में दण्ड का विरोध, करणीय-अकरणीय कार्य का ज्ञान, उपद्रवी बालकों को दिशा-निर्देश, स्वतन्त्रता ही अनुशासन है, डांट-डपट का विरोध, अस्वस्थ स्पर्धा का विरोध तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास जैसी विशेषतायें शामिल की जानी चाहिये।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक विचारधारा भारतीय समाज व राष्ट्र को समर्पित है। वह अपनी शिक्षा के माध्यम से बालकों अर्थात भावी नागरिकों को अपने भारत का कुशल शिल्पी बनाना चाहते हैं। वह सदैव से चाहते हैं कि भारत देश उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे । पूरी शिक्षा प्रक्रिया भारत के समग्र विकास के प्रति समर्पित हो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक विचारधारा के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि संघ मनोविज्ञान आधारित शिक्षण विधि से बच्चों में निहित क्षमता के प्रस्फुटन का हिमायती तथा शिशु शिक्षा का उद्धारक है। यह राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक है। विद्या भारती के सरस्वती शिशु व विद्या मन्दिरों को भारत केन्द्रित शिक्षा पद्धति का आदर्श संवाहक कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नजर आती है। संघ भारतीय समाज और भारत की उन्नति व सर्वांगीण विकास की बात करता है, जो आज के समय की प्रबल आवश्यकता है। हमारे देश के अधिकांश महापुरूषों व शिक्षाशास्त्रियों ने भी अपने चिन्तन में सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा सरस्वती विद्या मन्दिर की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति में प्राचीन भारतीय व अन्य अनेक महापुरूषों की शिक्षण विधियों के आवश्यक मूल तत्वों का समावेश पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। भारत में प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षण पद्धतियों के मिले जुले रूप से निर्मित नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लम्बे समय से समर्थन करता आया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी भारत केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया है और संघ भी सदैव से भारत केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करता आया है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि संघ का शिक्षण पद्धति के विषय में चिन्तन आज भी प्रासंगिक है।

**आकांक्षा तिवारी**
**शोध छात्रा,शिक्षा संकाय**
**काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी**

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**


- अल्तेकर, ए.एस. (1958), प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, वाराणसी: मनोहर प्रकाशन।
- गुरुजी, श्री (1990), विचार नवनीत, नागपुर: संघ कार्यालय।
- श्री गुरूजी: दृष्टि और दर्शन (2005) नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (प्रथम संस्करण)।
- हेडगेवार, केशव बलिराम (2007) राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ, तत्व और व्यवहार (षष्ठम संस्करण), लखनऊ: लोकहित प्रकाशन।
- राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ लक्ष्य और कार्य-संकलन (2008) लखनऊ: लोकहित प्रकाशन।
- बत्रा, डी0एन0 (2008), विद्याभारती प्रदीपिका, नई दिल्ली: माता लीलावती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, एल-ब्लाक, हरिनगर, जनवरी-मार्च, वर्ष-30, अंक-2।
- तोमर, लज्जाराम (2010), शिक्षा के मूल सिद्धान्त, नई दिल्ली: सुरुचि प्रकाशन।
- तोमर, लज्जाराम (2012), प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, नई दिल्ली: सुरुचि प्रकाशन।
- काटदरे, इन्दुमति (2013), शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान, अहमदाबाद: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट।
- भागवत, मोहनराव (2013) हिन्दु नवोत्थान (दिल्ली के प्रबुद्ध नागरिकों के मध्य परिचर्चा), नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (चतुर्थ संस्करण)।
- भागवत, मोहनराव (2013) संघ का आह्वान जगे राष्ट्र-पुरूषार्थ (नागपुर में 14 अक्टूबर, 2013 को दिया गया बौद्धिक), नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (प्रथम संस्करण)।
- भावे, यशवन्त गोपाल व भावे इन्दुमति (2013) विनायक दामोदर सावरकर,, भोपाल: अर्चना प्रकाशन (द्वितीय संस्करण)।
- वैद्य, मा॰ गो॰ (2013) श्री गुरूजी-एक अनोखा नेतृत्व, नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (प्रथम संस्करण)।
- भिशीकर, सी॰ पी॰ (2014) केशव: संघ निर्माता, नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (तृतीय संस्करण)।
- गुरूजी, पटेल, नेहरू पत्र-व्यवहार (2014) नई दिल्ली: सुरूचि प्रकाशन (पंचम संस्करण)।

# भारत में स्वदेशी कलम उद्योग के संस्थापक

**डॉ०राधिकानाथ साहा**

अंग्रेजी राज में जब देश में कल-कारखानों की भारी कमी थी। यूरोप उस उन्नीसवीं सदी के दौर में वाराणसी में डॉ. राधिकानाथ साहा नामक एक युवा चिकित्सक ने स्वयं के द्वारा आविष्कृत फाउण्टेन पेन को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य से बनाने के लिए कारखाना लगाया। इस युवा चिकित्सक ने पूर्ण स्वदेशी साधनों पर आधारित कलम उद्योग लगाकर स्वदेशी जागरण आन्दोलन का वाराणसी में श्री गणेश कर देश की आर्थिक आत्म निर्भरता की दिशा में 1907 में स्वदेशीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। राधिकानाथ साहा ने कलम सहित अपने अन्य सभी उद्योगों की मशीनें देशी साधनों से स्वयं अपने हाथ से बनाई थीं। उनके द्वारा वाराणसी में स्थापित कलम का कारखाना भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी कलम उद्योग था। इस कारखाने में बनी कलमों का प्रयोग देश के शीर्षस्थ जनों के द्वारा किया गया।

इस युवा चिकित्सक ने एक ओर जहाँ उन्नीसवीं सदी में बंगाल में चल रही भारतीय पुनर्जागरण की धारा को वाराणसी में प्रवाहित किया, वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में हो रहे आद्योगिक और आर्थिक विकास की तरह भारत की धरती पर वाराणसी महानगर में कई अन्य छोटे उद्योग लगाकर देश की आर्थिक प्रगति की दिशा में स्वदेशी प्रयास से वाराणसी से स्वदेशी औद्योगिक क्रांति का बिगुल फूंका।

**राधिकानाथ साहा की पृष्ठभूमि** :

इस उद्योग-प्रेमी भारतीय चिकित्सक का जन्म भारतीय स्वदेशी पुनर्जागरण की प्रारम्भकर्ता भूमि बंगाल के कोलकाता महानगर के चिनसुरा नामक मुहल्ले में सन् 1870 में 21 जून को हुआ था। इनके पिता ब्रजनाथ साहा सम्मानित भाषाविद्, चर्चित शल्य-चिकित्सक, समाज सुधारक और शिक्षाविद् थे। डॉo ब्रजनाथ साहा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिक्षकों में से थे।

डॉ. राधिकानाथ साहा ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई अपने समय के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता से औषधि, शल्यकर्म और एक्सरे जैसे विषयों में विशेष योग्यता के साथ 1905 ई. में पूरी की। सर्वाधिक अंक प्राप्ति के फलस्वरूप उन्हें उस वर्ष का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी विशेष योग्यता को ध्यान में रखकर बंगाल की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सहायक शल्य-चिकित्साधिकारी के पद की पेशकश की थी। डॉo राधिकानाथ साहा ने इस सरकारी पेशकश को ठुकराकर जनता की सेवा के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी खोजों में सक्रिय भागीदारी निभाने के उद्देश्य से निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता दी।

**स्वदेशी प्रौद्योगिकी में रुचि** :

19वीं सदी के काल खण्ड में जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक पुनर्जागरण की लहर चल रही थी, डॉ0 राधिका नाथ उससे गहराई तक प्रभावित हुए। उनके समक्ष बंगाल के तत्कालीन स्वदेशी विज्ञान प्रेमी डॉo महेन्द्र लाल सरकार, आचार्य जगदीश चन्द्र बसु, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय, मेघनाथ साहा और सत्येन्द्र नाथ बसु जैसे राष्ट्र प्रेमी पुरुषों के कृतित्व ने आदर्श के रूप में प्रेरित कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया था। खोजी प्रवृत्ति के डॉ० साहा अपने चिकित्सकीय कार्य के साथ ही हमेशा नई औद्योगिक तकनीकों की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने अपने घर में ही चिकित्सालय के साथ प्रयोगशाला भी बना रखी थी। वे चिकित्सकीय कार्य के साथ ही नियमित रूप से तरह-तरह के तकनीकी प्रयोग करते रहते थे। वस्तुतः डॉo

राधिकानाथ बंगाल के स्वदेशी वैज्ञानिक पुनर्जागरण के अन्य पुरोधा आचार्यों - जगदीश चन्द्र बसु, ,आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय और चन्द्रशेखर वेंकट रमन की तरह अभावग्रस्त भारत में औद्योगिक आर्थिक उन्नति के लिए विज्ञान और तकनीकी सहयोग से इन महान वैज्ञानिकों की तरह स्वयं के द्वारा बनाये गये उपकरणों के बल पर देश को विश्वस्तर पर ले जाने के पक्षधर थे।

**काशी आगमन** :

सन् 1902 ई. में डॉ० राधिका नाथ साहा के पिता ब्रजनाथ साहा अपने पूरे परिवार के साथ काशी आकर लक्ष्मीकुण्ड मुहल्ले में बस गये। काशी आने पर उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। तत्कालीन काशीराज प्रभुनारायण सिंह जी ने उन्हें अपने दरबारी सभासद का पद प्रदान कर सम्मानित किया।

**काशी में औद्योगिक गतिविधि** – परिवार के साथ काशी आकर द्वारिकानाथ साहा डॉक्टरी प्रैक्टिस के साथ ही प्रयोग और नई तकनीकों की खोजों में लग गए। उन्होंने स्वनिर्मित साधनों की सहायता से नए प्रयोग कर स्वदेशी फाउन्टेन पेन का निर्माण कर डाला। अपनी इस नवीन भारतीय खोज को बाजार में ले जाने के लिए उन्होंने आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय के बंगाल केमिकल वर्क्स की तरह वाराणसी में 'लक्ष्मी स्टाइलो पेन वर्क्स' की स्थापना की। इस कारखाने में बनी कलमों पर उन्होंने भारत के साथ ही जर्मनी इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में छह पेटेन्ट प्राप्त किए। उनकी इस सफलता की कहानी को अमेरिका की चर्चित विज्ञान पत्रिका साइन्टिफिक अमेरिकन ने प्रकाशित किया।

**डॉ० साहा के कलमों की मांग :**

वाराणसी में डॉ० राधिका नाथ साहा के द्वारा लक्ष्मी स्टाइलो पेन वर्क्स में बने स्वदेशी कलम का प्रयोग करने वालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं0 मदन मोहन मालवीय, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शिव प्रसाद गुप्त जैसे प्रसिद्ध लोग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल (1912-1917) लार्ड कारमाइकल ने गवर्नर्स कैम्प बंगाल से स्वयं पत्र भेजकर डॉ० राधिकानाथ साहा से उनके छह पेटेन्ट प्राप्त कलमों को वी.पी.पी. से भेजने के लिए दिनांक 24 फरवरी 1926 को पत्र लिखा था।

**डॉ० साहा की अन्य खोजें :**

कलम निर्माण के अतिरिक्त डॉ0 राधिका नाथ साहा ने कई अन्य उपयोगी खोजें भी की, जिनमें स्वचालित कैलेण्डर के निर्माण तथा शुद्ध स्वास्थ्यप्रद आटा पीसने वाली चक्की का उपयोगी डिजाइन तैयार किया। इस आटा चक्की से प्राप्त होने वाला आटा जलन-रहित होता था। इन खोजों के अतिरिक्त डॉ० साहा ने सिनेमा-प्रदर्शन के क्षेत्र में भी कार्य किया। उन्होंने सिनेमा-प्रदर्शन तकनीक को अच्छी तरह समझने के लिए लन्दन पेरिस, बर्लिन आदि स्थानों की यात्रा कर सिनेमा-प्रदर्शन तकनीक की बारीकियों के विषय में व्यापक जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने 'गामो पालेस कम्पनी' से सिनेमा मशीन खरीद कर दि लक्ष्मी होम सिनेमा की स्थापना कर, सिनेमा-प्रदर्शन का भी कार्य किया। उनके प्रयास से प्रतिवर्ष वाराणसी के लक्ष्मी कुण्ड में एक मास तक लगने वाले प्राचीन 'सोरहिया मेला में प्रतिदिन लक्ष्मी होम सिनेमा के द्वारा तीन से चार शो दिखाए जाते थे। डॉ० साहा ने सिनेमा उद्योग के प्रचार-प्रसार का भी कार्य किया। सिनेमा -प्रदर्शन के साथ वे स्वनिर्मित स्लाइडों से शिक्षा के प्रसार का काम भी करते थे।

**भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में लेखन :**

प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नई तकनीकों की खोज करने के अलावा स्वदेशी कलम उद्योग के संस्थापक डॉ० राधिकानाथ साहा लेखनी-संचालन में भी सिद्ध पुरुष थे। एक उच्च स्तरीय चिंतक और लेखक के रूप में उन्होंने कई मौलिक पुस्तकों की भी रचना की । अपने विद्वान पिता के साथ मिलकर उन्होंने 1896 ई. में 'अंग्रेजी भाषा की स्टाइलोग्राफी' नामक पुस्तक की रचना की। इसी क्रम में 1899 ई. में बांग्ला वर्णमाला के लिखने के साथ ही उसे

सिखाने की मौलिक और वैज्ञानिक विधि वाली दो खण्डों में 'सरल वर्ण-ज्ञान' शीर्षक पुस्तक की रचना की। उन्होंने व्याकरण, उच्चारण और संरचना के अनुरूप वर्णों की बनावट के अनुसार तुलनात्मक भाषा विज्ञान और बांग्ला वर्णमाला के मूल स्रोत के सम्बन्ध में स्वतंत्र लेख भी लिखे । उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 'रोमान्स ऑफ पेन इण्डस्ट्रीज' है जो संयुक्त प्रान्त के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर 'सर जान ह्यूवेट को समर्पित है। एक सफल और मेधावी शोधकर्ता होने के साथ स्तरीय लेखन-क्षमता के चलते उन्होंने अपने मूल विषय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी पुस्तक-लेखन कार्य किया। इस क्षेत्र में उन्होंने अपने चिकित्सक और भाषाविद्, समाज सेवी पिता डॉ० ब्रजनाथ साहा के साथ संयुक्त रूप से 'कैपिलरी ब्रूट' नामक पुस्तक की रचना की।

**समाज सेवा** - एक जागरूक समाज सेवी के रूप में उन्होंने समाज-हित के अन्य कार्यों में हाथ बटाया। 1911 ई. में उन्होंने अखिल भारतीय किंग एडवर्ड स्मारक ,दिल्ली और किंग एडवर्ड अस्पताल, वाराणसी को आर्थिक सहयोग प्रदान कर जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया।

**महात्मा गांधी द्वारा डॉ० साहा के पेन का उपयोग** - महात्मा गांधी के सम्बन्ध में लिखने वाले चर्चित लेखक पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर द्वारा "रेमिनिसन्स ऑफ गांधी-स्वीट एण्ड सैड' शीर्षक लेख में लिखा है कि राष्ट्रपिता ने 1939 से 1944 तक जिस स्वदेशी पेन का प्रयोग किया वह राधिकानाथ साहा के द्वारा वाराणसी में स्थापित कारखाने में बना था। यह कलम वाराणसी में उन्हें चर्चित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी दैनिक समाज पत्र 'आज' प्रेस के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

**अन्य प्रयास :**

डॉ० साहा ने स्वदेशी उपक्रमों की शृंखला में 'दी लक्ष्मी होम सिनेमा',' दी लक्ष्मी फ्लावर मिल' और 'दी लक्ष्मी स्टाइलो पेन' जैसे उद्योगों की स्थापना कर वाराणसी से भारतीय जनगण के बीच स्वदेशी वस्तुओं को पहुँचाया था। । एक समाज सेवी चिकित्सक होने के नाते वाराणसी में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने निवास स्थान 'टेम्पल आफ एनर्जी' में आधुनिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का भी प्रयास किया। इसके लिए उन्हें त्रिपुरा के तत्कालीन राजा राधा किशोर ने सहयोग का वादा किया था, लेकिन एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी।

**सम्मान :**

डॉ० राधिकानाथ साहा के स्वदेशी कलम के चलते विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनियों में उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप 13 पदक प्राप्त हुए थे। उनका नाम भारत सरकार के स्टेशनरी विभाग को आपूर्ति करने वाली निर्माण सामग्री के निर्माणकर्ताओं में शामिल किया गया।

**डॉ० साहा की सोच** :

डॉ० राधिका नाथ साहा देश के विकास के लिए औद्योगीकरण और मशीनीकरण के प्रबल समर्थक थे। एक उद्योग-प्रेमी के रूप में उनका मानना था कि 'समय ही पैसा है और 'औद्योगिक जीवन सैनिकों के जीवन की तरह है। उनका मत था कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

डॉ० साहा के संबंध में समस्त सामग्रियों को उनके पौत्र चर्चित कला शिल्पी शुभजीत साहा ने अपने निवास स्थान कमच्छा में संजोकर रखा है।

श्री जगनारायण
कृषि एवं ग्राम्य पत्रकार,वाराणसी

# डॉ. कलाम के विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी विचारों की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता

**संध्या यादव एवं डॉ0 अमित कुमार**

*सारांश - डॉ. कलाम के विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी विचार वर्तमान परिस्थिति में काफी सहायक है। इसकी उपयोगिता कोरोना महामारी/संक्रमण काल में डिजिटल शिक्षा के रूप में उभरकर सामने आयी है, जो छात्रों के पठन-पाठन को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायक सिद्ध हुई है। डॉ. कलाम रोजगारपरक एवं नैतिक शिक्षा के पक्षधर रहे तथा देश को बेरोजगारी एवं गरीबी से मुक्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि विज्ञान एवं तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इससे किसानों एवं मजदूरों को फायदा पहुँचाने के साथ ही तेज गति से देश का औद्योगिक विकास किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार भी देश में बेरोजगारी एवं निर्धनता को कम करने के लिये विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग करने पर बल दे रही है। हालाँकि इससे बेरोजगारी की स्थिति में सुधार में तो पर्याप्त सहायता मिली है किन्तु गरीबी के न्यूनतम दर तक पहुँचने में नाकाम रही है।*

*विजन 2020 में डॉ. कलाम ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी का* आह्वान किया *।डॉ.कलाम के निर्देशन में ISRO ने एडयूसेट उपग्रह (EDUSAT/ GSAT 3) का प्रक्षेपण किया था, जो पूर्णतया शैक्षणिक उपग्रह है। इस उपग्रह द्वारा शैक्षणिक जगत् में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है तथा यह दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है।*

*डॉ. कलाम शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे ताकि शिक्षा पूर्ण करने के बाद छात्र रोजगार के लिये न भटककर रोजगार प्रदाता बने। डॉ. कलाम के इस विचार को नवीन शिक्षा नीति 2020 में भी स्थान देते हुए इसमें व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग तथा डिजिटल शिक्षा पर बल दिया गया है ।*

वर्तमान समय विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। विज्ञान एवं तकनीकी ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर उसके जीवन को सरल, सुगम एवं आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके कारण मानव जीवन और उससे चारों ओर के परिवेश में व्यापक परिवर्तन आया है।

यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान एवं तकनीक से शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है जिसने इसके सभी आयामों जैसे- विद्यालय के प्रशासन, रख-रखाव, पढ़ाने के तरीकों, शिक्षक प्रशिक्षण आदि को वृहत् स्तर पर प्रभावित किया है। नई तकनीक की सहायता से छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहूलियतें आई हैं तथा उनमें कौशल का विकास कर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया है। इसने छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों को प्रभावित किया है।

डॉ. कलाम के विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी विचारों ने शैक्षणिक जगत को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। उनका मानना था कि हमें छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा देने के साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिये। व्यावहारिक शिक्षा के बल पर छात्रों के सामने भविष्य में जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वह स्वयं का रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकेगा। वहीं आध्यात्मिक शिक्षा उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण होगी ।

बालक को एक कर्त्तव्यनिष्ठ योग्य नागरिक बनाने में पहले माता-पिता तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षक उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और बालक के बड़े होने पर राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग जगत् से जुड़े लोग उसके मार्गदर्शक हो सकते हैं (कलाम, 2002/2006, पृ. 39)।

डॉ. कलाम का मानना है कि बालक ही दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा विज्ञान ने जन्म लिया क्योंकि बालकों में प्रश्न करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है तथा उनके सर्वाधिक प्रश्न विज्ञान पर ही आधारित होते हैं। अतः डॉ. कलाम कहते हैं कि बालक को प्रश्न करने की पूरी छूट मिलनी चाहिये जिससे उनकी सृजनात्मकता का क्रमिक विकास होता रहे तथा बालक की सृजनात्मक शक्ति को सही दिशा मिल सके।

शिक्षा ही वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को विनम्र एवं समाज के लिये उपयोगी बनाने के साथ ही उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये प्रेरित करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज करना होना चाहिये। इस सत्य की खोज करने में अध्यापक केन्द्र बिन्दु हो सकता है। अध्यापक को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासा को धैर्यपूर्वक शांत करना चाहिये। आज की युवा पीढ़ी ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहती है जो उनके सृजनात्मकता का पोषण करने वाली तथा उनको समाज एवं राष्ट्र के उपयोगी और आत्मनिर्भर बना सके। एक अच्छी शिक्षण प्रणाली में यह गुण होना चाहिये कि वह बालक की तीव्र जिज्ञासा को शांत करने वाली हो। शैक्षणिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमें में विकासोन्मुखी गतिविधियों को शामिल करना चाहिये तथा ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये जो विकसित भारत की सामाजिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा समाज की भावी पीढ़ी को सामाजिक परिवर्तन के सभी पहलुओं के प्रति अनुकूल व समर्थ बना सके (कलाम, 2013, पृ. 57)।

वर्तमान शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिये, अतः वास्तविक जीवन में आ रहे बदलावों के साथ तालमेल स्थापित करने के लिये शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आवश्यक है। इस बदलाव में विज्ञान एवं तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः देश की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने।

विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये अन्वेषण एवं अनुसंधान को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिये। वर्तमान समय में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा पाकर भी रोजगार नहीं पा रहे हैं जो यह इंगित करता है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है। शिक्षा संबंधी नई-नई नीतियों के बनने के बाद भी शिक्षा को रोजगारपूर्ण बनाने में वांछित सफलता नहीं मिल सकी । युवकों को अपने देश में पर्याप्त संसाधन एवं अपार संभावनाओं के बाद भी रोजगार के लिये विदेश जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अगर यही प्रतिभा देश की उन्नति में लगायी जाये तो भारत शीघ्र ही विकसित राष्ट्र बन सकेगा।

डॉ. कलाम अपने विचारों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नौकरी है कहाँ? स्नातक की पढ़ाई पूरा करने के बाद लगभग 10 प्रतिशत लोग ही अनुसंधान के क्षेत्र में जा पाते हैं, शेष 90 प्रतिशत लोग नौकरी ढूँढ़ने के लिये दर-दर भटकते हैं। हमें नवयुवकों में यह भावना लानी होगी कि 'हाँ, मैं कर सकता हूँ'। ऐसे विद्यार्थी, जो उद्यमशीलता की भावना रखते हैं, उन्हें बैंकों द्वारा ऋण प्रदान कर लघु उद्योग-धंधे खड़ा करने में सहयोग देना चाहिये। इस तरह देश में रोजगार माँगने वालों की संख्या घटेगी तथा ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने वालों की संख्या बढ़ेगी

(कलाम, 2008, पृ. 106)। वर्तमान में सरकार भी बेरोजगारी को कम करने के लिये प्रयासरत हैं। पिछले दो वर्षों 2019-2020 में कोरोना महामारी/संक्रमण के कारण सरकार के सामने बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आयी, परन्तु राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) के जुलाई-सितम्बर 2021 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी की दर घटी है, पहले जुलाई से सितम्बर 2020 में यह दर 13.2 प्रतिशत थी परन्तु जुलाई-सितम्बर 2021 के दौरान यह घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई है।

यद्यपि सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये प्रयासरत है, किन्तु बेरोजगारी को न्यूनतम दर तक पहुँचाने में सफल नहीं हो पा रही है। डॉ. कलाम कहते हैं कि बेरोजगारी एवं गरीबी से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम इस पर बुनियादी स्तर से ही कार्य करना शुरू करेंगे। गरीबी भारत की सबसे बड़ी समस्या है, विज्ञान द्वारा इसे कम किया जा सकता है।

डॉ. कलाम ने गुजरात यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि गुजरात ने देश को बहुत कुछ दिया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल से लेकर विक्रमसारा भाई तक ने विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से देश को सम्पन्न राष्ट्र बनाने की कोशिश की। अब समय आ चुका है, सभी एकजुट होकर देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सम्पन्न बनाने के लिये कार्य करें जिससे देश विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी में पहुँच सके । अब नई दृष्टि से खाद्य, प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना-प्रौद्योगिकी, कृषि, संचार सभी क्षेत्रों में सभी को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकेगा।

डॉ. कलाम कहते हैं कि भारत सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्'की भावना से विश्व के सभी देशों से अपना संबंध निभाता आया है तथा अग्रणी देशों में अपना नाम स्थापित करता रहा है। हमने विगत वर्षों में शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मीडिया, जनसंचार, उद्योग धंधों में अपनी सफलता स्थापित की है। परन्तु देश में प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। उनमें से भी एक बड़ी संख्या कुपोषण के शिकार हैं तथा पर्याप्त जागरूकता न होने से वे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। अतः हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही उनको साक्षर बनाया जाये तथा गरीबी से मुक्त किया जाय (रन्तू, 2002, पृ. 41, 179)।

डॉ. कलाम ईसरो में कार्य करने के दौरान परियोजना महानिर्देशक के पद पर नियुक्त हुये तथा इन्हीं के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 1980 को प्रथम स्वदेशी उपग्रह रोहणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, डॉ. कलाम ने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि आदि मिसाइलें देकर भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ख्याति दिलाई। डॉ.कलाम के ही निर्देशन में 11-13 मई, 1998 को पाँच परमाणु उपकरणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत परमाणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्रों में शामिल हो गया।

'ताकत ही ताकत का सम्मान कर सकती है न कि कमजोरी' (कलाम, 2006, पृ. 78)। यहाँ ताकत का आशय सैन्य बल एवं आर्थिक सम्पन्नता से है। यानि एक देश दूसरे देश का तभी सम्मान करेगा जब उसमें खुद भी आर्थिक सम्पन्नता एवं सैन्य बल रखने की क्षमता होगी।

शैक्षणिक उपग्रह एड्यूसेट उपग्रह का प्रक्षेपण, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था, जिसका प्रक्षेपण ईसरो (ISRO) द्वारा 20 सितम्बर, 2004 को किया गया था। इस उपग्रह ने पठन-पाठन तथा दूरस्थ शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूरवर्ती शिक्षा उन लोगों के लिये काफी सहायक सिद्ध हुई है जो दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा शैक्षणिक संस्थाओं की पहुँच से दूर हैं या किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं और उनमें पुनः पढ़ाई करने की लालसा है। ऐसे लोगों को दूरस्थ शिक्षा ने अपनी लचीली प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक फायदा पहुँचाया है। हालांकि डॉ. कलाम का मानना है कि जो अध्यापक वर्ग कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाता है, उसका बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खास कर माध्यमिक शिक्षा तक अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो शिक्षा कक्षा के अंदर प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा को डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। अतः उनका मानना है कि दूरवर्ती शिक्षा कक्षा शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती किन्तु दोनों एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

कोरोना महामारी/संक्रमण के काल में जब छात्रों का पठन-पाठन कार्य अवरुद्ध हो गया था, इस परिस्थिति में डिजिटल शिक्षा ने उनके पठन-पाठन को सुचारू रूप से जारी रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

देश में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 2022-2023 के वार्षिक बजट में एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी के कारण विश्व भर में डिजिटल मीडिया, वर्चुअल कक्षाएँ, वर्चुअल दीक्षांत समारोह, ईमेल, इंटरनेट, ई-मेटेरियल के माध्यम से पठन-पाठन सुचारू रूप से जारी रहा। अतः इसके लाभों को देखते हुए भविष्य में डिजिटल विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोरोना महामारी के काल की विपरीत परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की कितनी अधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में डॉ. कलाम के विचार काफी प्रासांगिक हैं तथा उनके विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनेकों महत्वपूर्ण विषयों से पूर्णतया मेल खाते हैं।

जिस प्रकार डॉ. कलाम माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी माध्यमिक स्तर (कक्षा 6-8) पर बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है।

'कक्षा 6-8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक दस दिन के बस्ता रहित पिरियड में भाग लेंगे। इस दौरान वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6-12 तक के छात्रों की छुट्टियों के दौरान विभिन्न व्यावसायिक विषयों को समझने के लिये अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। डिजिटल माध्यम से भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराया जा सकता है।'(NEP 2020, p. 23)

आर्थिक सम्पन्नता नवीन खोजों द्वारा ही सम्भव है। आर्थिक सम्पन्नता को बढ़ाने के लिये विज्ञान एवं तकनीकी को सिर्फ रोजगार देने एवं निर्यात तक सीमित न करते हुये, इसमें और शोध करने तथा इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

बी.बी.सी. न्यूज में डॉ. कलाम के विजन-2020 लेख में एक विश्लेषण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया था कि अब तक भारत इसमें कितना सफल रहा है। डॉ. कलाम ने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना दी थी और इसको पूरा करने के लिये सभी के दायित्वों को भी निर्धारित किया गया था। सरकार देश के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सकती है तथा आम नागरिक भी अपने स्तर से इसमें किस प्रकार योगदान दे सकता है, का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

डॉ. कलाम का मानना था कि विज्ञान एवं तकनीकी विकास और भारत के आम नागरिकों की कोशिश से वर्ष 2020 तक भारत की साक्षरता दर 80 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी। इस वर्ष, NSO रिपोर्ट 2020 आई है जिसमें भारत की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत बताया गया है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि डॉ. कलाम विज्ञान एवं तकनीकी एवं आध्यात्मिक संबंधित विचार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त रूप से प्रासंगिक है जिसका स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर दृष्टिगोचर होता है। यदि डॉ. कलाम के विचारों का अक्षरशः पालन किया जाता है तो शीघ्र ही हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा और हमारी शिक्षा व्यवस्था नवीन तकनीकी युक्त होगी जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उन्हें रोजगार के पर्याप्त साधन मिलेंगे तथा उनका सर्वांगीण विकास होगा। यदि डॉ. कलाम के विचारों को धरातल पर उतारा जाता है तो शीघ्र ही भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँच जायेगा।

**संध्या यादव**
**शोध छात्रा, शिक्षा शास्त्र विभाग,**
**आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज**
**डॉ0 अमित कुमार**
**असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग,**
**आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

**सन्दर्भ सूची :**

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल., तिवारी, अरुण. (1999). विंग्स ऑफ फायर : एन आटोबायोग्राफी. इण्डिया : यूनिविर्सिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड.

कलाम, ए.पी.जे., राजन, वाई.एस. (1998). इण्डिया 2020 : अ विजन फार द न्यू मिलेनियम. इण्डिया : पेंगुइन बुक्स.

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल., तिवारी अरुण. (2008). विजयी भव "You Are Born To Blosson". (श्री अखिलेश, अनु.). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल. (2013). भारत की आवाज : युवा पीढ़ी के सपनों, सरोकारों और महत्वाकांक्षाओं का दस्तावेज (महेन्द्र. कुलश्रेष्ठ, अनु.). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन. (प्रथम संस्करण 2010).

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल., तिवारी, अरुण कुमार. (2006), हमारे पथ प्रदर्शक (सचिन. सिंघल, अनु.). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन

रामनाथन, आर. (2005). क्या है कलाम? (श्रीमती दीपिका. रानी, अनु.). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन.

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल. (2006). तेजस्वी मन (अरुण. तिवारी, अनु.). नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन (मूल प्रति प्रकाशित 2002)

जय, जनक राज. (2007). भारतीय लोकतंत्र और हमारे राष्ट्रपति. दिल्ली : परमेश्वरी प्रकाशन.

मिश्रा, भगवतीशरण. (2012). भारत के राष्ट्रपति. दिल्ली : राजपाल एण्ड सन्ज.

रन्तू, डॉ. कृष्ण कुमार. (2002). राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम : रामेश्वरम् से राजपथ तक. जयपुर : बुक एन्क्लेव.

कुलकर्णी, तुषार. (2020, अक्टूबर 20). डॉ. कलाम के 'विजन 2020' को कितना हासिल कर पाया भारत?. BBC News हिन्दी, Retrieved from https://www.bbc.com/Hindi/india_54555237

कुमार, लक्ष्य. (2022, मार्च 23). भारत में बेरोजगारी पर सामने आया नया सर्वे, जाने क्या कहते हैं आकड़े. जागरण, Retrieved from https://m.jagran.com/business/bi3-unemployment-rate-in-India-near-about-10-percent-in july-september-2021-NOS-Surey--22564635.html

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

बजट प्रस्ताव-2022-2023 : वित्त मंत्रालय बजट अनुभाग, फरवरी 2022

*******

# रचनात्मकतावाद शिक्षण - वर्तमान समय की आवश्यकता

**डॉ. मीना भंडारी**
**डॉ.निशि त्यागी**

भारत की शिक्षा व्यवस्था में, प्रमुख रूप से प्राथमिक शिक्षा में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। आवधिक परिवर्तन अतीत में देखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि या तो उनकी भली भांति योजना नहीं बनाई गयी या उन्हें ठीक से क्रियान्वित नहीं किया गया I इस क्षेत्र में सुदृढ़ प्रयासों की अत्यधिक आवश्यकता है कि कैसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी और छात्र केंद्रित बने I

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और उन्हें अपेक्षित अधिगम में परिणाम लाने के लिए शिक्षा में कैसे लागू किया जाए,यह विचारणीय है। यदि इन सिद्धांतों को सही भावना से क्रियान्वित किया जाये तो वे निश्चित रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली में, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

रचनात्मकतावाद की अवधारणा शिक्षण में रचनात्मकता , छात्र केंद्रित ,सक्रिय सीखने के अनुभव, छात्रों में आपस में और छात्र-शिक्षक बातचीत, समस्याओं को यथार्थ में हल करने की भावना पर आधारित है। रचनात्मकतावादी दृष्टिकोण का दर्शन प्रत्येक शिक्षार्थी को न केवल सोचने में सहायता करता है, अपितु ज्ञान की एक संरचना बनाने में सक्षम बनाता है, जो अंततः समाज में ज्ञान बनाने के किसी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगा। कैनेला और रिफफ (1994) के अनुसार रचनात्मकतावाद शिक्षण इस तर्क पर आधारित है कि अधिगम कर्ता सक्रिय रूप से अर्थ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं न कि निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने में I

शिक्षार्थी अर्थ और ज्ञान के निर्माता हैं । Dewey और Jean Piaget जिन्होंने बाल विकास और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध किया है, रचनात्मकतावाद शिक्षण उपागम से प्रभावित हैंI

रचनात्मकतावाद शिक्षण में Piaget की भूमिका से पता चलता है कि हम उन अनुभवों द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार करके सीखते हैं जो बचपन से वयस्कता तक खेलने के माध्यम से उत्पन्न होते हैं एवं जो सीखने के लिए आवश्यक हैं। रचनात्मकतावाद अधिगम सिद्धांत के अनुसार समस्त ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है।

शिक्षार्थी एक खाली स्लेट नहीं हैं और ज्ञान बच्चे को उसकी वर्तमान धारणाओं के अनुसार अनुभव कराने के बिना प्रदान नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी सबसे अच्छा तब सीखते हैं, जब उन्हें चीजों का अनुभव करने के आधार पर उनकी व्यक्तिगत समझ का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है और वह उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है| यह रचनात्मकतावाद शिक्षण का उपयोग करने के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक हैI रचनात्मकतावाद में शिक्षार्थी को यह प्रशिक्षण देना चाहिए कि वह अपने स्वयं के सीखने के अनुभवों के लिए पहल करें I

Twomey Fosnot (1989) ने रचनात्मकतावाद का चार सिद्धांतों के आधार पर वर्णन किया है:

1-सीखना हमारे पिछले ज्ञान पर निर्भर करता है |

2-जब हम अपने पुराने विचारों को बदलते हैं तब हम नए विचारों को भी बदल लेते हैं |

3-सीखने में यांत्रिक रूप से तथ्यों को जमा करने के बजाय विचारों की खोज करना शामिल है |

4-जब पुराने विचारों पर पुनर्विचार हो तो नए निष्कर्ष सामने आते हैं |

पियाजे (1977) का दावा है कि सीखना निष्क्रिय अर्थ प्राप्त करने के बजाय सक्रिय निर्माण से होता है। उनका मानना है कि शिक्षार्थी जब अपनी सोच और धारणा में संघर्ष का सामना करता है तब वह असंतुलन का अनुभव करता है। नए ज्ञान को ढ़ालकर और आत्मसात करके इस स्थिति को दूर किया जा सकता है। हमें सोच के अपने पुराने तरीके से नई जानकारी को समायोजित करना चाहिए और सोच के एक उच्च स्तर के लिए हमारे वर्तमान ज्ञान का पुनर्गठन होना चाहिए I

व्यक्तिगत निर्माण के सिद्धांत (केली, 1991 ) ने भी समान विचार व्यक्त किये हैं | उनके अनुसार 'हम मानसिक निर्माण या पैटर्न बनाते हैं और उसके माध्यम से दुनिया को देखते हैं । हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हम अपने आसपास की चीजों के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जब हम एक नए अनुभव का सामना करते हैं,तब हम नए अनुभव पर इन पैटर्न को समायोजित करने का प्रयास करते हैं|

**रचनात्मकतावाद का महत्व**

रचनात्मकतावाद न केवल शिक्षार्थियों को सहज भाव से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में सक्षम है, अपितु यह संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह छात्रों को समस्या को सुलझाने के कौशल का विकास करने में सहायता भी प्रदान करता है |

जब शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आते हैं तब रचनात्मकतावाद उनमें अपने निष्कर्ष निकालने के लिए सोच और तर्क कौशल की क्षमता भी पैदा करता है, क्योंकि वे वतर्मान के साथ अपने नए ज्ञान को एकीकृत करना जारी रखते हैं, जबकि वे नए रास्ते और समाधानों के संपर्क में हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने निर्णयों और निष्कर्षों का स्वयं मूल्यांकन करने में सक्षम बनाये जाते हैं Iइस विधि में वे एक चिंतनशील सोच भी विकसित करते हैं जिसमें वे दुनिया को अधिक यथार्थवादी तरीके से समझते हैं |रचनात्मकतावाद उनमें व्यावहारिक सोच विकसित करता है, जो उन्हें वैकल्पिक स्थितियों में अपने अनुभवों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों को अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी तरीके से दूसरों के साथ संवाद करने का भी कौशल प्रदान करता हैI

रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों की पहल को समाहित करता है इसलिए वह स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करके, बाह्य वस्तुओं से संबंधित करने की क्षमता विकसित करता है और विद्यार्थी जो अधिगम प्राप्त करता है, उसके लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण व्यक्त करता है।

रचनात्मकतावाद शिक्षार्थी को आत्मविश्वास विकसित करने और शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आंतरिक प्रेरणा प्रदान करने में सहायता करतI है जो उसके मनोबल को सुदृढ़ करता है और उसके आत्मसम्मान को भी बल देता है I

**रचनात्मकतावाद कक्षा**

यदि यह परिवर्तन उल्लेखनीय शिक्षण में प्रतिमान है, तो इस तरह की कक्षा प्रक्रिया के अनुरूप समायोजित करने के लिए पारंपरिक कक्षा वातावरण की आवश्यकता होती है। चाक और टॉक विधि की पुरातन तकनीक को सहकारी अधिगम गतिविधि के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। पारंपरिक विद्यालयी प्रणाली समग्र एवं एक दूसरे के बीच मौखिक दृष्टिकोण नहीं है | यह छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है I

एक लोकतांत्रिक कक्षा का माहौल साझा जिम्मेदारी और निर्णय लेने पर बल देता है। ऐसी कक्षा सीखने के लिए मानव अनुभव को महत्व देती है |यह विचार छोटे समूहों, व्यक्तियों का आवास, और, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण गतिविधियों जैसे विचारों और विचारों के आदान-प्रदान में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और सीखने के बारे में निर्णय लेने और लचीले नियम पैदा करने की जिम्मेदारी का समर्थन करता है | यहाँ शिक्षक स्वयं के प्रदर्शन के स्थान पर छात्रों के अधिगम पर केंद्रित है। इस तरह की कक्षा इसलिए आत्म-विनियमन है क्योंकि छात्रों को खुलकर नियंत्रित करने के बजाय, एक रचनात्मकतावाद शिक्षक ऐसी कक्षा की संरचना करता है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक अपने पर्यावरण के नियंत्रण में हिस्सा ले सकें।

लेस्टर और ओनोर (1990) का विचार है कि, 'कक्षा में किसी भी एक क्षेत्र में परिवर्तन करना संभव नहीं है जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि ज्ञान शक्ति और नियंत्रण किसके पास है '

छात्र सशक्तिकरण और स्वायत्तता रचनात्मकतावाद शिक्षण में प्रमुख लक्ष्य हैं, कक्षा में शक्ति संरचना को बदलना इस तकनीक की वांछित क्रिया है। इसलिए रचनात्मकतावाद कक्षा पर्यावरण समावेशी, लोकतांत्रिक, इंटरैक्टिव और छात्र केंद्रित है । यहाँ छात्र सक्रिय हैं, क्योंकि उनके पास एक शिक्षक है जो एक सुविधादाता/सलाहकार के रूप में होता हैI वह न केवल ज्ञान का प्रशिक्षण देता है बल्कि शिक्षार्थी और उसके समक्ष परस्पर सामान होता है | एक रचनात्मकतावाद कक्षा में सीखने का रिश्ता न केवल छात्रों के लिए अपितु शिक्षकों के लिए भी लाभप्रद है।

**रचनात्मकतावाद कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका**

आज पारंपरिक शिक्षकों को ऐसे कौशलों में निपुण किया जा रहा है जो अपने व्यावसाय में उन्हें प्रभावी बनाने में सज्जित करते हैं। परन्तु कक्षा में शिक्षार्थी की विविधता को उनके अनुरूप सीखने की आवश्यकताओं के मामले में क्षमता और जागरुकता का बेहद अभाव है। आज प्रायः शिक्षकों द्वारा छात्रों को तैयार करने और पढ़ाने के स्थान पर उन्हें ज्ञान प्रदान करने का प्रचलित अभ्यास और शिक्षार्थियों की अवधारणाओं के साथ जुड़ने और परीक्षाओं के बाद केवल भूलने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है|

चूंकि शिक्षक पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का प्रधान है, इसलिए शिक्षक की भूमिका शिक्षण के रचनात्मकतावाद मॉडल में एक प्रमुख स्थान पर है। यहां शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की पहल करता है ताकि विद्यालय में शिक्षार्थी को दिए जाने वाले शैक्षिक अनुभव वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें और सार्थक रूप से संगठित भी हों।

चूंकि रचनात्मकतावाद एक लेनदेन पाठ्यक्रम का पालन करती है, इसलिए छात्र नई समझ तक पहुंचने के लिए अपने सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इस तरह की कक्षा इस उद्देश्य पर केंद्रित है कि शिक्षक के पास छात्रों को उन अनुभवों के साथ प्रदान करने का कौशल है जो उन्हें परिकल्पना, भविष्यवाणी, अनुरूप आवश्यक बदलाव करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें नए ज्ञान की खोज और उत्कृष्ट बनाने में योगदान करते हैं। शिक्षक की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने की है। वह छात्रों को अपने अनुभवों, पूर्व ज्ञान और धारणाओं के साथ-साथ उनके भौतिक और पारस्परिक वातावरण को पहचानने में मदद करता है ताकि ज्ञान और अर्थ का निर्माण किया जा सके । एक रचनात्मकतावाद शिक्षक एक स्मार्ट शिक्षक है जो लचीले ढंग से और रचनात्मक रूप से कक्षा में चल रहे अनुभवों को बातचीत और छोटे समूहों और व्यक्तियों के साथ ज्ञान के निर्माण में शामिल करने की क्षमता रखता है। रचनात्मकतावाद शिक्षण का मानना है कि छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल शिक्षक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि छात्रों द्वारा स्वयं निर्माण और स्वयं सीखा जाता है जिसमें शिक्षक केवल ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में प्रशिक्षणदाता और सुविधाप्रदाता है । इसलिए इस ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा विकास की एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें केंद्रीय भूमिका शिक्षार्थी द्वारा निभाई जाती है तथा जो अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माता और रचनाकार होते हैं |

**रचनात्मकतावाद निर्माणवादी रणनीतियां**

रचनात्मकतावाद अधिगम के लिए एक प्रक्रिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है और गतिविधियां सीखने के लिए एक प्रक्रिया दृष्टिकोण अपनाती हैं।

**रचनात्मकतावाद कक्षा के लिए गतिविधियां**

**प्रयोग और परियोजनाएं** : छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं और फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक वर्ग के रूप में सहयोगात्मक रूप से एक साथ आते हैं।

**अनुसंधान परियोजनाएं**: छात्र एक विषय पर शोध करते हैं और अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

**फील्ड यात्राएं**: छात्रों को एक वास्तविक दुनियां के संदर्भ में कक्षा में चर्चा की अवधारणाओं और विचारों को रखने की स्वायत्तता प्रदान की जाती है |

**चलचित्र (फिल्म) प्रदर्शन** : ये दृश्य संदर्भ प्रदान करते हैं और इस प्रकार सीखने के अनुभव में एक और भावना लाते हैं।

**वर्ग चर्चा**: रचनात्मकता की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है।

**कैंपस विकी**: ये शिक्षार्थियों को सहायक सीखने के संसाधन बनाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं |

**रचनात्मकतावाद कक्षा में शिक्षार्थी और शिक्षक**

रचनात्मकतावाद कक्षा की एक प्रमुख विशेषता इसकी इंटरैक्टिव प्रकृति है। और एक छात्र केंद्रित रचनात्मकतावाद कक्षा में छात्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक चर्चा के कारण शिक्षण अधिगम में गुणवत्ता उभर कर आती है I

**निष्कर्ष**

'रचनात्मकतावाद' आज चर्चा शब्द बन गया है |इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षण अधिगम पर इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा हैI इसने शिक्षा को प्रभावी, छात्र-केंद्रित और उपयोगी बनाने के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है क्योंकि रचनात्मकतावाद एक सक्रिय और विद्यार्थी-केन्द्रित प्रक्रिया है | इसमें शिक्षार्थी कैसे शिक्षा प्राप्त करता है, विकसित करता है, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, पर विचार किया जाता है | ' (एयरएशियन वॉल्श, 1997 ) । रचनात्मकतावाद शिक्षण-अधिगम के लिए एक ऐसा वातावरण बनाता है, जो शिक्षार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण,सुरक्षित और, सुविधा पूर्ण होता है और जो वर्तमान परिवेश में उनके जीवन के निकट एवं प्रासंगिक होता है।

रचनात्मकतावाद दर्शन को समझने के अलावा, शिक्षकों, प्रशासकों और पाठ्यक्रमों को लागू करने में शामिल अन्य लोगों को इस प्रकार के परिवर्तनों को भली-भांति समझने की आवश्यकता है जिससे वे अनुदेश के अधिक परंपरावादी रूपों से रचनात्मकतावाद के द्वारा पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की रणनीतियों में सार्थक परिवर्तन किया जा सके।

**डॉ. मीना भंडारी**
**अध्यक्ष , एजुकेशन स्कूल**
**आई सी एफ ए आई यूनिवर्सिटी ,देहरादून |**
**डॉ.निशि त्यागी**
**असिस्टेंट प्रोफेसर ,स्कूल ऑफ़ एजुकेशन ,शारदा यूनिवर्सिटी**
**ग्रेटर नोएडा |**

## संदर्भ सूची **References**

Applebee, A.N. (1993). Literature in the secondary school: Studies of curriculum and instruction in the United States. Urbana, Il: National Council of Teachers of English.

- Adeya,N.C(2002) 'ICTs and Poverty: A Literature Review"(Internat)UNESCO: Available form http:www.idrc.cen/ev-24718-201-1DO_TOPIC.html
- Andrey Grey (2003) ' The road to knowledge is always under construction- A life History Teaching to Constructivist Teaching
- Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: The development of self, voice, and mind. New York: Basic Books.
- Bentley, A.F. & Dewey, J. (1949). Knowing and the known. Boston: Beacon Press.

# संस्कृत शिक्षण में नवाचार का प्रयोग : एक समालोचनात्मक अध्ययन

**डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार**

संस्कृत भाषा के वैशिष्ट्य को बताते हुए,प्रथम संस्कृत आयोग (1956) का कथन है कि "आधुनिक आर्यभाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं और जहां तक द्रविड़ भाषाओं का संबंध है वह भी अपने साहित्यिक प्रयोग के आदिकाल से ही, संस्कृत के द्वारा पालित और पोषित हैं" यह कथन भारतीय भाषाओंपर संस्कृत के अवदान को बताने के लिए काफी है किन्तु संस्कृत केवल भाषायी रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का मेरुदंड सदृश है। इसीलिए संस्कृत के विषय में कहा जाता है 'भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा'अर्थात् संस्कृत भाषा , भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार है। इस विषय पर कोई संदेह भी नहीं है किन्तु उक्त कथन संस्कृत के विषय में,सिक्के का केवल एक पहलू ही है | सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जनगणना 2011 के अनुसार संस्कृत को 'मातृभाषा' के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या मात्र 24821 थी जोकि कुल जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं का <0.01 प्रतिशत ही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान भारतीय समाज, संस्कृत भाषा के ज्ञान को,भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में एक संस्था के रूप में असफल ही रहा है।यद्यपि संस्कृत भाषा के हस्तांतरण में अनेक बाधाएं हैं किंतु संस्कृत शिक्षण में नवाचार और बालकेंद्रिता का अभाव भी,इस हस्तांतरण में एक बड़ा कारण है।वर्तमान में संचालित विद्यालयीय शिक्षण व्यवस्था में प्राय: सभी भाषाओं का शिक्षण व्याख्यान विधि से ही किया जाता है जोकि बालक/ विद्यार्थी की वैयक्तिक भिन्नता को स्वीकार नहीं करता है।इसलिए यह परमावश्यक है कि शिक्षण में नवाचार का समावेश किया जाए, विशेष रूप से संस्कृत भाषा के शिक्षण में, किन्तु शिक्षण में किये जाने वाले नवाचार का स्वरूप क्या होगा? इसका समावेशन किस प्रकार किया जाएगा? इसके समावेशन में क्या-क्या चुनौतियां हो सकती हैं?प्रस्तुत शोध आलेख में, इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

**मुख्य बिंदु-** नवाचार,व्यूहरचना, स्कैफ्फोल्डिंग,जेड .पी.डी.

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में, न केवल संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रावधानों पर ही संस्तुति की गई है अपितु वर्तमान में संचालित संस्कृत अध्ययन-अध्यापन की सम्पूर्ण व्यवस्था को ही आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर बल दिया गया है।स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् से ही, भारतीय भाषायी और सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का वक्तव्य है कि "संस्कृत ने हम भारतीय लोगों के मन में इतनी छाप छोड़ी है कि हम चेतन मस्तिष्क से उसको जान भी नहीं पाते। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य राष्ट्रिय है किन्तु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक है इसीलिए जो व्यक्ति एवं संस्कृति विशेष के अनुयायी नहीं थे वे भी इस भाषा के प्रति आकर्षित हुए थे"। संस्कृत भाषा के इसी महत्त्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा संस्कृत प्रचार-प्रसार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति से अभी तक देश भर में सत्रह संस्कृत विश्वविद्यालयों, सोलह सौ से अधिक संस्कृत महाविद्यालयों और विद्यालयों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है।ये तो केवल वे संस्थान हैंजो पूरी तरह संस्कृत भाषा के संरक्षण-संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त

सामान्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। अगर बात करें संस्कृत के प्रचार-प्रसार में किये जाने वाले खर्च की तो वर्ष 2017 से 2020 तक, केंद्र सरकार द्वारा 643.84 करोड़ रूपये संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु खर्च किए गए।[1] यह वित्तीय विवरण केवल केंद्र सरकार द्वारा किये गये खर्च का है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी अपने-अपने स्तर पर संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु खर्च किया गया है और निरंतर किया जा रहा है। यही नहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेक आयोग/समितियां गठित की गईं | उदहारण स्वरूप विश्वविद्यालय आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, प्रथम संस्कृत आयोग 1956, शिक्षा आयोग 1964,राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति 1992, राष्ट्रिय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, द्वितीय संस्कृत आयोग 2014, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 इन सभी आयोगों एवं समितियों ने संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु अपनी-अपनी संस्तुतियां दी हैं।संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इतने प्रयासों के बावजूद , हम संस्कृत के विकास में उस सीमा तक सफल नहीं हो पाए हैं जिस सीमा तक सफल होने का लक्ष्य नीतिनिर्माताओं ने रखा था।जाहिर तौर पर इस समस्या के अनेक कारण होंगे जैसे मानवीय और भौतिक संसाधनों की कमी, वित्त का सही प्रबंधन न होना, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभाव,शोध हेतु उचित वातावरण का अभाव इत्यादि | किन्तु इन सभी के अतिरिक्त विद्यार्थियों का संस्कृत अध्ययन के प्रति उदासीन होना भी बड़ी समस्या है। इस उदासीनता की समस्या को यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान में संचालित संस्कृत अध्ययन-अध्यापन में नवाचारिता का नितांत अभाव है।इसके कारण विद्यार्थी या तो संस्कृत अध्ययन में रुचि नहीं लेते और लेते हैं तो बहुत ही कम ।इस समस्या के निवारण हेतु संस्कृत शिक्षण अधिगम में नवाचार का समावेशन आज के समय में मांग है।इसके (नवाचार) समावेशन से, विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, सक्रिय रूप से तो भाग लेते ही हैं साथ ही वह पढाई जा रही विषय सामग्री का अवबोधन सरलता और रोचकता के करते हैं ।यहाँ अगर बात करें नवाचार की तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक द्वारा, शिक्षण-अधिगम हेतु, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें विद्यार्थी ज्यादा सक्रिय और जिज्ञासु होकर,सम्पूर्ण(शिक्षणाधिगम) प्रक्रिया में सहभाग लेता है। ऐसे नवाचारी शिक्षण में, विद्यार्थी ज्यादा सृजनशील, चिंतनशील तथा आलोचनात्मक होकर, विषयवस्तु का अवबोधन करता है। इस प्रकार के रोचक वातावरण के निर्माण के लिए जिन शिक्षणविधियों/ सामग्री का प्रयोग किया जाता है वे सभी नवाचारित शिक्षण विधियों की श्रेणी में आते हैं। इस शोध आलेख में इसी प्रकार की कुछ नवाचारित शिक्षण विधियों पर चर्चा की जाएगी।

**स्कैफ्फोल्डिंग-** रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की(1896 -1934)ने अपनी पुस्तक 'विचार और भाषा'(Thought and language) में इस संप्रत्यय पर विस्तार से चर्चा की है। कालांतर में जिरोमब्रूनर(1915-2016) ने इसका समर्थन किया है।इस संप्रत्यय के अनुसार एक व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि से अधिगम करता

किन्तु यदि उसको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल जाये तो सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है।इस स्कैफ्फोल्डिंग प्रक्रिया में एक अनुभवी व्यक्ति,(More knowledgeable others / MKO)अनुभवहीन व्यक्ति को सीखने में मदद करता है |उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति (अनुभवहीन) साइकिल चलाना सीखना चाहता है।इस परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति (अनुभवी) साइकिल को पकड़कर चलाना सिखाता है ताकि वह साइकिल सीखने में कुशल हो सके। जिससे धीरे-धीरे दूसरे व्यक्ति (अनुभवी) के सहयोग से, पहले व्यक्ति(अनुभवहीन) के संज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में, साइकिल चलाने का कौशल जुड़ जाता है यहाँ यह बात भी ध्यातव्य है कि सीखने के लिए अनुभवी व्यक्ति पर, अनुभवहीन व्यक्ति की निर्भरता ना हो। स्कैफ्फोल्डिंग में, व्यक्ति केवल अनुभवहीन व्यक्ति को सीखने में मदद करना चाहता है ना कि उसकी सीखने में निर्भरता बढ़ाना चाहता है। एक अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त अनुभव और ज्ञान से अनुभवहीन व्यक्ति के मस्तिष्क में जो अनुभव या ज्ञान जुड़ता है उसे वाइगोत्सकी ने संभावित विकास का क्षेत्र (Zone of proximal development/ ZPD) कहा है। संभावित विकास क्षेत्र को अधोलिखित ग्राफ से भी समझ सकते हैं-

संभावित विकास का क्षेत्र, बालकों के अधिगम का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब विद्यार्थियों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान मानसिक स्तर से थोड़ा अधिक कठिन हो, तो वे अधिगम प्राप्ति में ज्यादा सजग और सक्रिय हो जाते हैं। यह क्षेत्र हमें बताता है कि विद्यार्थियों को अधिगम से जोड़ने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए क्योंकि इस अवस्था में विद्यार्थी चुनौतियों को स्वीकार करके, उन्हें पूरा करने में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं।विद्यार्थियों को दिया जाने वाला कार्य ना तो बहुत आसान हो, ना ही बहुत कठिन हो, अन्यथा की स्थिति में,वे कार्य करने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं।

**सहपाठी/समवयस्क समूह (Peer Learning) अधिगम-**

इस प्रकार की अधिगम प्राप्ति योजना में, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को कुछ कार्य करने को दिया जाता है विद्यार्थी अपने समूह में ही कार्य करते हुए, परस्पर सहयोग से सीखते हैं |इस क्रम में सीखा गया ज्ञान मस्तिष्क में चिरस्थायी रहता है। इस प्रकार से किये जाने वाले अधिगम में, विद्यार्थी न केवल विषयवस्तु का अवबोधन करते हैं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से,इस योजना से वह अपने अंदर नेतृत्त्व, सहयोग, और परस्पर सामंजस्य की भावना को भी विकसित कर रहा होता है।विद्यार्थी अपने समान योग्यता एवं सम आयु वाले सहपाठियों के साथ स्वतंत्र, सक्रिय और सजग होकर, प्रजातांत्रिक वातावरण में परस्पर सहयोग करते हुए, पाठ्यसामग्री को सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में, विद्यार्थी दूसरों के विचारों को सुनना, उनका आदर करना तथा उन्हें स्वीकार करना सीखता है। सहपाठी/

समवयस्कअधिगम, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करता है।अगर बात करें संस्कृत शिक्षण के संदर्भ में सहपाठी/ समवयस्क अधिगम के प्रयोग की तो इस प्रकार के अधिगम (सहपाठी/समवयस्कसमूह) की संकल्पना पुराकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देती है।गुरुकुलों में परस्पर संवाद की एक सुदीर्घ परम्परा रही है जहाँ गुरु और शिष्य, सम आयु वर्ग के विद्यार्थियों, परस्पर आश्रम के विद्यार्थियों तथा कभी-कभी राजा और शिष्य के मध्य संवाद होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य में पारस्परिक संवादात्मक शैली का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है |उदाहरण स्वरूप यम-यमी संवाद, सरमा-पणी संवाद, पुरुरवा-उर्वशी संवाद इत्यादि। आज आवश्यकता है संस्कृत शिक्षण में इसके और प्रभावी रूप से प्रयोग किये जाने की जिससे संस्कृत शिक्षण को रोचक और जीवंत बनाया जा सके।

**फ्लिप शिक्षण(Flipped Teaching)-**इस प्रकार के शिक्षण में विषयवस्तु का वर्चुअल माध्यम से अधिगम किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में कक्षा काफी जीवंत हो जाती है तथा कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिगम हेतु और ज्यादा सक्रिय हो जाता है जिससे वह पढ़ाई जा रही विषयवस्तु को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। इस प्रकार के शिक्षण में,शिक्षक पाठ्यसामग्री का प्रस्तुतीकरण वर्चुअल माध्यम से करता है जिससे कक्षा का वातावरण ज्यादा सजीव हो जाता है जिससे विद्यार्थी शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में, अपनी सृजनशीलता और दक्षता का रुचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। इसी सन्दर्भ में अगर हम बात करें संस्कृत शिक्षण की तो कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न वर्चुअल सामग्री का प्रयोग करके, पाठ्यसामग्री का अवबोध कराया जा सकता है |उदहारण स्वरूप यदि शिक्षक कक्षा में अलंकार पढ़ाना चाहता है तो इसके लिए वर्चुअल सामग्री का प्रयोग कर सकता है। इससे विद्यार्थी पाठ्यसामग्री का अवबोध सरलता से कर सकते हैं। इस शिक्षण के अनुप्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं जैसे इसके प्रयोग हेतु शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती जिसके अभाव में इस विधि का प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता है।

**मिश्रित /ब्लेंडेड अधिगम(Blended Learning)-**

यह अधिगम की मिश्रित व्यवस्था या प्रणाली है। इस व्यवस्था में विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में सीखता है और दूसरा भाग डिजिटल या ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में सीखने का स्थान, विधि, सामग्री, समय तथा गति विद्यार्थी के नियंत्रण में होती है। यह अधिगम प्रणाली सिखाने के पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ, डिजिटल सामग्री, ग्राफ, थ्रीडीपाठ्यसामग्री, सॉफ्टवेयर, वेब तथा ऑनलाइन माध्यमों के प्रयोग पर बल देती है जिससे कक्षागत शिक्षण को तो रोचक और प्रभावी बनाया ही जाता है साथ ही विद्यार्थी को सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन हेतु अभिप्रेरित भी किया जाता है। इस अधिगम प्रणाली की कुछ सीमाएं भी हैं जिनको एक ध्यान में रखकर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे यह अधिगम प्रणाली तकनीक पर काफी निर्भर है तो शिक्षक को डिजिटल और ऑनलाइन संसाधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करना आना चाहिए अन्यथा की स्थिति में कक्षा शिक्षण बाधित होगा। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में तकनीक से जुड़े उपकरणों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैब इत्यादि की आवश्यकता होती है जिसके अभाव में मिश्रित अधिगम का प्रयोग करना संभव नहीं है। संस्कृत शिक्षण में मिश्रित अधिगम का प्रयोग करना एक प्रभावी कदम होगा क्योंकि संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में अनेक ऐसे प्रकरण हैं जहाँ इस व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत पाठ्यपुस्तकों में एक प्रकरण है तृतीया विभक्ति/ करणकारक का प्रयोग (व्याकरण) | एक सूत्र है 'सहयुक्तेऽप्रधाने'इसका अर्थ है सह शब्द के प्रयोग में जो व्यक्ति अप्रधान या गौण है उसके लिए करण कारक होता है और करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में शिक्षक थ्रीडी या

डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके शिक्षण प्रभावी तो बनाता ही है, इसके साथ ही विद्यार्थी भी रचनाशीलता हेतु अभिप्रेरित होता है।

**ट्युटोरियल अधिगम** –पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था में प्राय: यह देखा जाता है कि कक्षा (विद्यार्थी संख्या आधार पर) का आकार बड़ा होने के कारण, शिक्षक व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों के साथ अंतर्क्रिया नहीं कर पाता है जिसके कारण विद्यार्थी की अधिगम से सम्बंधित समस्या को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान पाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है की विद्यार्थी निरंतर अधिगम स्तर पर पिछड़ता जाता है और कालांतर में विद्यालय ही छोड़ देता है। इसी व्यक्तिगत स्तर अंतर्क्रिया के अभाव के कारण, भारत में अवरोधन (Drop out) एक बड़ी समस्या है। अवरोधन से आशय है जब कोई विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा प्राप्ति हेतु विद्यालय में पंजीकृत होता है किन्तु किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्ति को पूरा किये बिना ही विद्यालय छोड़ देता है तो उस समस्या या परिस्थिति को अवरोधन कहा जाता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस(UPISE+) के रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर ड्राप आउट रेट 14.6% रहा है |कोरोना काल में इस ड्राप आउट रेट में और भी वृद्धि हुई होगी। अगर बात करें ट्युटोरियल की तो यह प्रभावी शिक्षण अधिगम के संचालन हेतु एक उपयोगी प्रणाली है। इसके प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है तदुपरांत उस समूह को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सामूहिक या वैयक्तिक रूप से कार्यों को प्रदान करता है। इस प्रणाली में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जिससे उस विद्यार्थी में अभिव्यक्ति कौशल का तो विकास होता ही है साथ ही उसके अन्दर आत्मविकास की भावना का भी संचार होता है। यह व्यवस्था विद्यार्थी में प्रजातान्त्रिक माहौल में अपने विचार को प्रकट करना, दूसरों के विचार को सुनना तथा उस पर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करने की योग्यता को विकसित करती है।

**संस्कृत शिक्षण में नवाचार** –

प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है जिसको ध्यान में रखकर, शिक्षक को अपने शिक्षण योजना का निर्माण, आयोजन तथा उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गणित विषय की अपनी प्रकृति (कठिनाई स्तर, विषय साम्यता इत्यादि) है |इस परिस्थिति में एक गणित शिक्षक को इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण योजना (शिक्षण विधि, युक्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन इत्यादि) का क्रियान्वयन करना होता है। इस विचार को ध्यान में रखकर ही एक संस्कृत शिक्षक को अपनी योजना का निर्माण, आयोजन तथा उसका क्रियान्वयन करना चाहिए अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के अधिगम में बाधाएं आयेंगी। इसलिए प्रभावी संस्कृत शिक्षण हेतु शिक्षक को सर्वप्रथम संस्कृत विषय की शिक्षण प्रकृति को जानना होगा ताकि उसकी प्रकृति के अनुसार अपनी शिक्षण योजना बना सकें। जब एक सार्थक शिक्षण योजना का निर्माण हो जाता है तो फिर उसका प्रभावी आयोजन सरलता से किया जा सकता है। उपर्युक्त नवाचार की विधियों का प्रयोग भी विषय की प्रकृति के अनुरूप ही किया जा सकता है। एक ही विषय को अलग-अलग विधियों से पढ़ाया जा सकता है किन्तु इनका प्रयोग कब करना है? कैसे करना? यह सब शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित होता है | इन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षक को ही करना होता है। जैसे व्याकरण के किसी प्रकरण पर ट्युटोरियल का प्रयोग करना ज्यादा उपयोगी होगा क्योंकि व्याकरण की प्रकृति चर्चा मूलक है। इस पर जितनी चर्चा-परिचर्चा करेंगे, विषय का ज्ञान उतना ज्यादा होगा। इसीलिए इस पर ट्युटोरियल का प्रयोग ज्यादा प्रभावी होगा किन्तु यदि साहित्य का कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो मिश्रित/ ब्लेंडेड अधिगम का प्रयोग ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी तरह यदि शिक्षक को कोई नाटक को पढ़ाना है तो वह समवस्यक या सहपाठी शिक्षण का प्रयोग कर

सकता है क्योंकि इसमें  व्यक्तिगत संवाद ज्यादा होता है और नाटक जैसी विधा के अध्यापन में संवाद और व्यक्तिगत चर्चा की ज्यादा आवश्यकता होती है |ऐसी परिस्थिति में समवस्यक या सहपाठी शिक्षण का प्रयोग ज्यादा उपयोगी होगा। किन्तु यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि किसी नवाचारित विधि की सफलता उसके प्रयोगकर्ता अर्थात् शिक्षक की कुशलता पर भी निर्भर करती है इसीलिए यह परमावश्यक है कि शिक्षण में नवाचार की विधियों का ज्ञान शिक्षक को भली प्रकार से हो तभी संस्कृत शिक्षण में नवाचार का प्रयोग संभव हो सकता है।

**निष्कर्ष**- संस्कृत भाषा के प्रचार- प्रसार के लिए यह परमावश्यक है कि उसका शिक्षण विद्यालयों में उचित रीति से किया और कराया जाये ताकि विद्यार्थी इसके अधिगम हेतु अभिप्रेरित हो सकें । संस्कृत शिक्षण प्रभावी संचालन हेतु नवाचारित विधियों का प्रयोग किया जाये। इस नवाचार के प्रयोग में यद्यपि अनेक विधियाँ हैं किन्तु इसमें मुख्य रूप से स्कैफ्फोल्डिंग, सहपाठी/समवयस्क समूह अधिगम, फ्लिप  शिक्षण, मिश्रित/ ब्लेंडेड अधिगम, ट्युटोरियल  अधिगम हैं जिनका प्रयोग करके न केवल संस्कृत शिक्षण, अपितु अन्य विषयों के शिक्षण को भी रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। संस्कृत शिक्षण में नवाचार के प्रयोग की आवश्यकता तो है किन्तु इससे भी ज्यादा यह जरूरी है कि शिक्षक विद्यार्थी की आवश्यकता, योग्यता और अपेक्षाओं को समझे और उसके अनुरूप अपनी शिक्षण की रूपरेखा बनाये अन्यथा नवाचार की समस्त कवायद निस्फलीभूत ही सिद्ध  होगी।

**डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार**
**असिस्टेंट प्रोफेसर ,शिक्षा संकाय (सी.आई.ई)**
**दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली** |

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-**

1. एन. सी. एफ, 2005  (हिंदी प्रारूप).
2. राष्ट्रिय शिक्षा नीति, 2020  (हिंदी प्रारूप).
3. सिंह कर्ण, 2007, संस्कृत शिक्षण विधि, एच्.पी.भार्गव बुक हॉउस आगरा.
4. कुमार ज्ञानेंद्र,2018 हिंदी भाषा शिक्षण संस्करण प्रगतिशील प्रकाशन नई दिल्ली.
5. मंगल उमा, 2007, हिंदी भाषा शिक्षण, आर्य बुक डिपो करोल बाग़ नई दिल्ली
6. गोदरे विनोद 1991,प्रयोजनमूलक हिंदी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
7. कंसलहरिबाबू, बंधुसुधांशु, 1991, राजभाषा हिंदी: संघर्षों के बीच, नई दिल्ली.
8. **Baran and Mishra (2016),** Psychology, Pearson Publication, Tamil Nadu, India.
9. **Mangal.S.K. (2018),** Advanced Educational Psychology, PHI Learning Private limited, Delhi.

.10 https://sites.google.com/site/qim501eiddmockingjay/discussion

# नोएडा शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का अध्ययन

**डॉ. अंशु माथुर**

**प्रस्तावना**

पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज विश्व को अनेक प्राकृतिक ,आर्थिक और सामाजिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है |पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष मानव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं , यह अत्यंत विचारणीय है |आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं |मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में विनाश की ओर भाग रहा है |वह पृथ्वी के संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर चुका है ,जिसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं है |जब प्रकृति और मनुष्य का संतुलन अधिक बिगड़ गया तब से मनुष्य ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है | आज इसीलिए शिक्षा में सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जा रहा है | पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख तीन कार्य हैं :-

1.पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करना |

2.पर्यावरण संरक्षण के प्रति समझ विकसित करना |

3.मनुष्य और शेष जगत के बीच अंतर्संबंधों को समझना |

पर्यावरण जागरुकता के अभाव से उत्पन्न भयावह स्थिति ने सभी लोगों को इस पर विचार व शोध करने के लिए बाध्य किया है |इस सन्दर्भ में आज समाजशास्त्र , शिक्षा,वनस्पतिविज्ञान तथा भूगर्भ विज्ञान में शोध किए जा रहे हैं | इस विषय की महत्ता देखकर शोधकर्ता ने नोएडा शहर के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरुकता का अध्ययन किया है |

**शोध विषय :**

नोएडा शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का अध्ययन |

**अध्ययन के उद्देश्य**

**मुख्य उद्देश्य :** उच्चतर माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरुकता का अध्ययन करना |

**गौण उद्देश्य :**

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

2- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

5. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

7. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता का तुलनात्मक अध्ययन करना |

परिकल्पनाएँ :

1.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

2.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

3.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

4.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

5.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

6.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

7.उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

शोध विधि : प्रस्तुत लघुशोध में जनसंख्या के रूप में नोएडा शहर के शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को लिया गया है |प्रस्तुत शोध में जनसंख्या की व्यापकता को देखते हुए संभाव्य न्यादर्श की यादृच्छिक विधि द्वारा छः विद्यालयों का चयन किया गया जिसमें से उच्चतर माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान संकाय के 160 विद्यार्थियों का चयन किया गया है |प्रस्तुत लघुशोध में प्रदत्तों के संकलन हेतु डॉ.( श्रीमती )विपिंदर नागरा के द्वारा निर्मित 'पर्यावरणीय जागरुकता परीक्षण ' का प्रयोग किया गया है |

परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण :-

**1. परिकल्पना** : $\mathbf{H_1}$ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता का सांख्यिकीय विश्लेषण -

सारणी सं.-1

| क.सं | श्रेणी | विद्यार्थियों की संख्या N | मध्यमान M | मानक विचलन SD | SED | t टी मूल्य | df स्वातंत्र्य अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शासकीय | 80 | 46.75 | 11.05 | 1.23 | 1.968 | 158 | परिकल्पना स्वीकृत |
| 2. | अशासकीय | 80 | 43.41 | 10.38 | 1.60 | | | |

**2.परिकल्पना $H_2$** ** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है| "

सारणी सं.-2

| क्रं. | श्रेणी | विद्यार्थियों की संख्या N | मध्यमान M | मानक विचलन SD | SED | t टी मूल्य | df स्वतंत्र्य अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कला | 80 | 42.22 | 10.14 | 1.20 | 3.451 | 158 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| 2. | विज्ञान | 80 | 47.93 | 10.78 | 1.13 | | | |

**3. परिकल्पना $H_3$** " उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |"

सारणी सं. -3

| क्रं | श्रेणी | विद्यार्थियों की संख्या N | मध्यमान M | मानक विचलन SD | SED | t टी मूल्य | df स्वातंत्र्य अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छात्र | 80 | 43.47 | 10.50 | 1.17 | 1.893 | 158 | परिकल्पना स्वीकृत |
| 2 | छात्राएँ | 80 | 46.68 | 10.95 | 1.22 | | | |

**4. परिकल्पना $H_4$** ** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा |"

सारणी सं.-5

| क्रं. | श्रेणी | विद्यार्थियों की संख्या N | मध्यमान M | मानक लन SD | SED | t टी | df स्वा अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कला | 40 | 48.75 | 11.64 | 1.84 | 1.636 | 78 | परिकल्प ना स्वीकृत |
| 2. | विज्ञान | 40 | 44.75 | 10.67 | 1.60 | | | |

**5. परिकल्पना $H_5$** ** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा |"

सारणी सं.-6

| क्रं. | श्रेणी | विद्यार्थियों संख्या N | मध्यमान M | मानक लन SD | **SED** | t टी मूल्य | df स्वा अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कला | 40 | 39.70 | 9.58 | 1.51 | 3.404 | 78 | परिकल्पना स्वीकृत |
| 2. | विज्ञान | 40 | 47.12 | 9.91 | 1.56 | | | |

**6.परिकल्पना** : $H_6$ " उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |"

सारणी सं.-6

| क्रं. | श्रेणी | विद्यार्थियों संख्या N | मध्यमान M | मानक लन SD | **SED** | t टी मूल्य | df स्वा अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कला | 40 | 39.70 | 9.58 | 1.51 | 3.404 | 78 | परिकल्पना स्वीकृत |
| 2. | विज्ञान | 40 | 47.12 | 9.91 | 1.56 | | | |

**7.परिकल्पना $H_7$** ** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अशासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा |"

सारणी सं.-7

| क्रं. | श्रेणी | विद्यार्थियों संख्या N | मध्यमान M | मानक लन SD | **SED** | t टी ल्य | df स्वा अंश | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कला | 40 | 43.52 | 10.35 | 1.63 | 0.096 | 78 | परिकल्पना स्वीकृत |
| . | विज्ञान | 40 | 43.30 | 10.54 | 1.66 | | | |

**निष्कर्ष :**

- शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता लगभग एक सामान है |
- कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता के प्रति अंतर पाया गया |
- छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरण के प्रति जागरुकता लगभग एक सामान है |
- शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता लगभग एक सामान है |
- शासकीय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता के प्रति सार्थक अंतर पाया गया |
- अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरुकता के प्रति अंतर पाया गया |
- अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरुकता लगभग एक सामान है |

**डॉ अंशु माथुर**
**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन**
**एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश |**

संदर्भ ग्रंथ :

- भार्गव,महेश : "सांख्यिकी के मूल आधार " रानी मंडल प्रकाशन , आगरा
- गुप्ता,एस.पी. :"सांख्यिकी विधियाँ " शारदा पुस्तक भवन , यूनिवर्सिटी रोड ,इलाहाबाद
- राय,पारसनाथ : "अनुसंधान परिचय " लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन ,अस्पताल रोड ,आगरा
- Bargman, K I : The Solution Paradox. Spardon Books, New York

- Sharma, R.C. : Environmental Education, Metropolition, Delhi
- Raghuvansi ,A: Paryavaran Tatha Pradurshan, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal
- Suman & Saxena : Environmental Education, R. Lal Book Depot, Meerut
- Upadhyaya ,Radhavallab : Environment Education, Vinod Pustak Mandir, Agra
- Good, Carter V (1963) : Introduction to Educational Research, New York
- Koul lokesh (1984) :Methodology of Educational Research, New Delhi Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

# छात्रों के शैक्षिक विकास के संदर्भ में उनके गृह-वातावरण की भूमिका का अध्ययन

**डॉ.चित्ररेखा**
**डॉ मीना सहरावत एवं डॉ.ऍम.ऍम.रॉय**

**सार**

प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के गृह-वातावरण का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित शोध प्रश्नों का निर्माण किया गया-

(1)कक्षा 10 के छात्रों के घर का वातावरण कैसा है ?(2) क्या माता- पिता बच्चों को एक सकारात्मक गृह-वातावरण प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं | शोध के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय के स्कूलों से 10वीं कक्षा के 100 छात्रों को यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया |करुणा शंकर मिश्रा द्वारा विकसित मानकीकृत उपकरण गृह-वातावरण परिसूची का उपयोग छात्रों के गृह- वातावरण को मापने के लिए किया गया और इसके साथ -साथ इन्हीं बिंदुओं पर छात्रों की राय भी जानने का प्रयास किया गया|प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया गया। विश्लेषण के बाद यह ज्ञात हुआ कि माता –पिता छात्रों के भलीभांति पालन पोषण के लिए अनावश्यक रूप से आवश्यकता से अधिक अपने बच्चों पर नियंत्रण, अनुशासन,सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके निर्णय लेने की क्षमता आदि का हनन करते हैं जो कि छात्रों को अत्यधिक असुरक्षित और अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर आश्रित बनाता है |

**मुख्य शब्द :** गृह-वातावरण ,शैक्षिक विकास

**परिचय**

माता-पिता बच्चे के जीवन में प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो उनके विचारों, भाषा, कार्यशैली , भावनाओं, संवेदनाओं, व्यवहार और अनुभवों आदि को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से एक बच्चे के परिवार और घर के माहौल का प्रभाव उसके समस्त विकास और शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है|यदि माता-पिता घर में अपने बच्चे की शिक्षा को समर्थन और प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन्हें कुछ स्वतंत्रता व स्वतंत्र अधिकार देते हैं तो इसका बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है| इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चे का समर्थन करने के लिए उसके माता-पिता के साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि वे दोनों एक ही परिणाम की दिशा में काम कर रहे हैं।

**साहित्य की समीक्षा**

परवीन (2007) ने 12 वीं कक्षा के छात्रों के गृह- वातावरण का अध्ययन किया और माना कि गृह-वातावरण छात्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है| मुओला (2010) का मानना है कि घर का माहौल बच्चों के समग्र विकास को प्रभावित करता हैं |इसमें माता-पिता की प्रमुख भूमिका है जिनके द्वारा बच्चे के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उनके भाषाई, सामाजिक और बौद्धिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते है । इस बात के प्रमाण हैं कि गृह- वातावरण बच्चे के स्वयं में विश्वास को बढ़ाता है और उन्हें मिलनसार बनाता है । यह उनके आत्मविश्वास को विकसित करने में मदद करता है|ऐसे परिवार जिनमें बच्चे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं वे अपने बच्चों के आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान को विकसित करने में मदद करते हैं | इस प्रकार वे छात्रों के सामाजिक विकास में योगदान करते हैं (Codjoe, 2007, हुसैन और नाज़, 2013;

इवुमी, 2006)बच्चा विदयालय  में केवल पांच और छह घंटे बिताता है और शेष समय वह घर पर व्यतीत करता है जिसे ठीक से उपयोग करने की आवश्यकता है (रोमिच, एपस्टीन, राजा, यिन, रॉबिन्सन, और विनीविक्ज़, 2006)। उपर्युक्त  चर्चा के सन्दर्भ में वर्तमान शोध अध्ययन का उद्देश्य दिल्ली शिक्षा निदेशालय के  विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के गृह-वातावरण के बारे में पता लगाना था |

**अध्ययन की आवश्यकता**

इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि बच्चों के सभी प्रकार के विकास (शारीरिक,मानसिक, सामाजिक,नैतिक,शैक्षिक आदि) में उनके घर का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता से प्यार और स्नेह, उनके साथ संबंध,भाई-बहन के साथ संबंध, घर में कमरों की संख्या, परिवार के प्रकार, माता-पिता की शिक्षा, उनकी योग्यता, परिवार की आर्थिक स्थिति, नियंत्रण , सजा , पुरस्कार, पोषण आदि  और उन्हें उपलब्ध अन्य भौतिक सुविधाएं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यदि इन सुविधाओं को सकारात्मक व पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है और छात्र  उसका आनंद लेते हैं, तो वे सकारात्मक अध्ययन की आदतों को विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। अध्ययन की आदतों का बच्चों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धि पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ये उन्हें न केवल बेहतर स्थिति प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि अपने ख़ाली समय का प्रभावी और फलदायी उपयोग करने में भी मदद करते हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा का सामना करना पड़ता है। कोविड 19 के कारण हमारे अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं जा सके; उन्हें घर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी। इस समय के दौरान बच्चों के घर पर्यावरण में परिवर्तन आया|माता- पिता के व्यवहार और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया| उनकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए और इस दिशा में और क्या कार्य किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए यह

शोध किया गया ताकि बच्चों और उनके माता-पिता की शिक्षक-अभिभावक मीटिंग, स्कूल प्रबंधन समिति , स्कूल मित्रों के माध्यम से काउंसलिंग के द्वारा सहायता की जा सके।

**अध्ययन के शोध प्रश्न**

कक्षा 10 के छात्रों के घर का वातावरण कैसा है ?

क्या माता- पिता छात्रों को एक सकारात्मक गृह- वातावरण प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं ?

**गृह- वातावरण**: घर पर माता-पिता के साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संबंधों के साथ – साथ मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों को संदर्भित करता है |

**शोध प्रविधि:**

शोध से संबधित प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के दक्षिण पश्चिम जिले के विद्यालयों से कक्षा 10वीं के कुल 100 छात्रों (50 लड़कियों और 50 लड़कों) का यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया। इस अध्ययन में करुणा शंकर मिश्रा द्वारा विकसित मानकीकृत उपकरण गृह-वातावरण परिसूची का उपयोग कक्षा 10 वीं के छात्रों के गृह- वातावरण को मापने के लिए किया गया। गृह-वातावरण सूची में 10 आयाम शामिल थे जैसे नियंत्रण, सुरक्षा, सजा, अनुरूपता, सामाजिक अलगाव, इनाम, पालन-पोषण, अस्वीकृति, अनुमति।

**अध्ययन का परिसीमन**

• वर्तमान अध्ययन दक्षिण पश्चिम जिले के कक्षा 10वीं के 100 छात्रों तक ही सीमित था।

• यह अध्ययन करुणा शंकर मिश्रा की गृह-वातावरण सूची के 10 आयामों तक सीमित था।

**प्रदत्तों का विश्लेषण**

गृह-वातावरण (होम एनवायरनमेंट इन्वेंटरी) (करुणा शंकर मिश्रा) के मानकीकृत उपकरण का उपयोग करके एकत्र किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण करने के उपरांत परिणामों की व्याख्या के लिए प्रतिशत (%) का उपयोग किया गया|

तालिका -1

कक्षा 10 वीं के छात्र और छात्राओं के गृह-वातावरण

| क्रम सं | आयाम | अधिकतर Mostly | | आमतौर Usually | | कभी कभी Seldom | | कभी नहीं Never | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A: नियंत्रण ( Control) | 26 | 30 | 28 | 50 | 20 | 20 | 26 | - |
| 2 | B: सुरक्षा ( Protectiveness) | 38 | 34 | 26 | 46 | 16 | 10 | 20 | 10 |
| 3 | C: सजा ( Punishment) | 20 | 30 | 34 | 42 | 28 | 22 | 18 | 6 |
| 4 | D:अनुरूपता (Conformity) | 32 | 28 | 28 | 48 | 24 | 16 | 16 | 8 |
| 5 | E: सामाजिक अलगाव (Social Isolation) | 24 | 20 | 36 | 38 | 26 | 24 | 14 | 18 |
| 6 | F: पुरूस्कार (Reward) | 22 | 16 | 20 | 26 | 44 | 38 | 14 | 20 |
| 7 | G: विशेषधिकारों से वंचित (Deprivation of Privileges) | 26 | 32 | 32 | 40 | 24 | 22 | 18 | 6 |
| 8 | H: पोषण ( Nurturance) | 36 | 32 | 40 | 30 | 14 | 22 | 10 | 16 |
| 9 | I: अस्वीकृति ( Rejection) | 28 | 22 | 40 | 34 | 20 | 34 | 12 | 10 |
| 10 | J:अनुमेयता ( Permissiveness) | 22 | 28 | 46 | 48 | 16 | 18 | 16 | 6 |

**N =100**

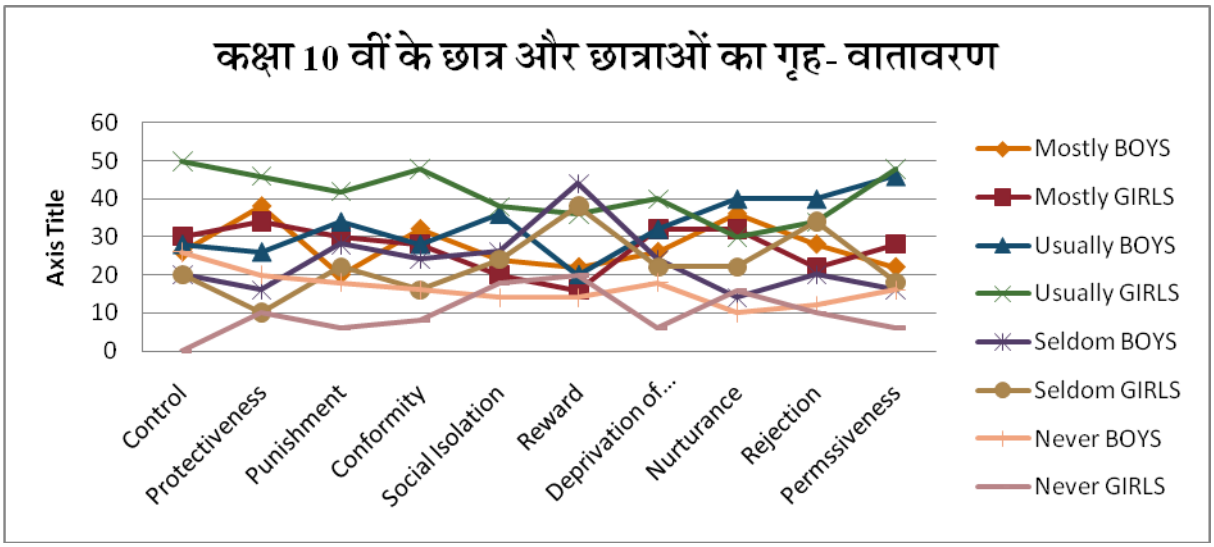


तालिका-1 और उपरोक्त ग्राफ 10वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के अलग -अलग गृह- वातावरण को दर्शाता है:

**1.नियंत्रण**- 26% छात्रों ने घर पर अत्यंत प्रतिबंधित वातावरण का सामना किया और 30% छात्राओं ने आमतौर से घर पर प्रतिबंधित वातावरण का सामना किया I

**2. सुरक्षा**-38% लड़कों (छात्र) ने माना कि उनके माता-पिता अधिकतर उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे और 46 % छात्राओं ने माना कि उनके माता-पिता आमतौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। 20% और 10% लड़कों और लड़कियों ने क्रमशः माना कि उनके माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर कभी भी चिंतित नहीं थे I

**3.सजा**-32% लड़कों (छात्र) ने उत्तर दिया कि उनके माता-पिता अधिकतर उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दंडित अवश्य करते थे और 42 % छात्राओं ने कहा कि उनके माता-पिता आमतौर पर उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दंडित अवश्य करते थे।

**4..अनुरूपता**- 32 % लड़के(छात्र)और 48 % छात्राएं क्रमशः अधिकतर और आमतौर पर अनुरूपता का पालन करते हैं और जबकि 16% लड़के और 8% लड़कियां कभी भी अनुरूपता का पालन नहीं करते थे।

**5.. सामाजिक अलगाव**- यह पाया गया कि 36% लड़के और 38 % छात्राओं ने यह माना कि वे आमतौर पर अकेले रहना चाहते हैं, जबकि 14% लड़के और 18% छात्राएं कभी भी सामाजिक अलगाव में नहीं रहना चाहतीं।

**6.. इनाम/ पुरस्कार** - 44%लड़कों (छात्रों) और 38% छात्राओं ने उत्तर दिया कि वे अपने माता-पिता से सामान के रूप में उपहार प्राप्त करते हैं जबकि 14% लड़कों और 20% छात्राओं को अपने माता-पिता से शायद ही कभी पुरस्कार मिला।

**7.. विशेषाधिकारों से वंचित** - 32% लड़के और 40% छात्राएं इस बात से सहमत थे कि उनके माता-पिता आमतौर पर उनको अधिकारों से वंचित करके उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। 18 % लड़के और 6% छात्राओं ने माना कि उनके माता-पिता ने उनको कभी भी अधिकारों से वंचित नहीं किया |

**8. पोषण**- 40% लड़के सहमत थे कि आमतौर पर उनके माता-पिता ने उनको आगे सीखने का मौका दिया तथा उसका पोषण भी किया जबकि 32% छात्राएं इस बात पर सहमत थीं |

**9. अस्वीकृति**- यह पाया गया कि 40 % लड़कों के परिवार ने उनको आमतौर पर अस्वीकृत भी किया जबकि छात्राओं में यह प्रतिशत 34% था |

**10.अनुमेयता:** यह पाया गया है कि 46 % लड़के और 48 % छात्राओं के माता-पिता ने आमतौर पर इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान की।

**परिणाम और चर्चा**

- **1.. नियंत्रण**:नियंत्रण का अर्थ है घर में निरंकुश और अत्यंत प्रतिबंधित वातावरण का पाया जाना |अभिभावकों द्वारा बच्चों की अनावश्यक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है परंतु यह नियंत्रण यदि ज्यादा कठोर और नियमित रूप से रखा जाए तो छात्रों के मानसिक व सामाजिक आदि सभी प्रकार के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है|विश्लेषण से पता चलता है कि 54%छात्रों ने अपने माता-पिता द्वारा घर पर कड़े नियंत्रण को स्वीकार किया और इस नियंत्रण का सामना छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक करती हैं|54% छात्र ( लड़कों ) की तुलना में 80% छात्राओं ने माना कि उन्होंने अधिकतर और आमतौर से घर पर अत्यंत प्रतिबंधित वातावरण का सामना किया जिसका स्पष्ट मतलब है कि आज के समय में भी लैंगिक असमानताएं देखी जा सकती हैं|
- **2. सुरक्षा**: बच्चे की सुरक्षा माता -पिता का प्रथम और सबसे अनिवार्य दायित्व है|यह बात सत्य है कि बच्चे अपने आप को घर पर माता- पिता से मिलने वाले प्यार, परवरिश और देखभाल के कारण ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं | 72% छात्र घर पर मिलने वाली सुरक्षा से ज्यादातर और आमतौर पर संतुष्ट थे जबकि 28% छात्र घर पर मिलने वाली सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे।

- **3. सजा/दंड:** सजा या दंड किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता|अक्सर लोग सभी बच्चे के नकारात्मक व्यवहार पर रोक लगाने के लिए प्रथम विकल्प के रूप में दंड या सजा को ही चुनते हैं जोकि सर्वथा गलत है| हम अपने बच्चों से प्यार व अच्छे संबंधों के द्वारा भी कार्य करा सकते हैं | किसी भी प्रकार की सजा का बच्चे की मानसिकता,उनकी भावनाओं, सोच और कार्यशैली पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालता है| शोध में 63% छात्रों ने उत्तर दिया कि उनके माता-पिता ज्यादातर और आमतौर पर उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ( गलत शब्दों के प्रयोग आदि ) रूप से दंडित करते हैं |यह प्रतिशत छात्रों की तुलना में छात्राओं में और भी अधिक था |

- **4.अनुरूपता:**68%छात्रों ने माना कि वे ज्यादातर और आमतौर पर अपने माता-पिता के आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं| बच्चे अपने माता-पिता द्वारा दिए गये आदेशों और निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करते हैं जो एक तरफ तो अच्छा संकेत देता है वहीँ दूसरी तरफ इस बात की भी पुष्टि करता है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनकी सर्जनात्मकता और आत्मनिर्भरता पर रोक लगाता है| केवल 32% छात्र ही ऐसे हैं जो अनुरूपता का पालन नहीं करते |
- **5 .सामाजिक अलगाव:**सामाजिक अलगाव से तात्पर्य है कि परिवार व समाज से अलग- अलग व दूर-दूर रहना | सामाजिक अलगाव बच्चे के सामाजिक विकास व मानसिक विकास के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है | सामाजिक अलगाव डिप्रेशन , तनाव , कुंठा आदि जैसी समस्याओं को जन्म देता है | यदि यह समस्या एक लंबे समय तक चलती है और वह बच्चे की आदत का हिस्सा बन जाती है तो इसका परिणाम बहुत गंभीर रूप में देखा जा सकता है |59% छात्र ज्यादातर और आमतौर पर नकारात्मक संवेदनाओं के मामले में अकेले रहना चाहते हैं जो कि चिंता का विषय है | इसलिए बच्चों की संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए|उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए |
- **6. उपहार/पुरस्कार:**स्कीनर व थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने व उसे शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करने के लिए पुनबर्लन और उद्दीपक की एक अहम भूमिका होती है | यह पुनबर्लन या उद्दीपक किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं | शोध से पता चला कि 32% छात्रों के माता-पिता सामान के रूप में उन्हें उपहार देते हैं। 41% छात्रों को शायद ही कभी अपने माता-पिता से भौतिकवादी और प्रतीकात्मक पुरस्कार मिलता है जबकि 17% छात्रों को कभी नहीं मिला।
- **7. विशेषाधिकारों से वंचित -** 65% छात्रों ने सहमति व्यक्त की कि उनके माता-पिता ज्यादातर और आमतौर पर उनके अधिकारों से वंचित करके उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।वे समय-समय पर उन्हें अनावश्यक रूप से धमकी देते हुए कार्य कराते हैं |58% छात्रों की तुलना में यह प्रतिशत छात्राओं में और भी अधिक(72%) है जो कि बच्चों के विकास के लिए सही संकेत नहीं है |
- **8. पोषण**- पोषण का अर्थ माता-पिता का अपने बच्चे के साथ शारीरिक और भावनात्मक लगाव व पोषण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं से हैं। 69% छात्र अधिकतर और आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि उन्हें सही प्रकार का पोषण दिया जाता है जबकि 31% छात्र और छात्राएं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हैं|
- **9. अस्वीकृति**-अस्वीकृति का अर्थ है सशर्त स्वतंत्रता और सशर्त अधिकार। यह पाया गया है कि 62% छात्र ज्यादातर और आमतौर पर इस बात से सहमत थे कि उनके माता – पिता उन्हें शर्तों के साथ स्वतंत्रता व अधिकार देते हैं | वे उनकी मौलिक स्वतंत्रता को बिना शर्तों के साथ अस्वीकार कर देते हैं जिसके कारण वे अपने हर छोटे -बड़े कार्य के लिए उन पर आश्रित रहते हैं |
- **10.अनुमेयता**- यहां पर अनुमति का अर्थ है स्वतंत्रत रूप से कार्य करने की अनुमति देना | 72% छात्र-छात्राओं के अनुसार उन्हें अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है| इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं माता- पिता द्वारा उनकी स्वतंत्र अभियक्ति का हनन किया जाता है जो उनकी कल्पनाशक्ति व प्रखर सोच को प्रभावित करता है|

**निष्कर्ष :**

सभी अभिभावक अपने बच्चों के सही देखभाल,सही पोषण, सुरक्षा देने और उन्हें पढ़ने का एक अच्छा गृह-वातावरण प्रदान करने का भरसक प्रयास करते हैं| परंतु शोध से यह बात स्पष्ट होती है कि एक अच्छा गृह-वातावरण प्रदान करने की कोशिश में हम कहीं न कहीं बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे होते हैं| हमें पता ही नहीं होता कि कब हमने उनकी आजादी, अधिकारों पर सुरक्षा, अस्वीकृति, नियंत्रण, सजा , सशर्त स्वतंत्रता आदि के द्वारा ताला लगा दिया| जब हमारे बच्चे हमारे अनुरूप व्यवहार करते हैं तब हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वे ऐसा वांछित व्यवहार अपने आप से अपनी इच्छा के द्वारा कर रहें हैं या हमने उन्हें कठपुतली बना दिया है | इसलिए यह बात अभिभावकों और शिक्षकों को समझनी होगी कि यदि हम अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास और जीवन कौशल का विकास करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को बिना किसी लैंगिक भेदभाव व किसी भी प्रकार दंड / सजा के एक ऐसा सकारात्मक गृह-वातावरण देना होगा जिसमें बच्चों को निर्णय लेने का अधिकार , स्वाभिमान के साथ अपनी बात रखने का अधिकार हो | जिससे बच्चा समाज से दूर न हो बल्कि स्वयं समाज के रूप में अपनी भूमिका को समझे और अपनी सर्जनात्मकता , चिंतनशक्ति , निर्णय शक्ति आदि का विकास करते हुए अपना शैक्षिक विकास कर पाए |

**डॉ.चित्ररेखा**
**सहायक आचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**
**घुम्मन हेड़ा ,नई दिल्ली |**
**डॉ मीना सहरावत**
**सहायक आचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**
**घुम्मन हेड़ा ,नई दिल्ली |**
**डॉ.ऍम.ऍम.रॉय**
**सहायक आचार्य,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**
**घुम्मन हेड़ा ,नई दिल्ली |**

**संदर्भ :**

कोडजो, एच.एम. (2007). अफ्रीकी कनाडाई युवाओं की शैक्षणिक उपलब्धि में गृह पर्यावरण और माता-पिता के प्रोत्साहन का महत्व। शिक्षा के कनाडाई जर्नल। 30 (1); 137-156. इवुमी, ए. (2006). वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों के सह-संबंध के रूप में लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति। यूरोपीय वैज्ञानिक जर्नल। 4(8); 23-29.

मंगल, एस. के, (2011). एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी। (दूसरा संस्करण)। पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली

मुओला, जे. (2010). आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि प्रेरणा और गृह पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन। शैक्षिक अनुसंधान और समीक्षा के जर्नल। 5(5); 213-217.

मिश्रा करुणा शंकर.1983. होम पर्यावरण सूची, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अंकुर मनोवैज्ञानिक एजेंसी, लखनऊ, भारत

परवीन, ए. (2007). रावलपिंडी संभाग में कक्षा 12 के छात्रों के व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धियों पर गृह पर्यावरण का प्रभाव। शोध थीसिस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडरेन लैंग्वेजेज, इस्लामाबाद, 32-41।

हुसैन, एस. (2013). माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर सहकर्मी समूहों का प्रभाव। जर्नल ऑफ अमेरिकन साइंस 9(11)।

# पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण

**श्रीपाल जैन**

एक विद्वान ने आधुनिक समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के महत्व के बारे में सही कहा है- "विश्व में महिलाएं आज दिग्गज कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर काम कर रही हैं, विविध उद्योगों की सफल उद्यमी हैं, अपने परोपकारी कार्यों से दीन-हीन लोगों की सहायता कर रही हैं, सेनाओं में भर्ती होकर साहस का परिचय दे रही हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास रच रही हैं, आदि। उनका नवोन्मेष और करुणा उन्हें महान नेता भी बनाती है, जो अगली पीढ़ी को पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं।" आधुनिक युग में भारत भी इन घटनाक्रमों से अछूता नहीं है।

भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं। इनमें से एक क्षेत्र स्थानीय शासन है, जिसमें कुछ वर्षों पहले पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल की गई। इसके सुखद परिणाम समाज के समग्र विकास में अनेकानेक उपलब्धियों के रूप में सामने आए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों को जानने-समझने के लिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास और विकास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षेप में उल्लेख आवश्यक है।

**पंचायती राज का इतिहास और विकास**

पंचायती राज की धारणा भारत के लिए नई नहीं है । प्राचीन काल से, भारतीय समुदायों में कार्यकारी और न्यायिक उत्तरदायित्वों के साथ पंचायतें पांच व्यक्तियों की परिषद के रूप में विद्यमान थीं। इसे "पंच परमेश्वर" भी कहा जाता था। इस प्रकार की परिषदों में समुदाय में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों/ विवादों (भूमि वितरण, कर संग्रह, आदि) और संघर्षों का समाधान किया जाता था ।

देश की स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना, इसकी संरचना और इसके संगठन की अनुशंसा सर्वप्रथम 1957 में बलवंतराय मेहता समिति ने की थी। इस समिति ने गांव, प्रखंड (ब्लॉक) और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसका प्रारम्भ नागौर जिले से हुआ। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की।

लेकिन, पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसने अगस्त 1978 में देश की पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक सुझावों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इसकी मुख्य अनुशंसाएं दो-स्तरीय पंचायत प्रणाली, लगातार सामाजिक लेखा परीक्षा, पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, नियमित चुनाव का प्रावधान, पंचायतों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और राज्य की मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री रखना थीं।

इसके बाद, जी.वी.के. राव समिति ने 1985 में फिर से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों को जोड़ने की सिफारिश की। इसके ठीक एक साल बाद, 1986 में एल. एम. सिंघवी समिति ने अनुशंसा की कि पंचायती राज निकायों के चुनाव नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर होने की गारंटी के

लिए संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया। इसके बाद, सितंबर 1991 में तत्कालीन

प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने इस उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।

**नए संविधान संशोधन के प्रावधान**

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसका उद्देश्य निवासियों की मांगों एवं भागीदारी से प्रेरित स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाना है। पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 विषयों सहित आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य सौंपे गए हैं। भारतीय संविधान का भाग-IX पंचायतों के तीन स्तरों (बीस लाख से कम आबादी वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में केवल दो स्तर) की स्थापना करता है यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तरीय जिला परिषद।

उल्लेखनीय है कि इन संस्थाओं को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, जैसे- राजस्थान में जिला स्तर की पंचायत को जिला परिषद कहा जाता है, जबकि केरल में उसे जिला पंचायत नाम दिया गया। इसी प्रकार, पदों के नाम भी अलग-अलग हैं, जैस- राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसे प्रधान पदनाम दिया गया है।

**पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण**

भारतीय संविधान में इन पंचायतों (गांव, ब्लॉक और जिला स्तर) के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और महिलाओं एवं भारतीय समाज के वंचित समूहों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है । महिलाओं का आरक्षण कम से कम 33.33 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिए कोटा उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। दिलचस्प पहलू यह है कि नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 राज्यों- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे देश के पंचायती राज निकायों में कुल निर्वाचित **31,87,320 प्रतिनिधियों में** महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ कर लगभग **14,53,973 हो गई है।**

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और विकास की योजना तैयार करने में महिलाओं की भागीदारी के लिए दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। संविधान के अनुच्छेद-243 डी का खंड-3 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के संख्या में से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है। परिणामस्वरूप, महिलाएं इन संस्थानों में राजनीतिक शक्ति हासिल कर सकती हैं और यह कर भी रही हैं।

**महिला प्रतिनिधियों के सामने बाधाएं और चुनौतियां**

**1. संरचनात्मक मुद्दे**

यह कहना सही है कि महिला सरपंचों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृद्धावस्था पेंशन और कल्याण जैसी सामाजिक विकास गतिविधियों पर अत्यधिक बल दिया है, लेकिन देश भर में पंचायत की बैठकों के एजेंडे पर दृष्टिपात से पता चलता है कि आधारभूत संरचना के मुद्दों, जैसे- सड़कों एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण के कार्यों

को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। संदेह नहीं कि इनका निर्माण विकास का एक अंग है, लेकिन इस पर अत्यधिक बल देने से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आधारभूत संरचना के मुद्दे पर चर्चा भी नए निर्माण तक ही सीमित है और विद्यमान संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव की अक्सर अनदेखी की जाती है।

**2. भ्रष्ट प्रणाली**

कई पंचायती राज संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली रचनात्मक भूमिका के बारे में पर्याप्त समझ प्रदर्शित करती हैं और उनके साथ कार्य संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं। जिलों के कई स्थानों पर महिला समूह सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। फिर भी, ऐसे तंत्र/प्रणालियों पर अधिक काम करने की तत्काल आवश्यकता है, जो स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों को मिल कर सुचारू रूप से काम करने और एक-दूसरे के काम को मजबूत करने की प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे।

**3. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं**

अपने पुरुष समकक्षों के विपरीत, महिला प्रतिनिधियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके उत्साहपूर्वक कार्य करने को प्रभावित कर सकती हैं। ये बाधाएं, यौन-रूढ़िवादिता, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक गतिविधि के लिए तैयारी की कमी, कार्य और परिवार को संतुलित करने संबंधी हैं।

**4. यौन-रूढ़िबद्धता**

रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि मर्दाना और स्त्रीत्व लक्षण नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति की आक्रामक और प्रतिस्पर्धी प्रकृति के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए मर्दाना गुण अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा है कि स्त्रीत्व स्वाभाविक रूप से कमजोर नेतृत्व पैदा करता है। सामाजिक रूप से निर्मित यौन-आधारित भूमिकाओं के साथ पहचान करने वाले मतदाताओं से समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनावी अभियानों में अपने मर्दाना गुणों को बढ़ाने के लिए महिला उम्मीदवारों पर भारी दबाव रहता है, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं होता है। यह भ्रामक धारणा महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न कर रही है।

**5. पंचायत और पारिवार के बीच संतुलन**

महिलाओं के लिए कार्य-जीवन संतुलन हमेशा अधिक कठिन होता है क्योंकि आम तौर पर समाज द्वारा उनसे बच्चों की प्राथमिक देखभाल के साथ-साथ घर के रखरखाव के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। कार्य-जीवन में संतुलन की मांगों के कारण यह माना जाता है कि महिलाएं अपने बच्चों के बड़े होने तक राजनीतिक आकांक्षाओं में देरी करना पसंद करती है। राजनीतिक कॅरियर और परिवार के बीच संतुलन की स्थापना में संस्थागत बाधाएं भी आड़े आ सकती हैं।

**6. सरपंच-पति का मकड़जाल**

अनेक स्थानों पर यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला सरपंचों के बजाए उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य उनके पद की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण के बजाए उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष-सदस्यों का सशक्तिकरण हो रहा है और उनकी प्राथमिकताएं भिन्न हो जाती हैं। यह महिला आरक्षण देने के उद्देश्य के विरूद्ध है।

## महिला प्रतिनिधियों की उपलब्धियां

इसके बावजूद, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती संस्थाओं में महिला आरक्षण के बाद से उनका सशक्तिकरण हुआ है। यह महिलाओं, भारतीय समाज और विकास की दृष्टि से एक शानदार उपलब्धि है। अनेक शोध यह स्पष्ट करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि सड़कों और छोटे-मोटे विवादों के समाधानों पर अधिक बल देते हैं, जबकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने गांव में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता दी। इससे ग्रामीण बालक-बालिकाओं , पुरुषों और महिलाओं सभी का विकास सुनिश्चित होता है। सर्वेक्षणों ने यह भी दर्शाया है कि पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधि प्रायः अधिक ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से अपने पद के दायित्व निभाती हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलने वाले अनुदान या निधि का बेहतर ढंग से सदुपयोग होता है।

यही कारण है कि देश की अनेक ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायत समिति और जिला परिषदों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्रों में सराहनीय योगदान किया है। इसका एक परिणाम यह भी है कि इन महिला प्रतिनिधियों के योगदान से गांवों और शहरों की अन्य महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में न केवल बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही है, बल्कि बड़ी संख्या में स्वयं चुनाव लड़ने को प्रेरित हुई हैं। अन्य शब्दों में, महिलाएं नेतृत्व की चुनौती को स्वीकार कर रही हैं और प्रतिबद्ध नागरिकों के रूप में स्वशासन की भावना से निचले स्तर पर राजनीति में प्रवेश के लिए खुद को तैयार कर रही हैं।

पंचायती राज में महिला नेता राज्य को गरीबी, असमानता और लैंगिक अन्याय के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाकर स्थानीय शासन को बदल रही हैं। मतलब यह कि, पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शासन के स्वरूप को नया रूप दे रही हैं । वे जनता और महिलाओं की मूल जरूरतों की पूर्ति के लिए पानी, शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं शिक्षा ,स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर जनजागरूकता के कार्य में जुटी हुई हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाएं बाल विवाह और बाल घरेलू श्रम के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं। इन सबका परिणाम यह है कि महिलाओं के मुद्दे स्थानीय स्तर पर और फलस्वरूप राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे आए हैं।

## कतिपय सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण संबंधी अच्छे पक्ष हैं तो कुछ शिथिलताएं भी हैं, जिन्होंने विसंगतियां उत्पन्न की हैं। इससे महिला सशक्तिकरण की गति धीमी रही है। इसके अनेक कारण हैं, जिन पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। इस बारे में निम्नलिखित कुछ उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं :

- बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया चाहिए। शिक्षा उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगी और उन्हें अधिकारों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेगी।

- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। यह आम सामाजिक धारणा प्रचारित की जाती है कि महिलाओं का मूल कार्य घरेलूगतिविधिया और परिवार बढ़ाना है , जिसको महिलाओं और पुरुषों के बीच समान भागीदारी की भावना से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन को कार्यरूप देने में समय लग सकता है, लेकिन यह अंततः समाज, देश और स्वयं महिलाओं के लिए हितकारी होगा।

- महिलाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया चाहिए ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी आवाज उठाते हुए यथोचित भूमिका निभा सकें और सामान्य रूप से अन्य महिलाओं की भी मदद कर सकें।

- सभी स्तरों पर पंचायतों की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह उनके नेतृत्व गुणों और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इससे उन्हें पंचायतों में बेहतर कार्य-प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और बैठकों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक सभी स्तरों पर महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए।

- सरकार को महिला संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक ज्ञान में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए।

- पंचायती राज के महत्व और महिला सशक्तिकरण के बारे में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसी विभिन्न सरकारी नीतियों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। स्कूल स्तर पर सभी कक्षाओं में पंचायती राज और महिला अधिकारों पर अध्याय सम्मिलित करने चाहिए और परीक्षा में इन पर अनिवार्य प्रश्न संख्या निर्धारित की जा सकती है।

- मीडिया, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मूल्यों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। उसे चाहिए कि वह महिला प्रतिनिधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रेखांकित करे, साथ ही जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विकास को तेज गति दी है, उनके बारे में शोध-आधारित समाचार और विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए।

- सरकार को सरपंच-पति की कुप्रथा पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आड़ में कार्य करने वाले पारिवारिक सदस्यों के पद को रोका जा सके ।

**निष्कर्ष**

स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनेक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों के बूते स्वयं अपना और महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, लेकिन कुछ विसंगतियों पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरूआत हो चुकी है, जिसके दूरगामी, सकारात्मक और हितकारी प्रभाव होंगे। पंचायती राज संस्थाओं में अधिक भागीदारी के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अब नया इतिहास रच रही हैं।

**श्रीपाल जैन**
**बी.डी.-7 ,डी.डी.ए.फ्लैट्स , मुनीरका**
**नईदिल्ली-110067**

# चुनावी व्यावसायिक कंपनियों की भारतीय चुनावों में भूमिका

**डॉ.संजय कुमार**

लोकतंत्र में चुनाव त्योहार की भांति है! भारत जैसे विशाल जनसंख्या, भू-भाग, के साथ-साथ विविधताओं में चुनाव की रणनीतियाँ और भी मायने रखने लगती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पिछले एक दशक से लगातार चुनाव, चुनाव प्रचार और परम्परागत चुनावी रणनीतियों का स्थान आज की आधुनिक तकनीक से लैस विभिन्न सोशल साईट्स ने ले ली है।

जिसमें डिजिटल मीडिया के साथ-साथ राजनैतिक दलों के सहयोगी और समर्थक बड़े पैमाने पर कंप्यूटर , मोबाईल फोन का इस्तेमाल विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साईट्स के माध्यम से अपने राजनैतिक दल या अपने प्रतिनिधि के पक्ष में तर्क-वितर्क हेतु इस्तेमाल करते नजर आ रह हैं।

प्रशान्त किशोर इसका एक ताजा उदाहरण है। किस प्रकार राजनैतिक दल अब संगठन के सदस्यों पर पूर्णतः निर्भर रहने के बजाय चुनावी प्रबंधन में लगी हुई कुछ विशेष फर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं । यह भारतीय चुनाव में एक बड़ा बदलाव है। चुनावी प्रबंधन की कमान संभालने वाली फर्म अभी तक विदेशों में विशेषकर, अमेरिका और यूरोप के देशों तक सीमित थीं जो कि अब तृतीय विश्व के देशों में भी सक्रिय दिख रही है।

**राजनीतिक परामर्शदाता कंपनियों का इतिहास**

अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति William Mckinley (1897-1901) के प्रचार अभियान की भूमिका निभाने वाले अमेरिका के Mark Hanna को प्रथम राजनीतिक Consultant कहा जाता है। 1897 के अमेरिका चुनाव में Mark Hanna ने अपने धन तथा व्यावसायिक skills से सफलतापूर्वक अमेरिका प्रचार अभियान का संचालन किया।

अमेरिका में 1980 के दशक में राजनीतिक परामर्शदाता कंपनियां की संख्या 2000 की करीब थी। 2008 में इनकी संख्या 3000 के करीब रही है। कंपनियाँ राजनीतिक परिदृश्य के पीछे से अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित ढंग से करती है।

**भारत में राजनीतिक परामर्शदाता कंपनियाँ**

वर्तमान में चुनाव व्यावसायिक कंपनियाँ का व्यापार चुनावों से पहले तथा बाद में विस्तार होता जा रहा है। औद्योगिक संस्था (ASSOCHAM) के अनुसार वर्तमान मे 150 से अधिक राजनीतिक व्यावसायिक कंपनियाँ अपनी सेवाएँ इस क्षेत्र को दे रही हैं । 700-800 करोड़ रुपये का कारोबार ऐसी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। (The Economic Times, 24 Jun. 2014, Electoral Debate of Major Political Parties Opens Business Opportunities for Consultancy Firms).

भारत में प्रमुख कंपनियाँ जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है लेकिन चुनावों के समय राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, इस प्रकार हैं :-

1.CAG (पूर्व प्रशांत किशोर कंपनी )

2.I-PAC (प्रशांत किशोर)

3.Political Edge, Gurgaon based Political Consultancy Firm.

4. Poultubaaz Delhi Based

5. Shree Political Research Bureau, Founder at Auragabad based
6. Opinion Express Political Consulting Services (DEPCS)
7. Orkash Integrated Political Intelligence and Operations Management System
8. Business Foundations, Delhi
9. India Focus.
10. Creativist Political PR Agency Delhi

भारत की राजनीतिक परामर्शदाता कंपनियां के सम्बंध में Dilip Cherian, Image Guru के विचार हैं कि राजनीति में संचार माध्यमों तथा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यावसायिक व्यक्तियों की मांग बढ़ती जा रही है। विशेषतौर पर युवा लीडरों के द्वारा कंपनियों का प्रयोग करने का कार्य चुनाव प्रचार में अधिक किया जा रहा है।

परेश चौधरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैडिसन (Madison) ने राजनीतिक परामर्शदाता व्यवसाय के सम्बंध में कहा है कि जनता द्वारा राजनीतिक दलों तथा राजनीतिज्ञों से अधिक accountability की मांग की जा रही है। जनता की मांगों को पूरा करने हेतु राजनीतिक दल अधिक व्यावसायिक तरीकों को अपना रहे हैं।

**व्यावसायिक परामर्शदाता कंपनियों के कार्य**

वर्तमान में चुनावी व्यावसायिक कंपनियाँ जिन प्रमुख कार्यों को चुनाव प्रणाली में कर रही है जिनको अभी तक राजनीतिक संगठनों के द्वारा ही किया जाता रहा है :-

1. प्रचार रणनीति (campaign strategy)
2. मतदाता व्यवहार जानकारी
3. मतदाता व्यवहार विश्लेषण
4. प्रचार संदेश
5. उम्मीदवारों के विचार तथा भाषण (candidate speeches)
6. उम्मीदवारों की छवि तैयार करना
7. प्रचारों में logo, नारे, jingle का प्रयोग
8. मीडिया /प्रेस को जानकारी देना, प्रेस को सूचना देना, चुनाव संबंधी चर्चा करना
9. मीडिया रणनीति तथा योजना बनाना
10. सरकारों की उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखना
11. चुनाव war room को चलाना
12. राजनीतिक संगठनों तथा कार्यकर्ताओं की training करना
13. चुनाव सामग्री के design तैयार करना (writing design and production of printed material, posters, brouchers, leaflets)

CAG द्वारा तैयार किया गया प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है -

**1.मंथन (Manthon) : दिल्ली में आयोजित 23 अक्टूबर 2013**

कार्यक्रम में देशभर 200 प्रमुख कॉलेजों से 7000 छात्रों को मंथन कार्यक्रम के लिए आमिंत्रत किया गया था। देश की 14 प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करके उसके समाधान के लिए छात्रों से उनके विचार, सुझाव तथा नीति

पत्र मांगे गए थे। देश भर के 20000 छात्रों ने 250 शहरों में इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी राय प्रदान की। 14 विषय इस प्रकार थे-

1. उत्तर-पूर्व राज्य में विकास संभावना
2. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा
3. महिलाएँ सशक्तिकरण
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) (PDS)
5. युवाओं का कौशल प्रदान करके रोजगार प्रदान करना
6. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ोतरी
7. कुपोषण समस्या की समाप्ति
8. न्याय प्रणाली में सुधार (2.5 करोड़ केस का समाधान)
9. भविष्य की शहरी योजना
10. Promoting Research and Innovation
11. राजनीतिक पारदर्शिता (राजनीति में धन तथा अपराध को कम करना)
12. साफ पानी तथा शौचालय सुविधा सभी को उपलब्ध कराना
13. गुणवत्ता आधारित प्राथमिक शिक्षा
14. informal क्षेत्रों में मजदूरों हेतु सामाजिक सुरक्षा

कार्यक्रम के अंत में श्री नरेन्द्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर प्रस्तुत किया गया। अपने 1 घंटे के भाषण में मोदी द्वारा छात्रों के सभी विचारों पर प्रकाश डाला तथा युवाओं के लिए अपने भविष्य के भारत में किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन करेंगे। CAG का प्रमुख उद्देश्य इस कार्यक्रम से युवाओं में मोदी के गुजरात विकास मॉडल को स्थापित करना था तथा छात्रों में यह संदेश देना कि देश को मोदी जैसे सशक्त तथा दमदार लीडरशीप 2014 में BJP नेतृत्व द्वारा ही प्रदान किया जा सकती है। कार्यक्रम में शामिल छात्रों ने अंत में मोदी की नेतृत्व शक्ति में विश्वास करते हुए मोदी को 2014 लोकसभा में वोट के साथ-साथ समर्थन में देने का फैसला किया।

**2. State of Unity Project (एक भारत, श्रेष्ठ भारत)**

CAG द्वारा इसे कार्यक्रम की रूपरेखा सहयोगी संस्था के साथ मिलकर सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट के द्वारा गुजरात तथा पूरे भारत में आयोजित किया गया। 15 दिसम्बर 2013 की पटेल की 63वीं पुण्यतिथि पर Run for Unity कार्यक्रम देशभर के 1100 स्थानों पर आयोजित किया गया। जिसमें 30 लाख नागरिकों द्वारा भागीदारी की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु www.runforunity.com वेबसाइट भी बनायी गयी। BJP के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होकर मोदी के पक्ष में बड़ा सन्देश पार्टी तथा देशभर में दिया गया। आडवानी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नायडू, नीतिन गडकरी इत्यादि लीडरों द्वारा दौड़ में शामिल होकर मोदी को राष्ट्रीय लीडर तथा सरदार पटेल की तरह ही मोदी को दमदार लीडर के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।

इस कार्यक्रम की कड़ी में छात्रों द्वार नारे लिखने, लेख लिखने तथा देशभर के पांच लाख गांवों से 700 टन लोहा व गांवों की मिट्टी इकट्ठी करने का लक्ष्य रखा गया। एक 'सुराज पीटिशन' (Suraj Petition) जिसकी प्रमुख मांग ''विकासित भारत'', ''उन्नत भारत'' तैयार की गई जिसमें 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया।

**6. 3D Holographic rally**

इस तकनीक के माध्यम से मोदी को एक साथ 100 स्थानों पर दिखना था। इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग प्रथम समय भारत में मोदी द्वारा ही किया गया था। जनवरी 2014 में Turkish प्रधानमंत्री द्वारा इस तकनीकी का प्रयोग करके पार्टी मीटिंग को सम्बोधित किया गया था। CAG द्वारा इस तकनीक का प्रयोग करने का प्रमुख उद्देश्य जनता के सम्मुख मोदी को नये-नये रूप तथा अवतारों में प्रस्तुत करना था इस तकनीक की रैली को मीडिया के द्वारा काफी समय न्यूज चैनलों के द्वारा दिखाया गया। मोदी को चर्चाओं में बनाकर रखना भी चुनावी रणनीति का अहम् पहलू इस तकनीकी के प्रयोग करने का था।

**निष्कर्ष**

निष्कर्षतः नए चुनावी तौर-तरीकों पर कहा जा सकता है कि भारतीय चुनाव अब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से चुनावी कमान छीन कर किसी चुनावी प्रबंधन में संलग्न कंपनी के हाथों में देने जैसा है। अभी तक राजनीति को अघोषित रूप से व्यवसाय कहा जाता था किन्तु प्रबन्धन कंमपनियों के प्रबन्धन के तरीकों और कंपनियों को ठेके स्वरूप दिये जाने वाले धन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति अब तक व्यवसाय का रूप ले चुकी है।

यहां परम्परागत तरीके से होने वाले चुनावों में जिस प्रकार लोग दल के साथ विचारधारा स्वरूप जुड़कर उक्त दल के सिद्धांतों कार्यशैली को समझते थे। कहीं न कहीं यह नया तरीका जो एयर कंडिशन रूम में बैठकर कुछ किराए के लोगों की टीम के द्वारा विभिनन सोशल नेटवर्किंग साईट्स के माध्यम से किया जायेगा जिनकी न कोई विचारधारा है, न सिद्धान्त हैं, न किसी दल या व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता है, बस है तो सिर्फ बिजनेस, कंपनी को जिस दल से ठेका मिला उसके लिए काम करना ।

2010 के बाद राष्ट्रीय पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा चुनावी रणनीति में व्यावसायिक परामर्शदाता कंपनियों की भूमिका बढ़ती जा रही है। दलों के अन्दर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संगठनों तथा नेतृत्व पर भी पार्टी के शीर्ष लीडरों का अपने संगठन शक्ति पर कम भरोसा रह गया है। 2014 लोकसभा चुनाव तथा बिहार के 2015 विधानसभा तथा असम के 2016 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद मीडिया तथा राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा व्यावसायिक परामर्शदाताओं की भूमिका की चर्चा प्रमुख हेडलाइन बनकर उभरी है। मीडिया में रणनीतिकारों के रूप में प्रशांत किशोर, रजत सेठी (असम चुनावों का रणनीतिकार), शुभ्रास्था शिखा (असम चुनावों तथा CAG सदस्य 2014 लोकसभा में) आदि की चर्चाओं के कारण राजनीतिक पार्टियों की लीडरशिप में एक प्रकार से भारी नाराजगी पैदा हो रही है। 2017 चुनाव में कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा उत्तराखण्ड की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को देने तथा उसकी रणनीति सुझावों पर राज्य स्तरीय कांग्रेस में भारी तनाव दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय वरिष्ठ लीडरों को अपना प्रभाव कम होता दिखाई पड़ रहा है। जनवरी 2017 में प्रशांत किशोर को उत्तरप्रदेश की जिम्मेदारी से हटाकर उत्तराखण्ड तथा पंजाब पर फोकस करने को कहा गया है। इसका प्रमुख कारण उत्तरप्रदेश राज्य नेतृत्व का प्रशांत किशोर से रणनीतिक मतभेदों की खबर अखबारों तथा मीडिया में आती रही है। इस प्रकार से 2014 लोकसभा चुनावों में BJP विजय पर प्रशांत किशोर के योगदान की चर्चा BJP नेतृत्व तथा RSS में विवादों का विषय बना हुआ है। BJP में बढ़ते विवाद के चलते ही प्रशांत किशोर को 2014 के बाद BJP ने किसी भी चुनाव में प्रयोग नहीं किया तथा हरियाणा, महाराष्ट्र, असम विजय से यह सिद्ध भी किया कि संगठन शक्ति ही जीत का आधार हो सकती है।

वर्तमान चुनावी समय में जिस प्रकार से भारत में युवा मतदाताओं की संख्या निर्णायक हो गई है सोशल मीडिया का प्रभाव चुनावों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तथा आम आदमी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से Professional

तथा अधिक पढ़े-लिखे को प्राथमिकता पार्टी तथा राजनीति में प्रदान की जा रही है उसको देखते हुए भविष्य के चुनावों में व्यावसायिक परामर्शदाता कंपनियां , व्यक्तियों तथा संस्थाओं की भूमिका के विस्तार को नहीं रोका जा सकता।

**डॉ.संजय कुमार**
**सहायक प्रोफ़ेसर ,राजनीतिविज्ञान विभाग**
**ज़ाकिर हुसैन दिल्ली सांध्य महाविद्यालय ,दिल्ली विश्वविद्यालय ,दिल्ली |**

**संदर्भ सूची :-**

1. नवभारत टाईम्स
2. जनसत्ता
3. हिन्दुस्तान
4. दैनिक जागरण
5. अमर-उजाला
6. इंण्डिया टुडे
7. आऊट लुक
8. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
9. प्रतिमान सी०एस०डी०एस० दिल्ली)
10. युगान्तर टुडे
11. राजदीप सरदेशाई 2014 द इलैक्शन दैट चैंज इण्डिया (पेंगुईन बुक इंडिया 2015 दिल्ली)
12. हॉडर एण्ड स्टाउटेन, 2015 द मोदी इफैक्ट; इनसाईड नरेन्द्र मोदी, कम्पेन 2 ट्राँसफोर्म इंडिया बॉय- लैंस प्राईड, यू०के० लंदन
13. Modi next moves the wall street journal 18 may 2014
14. Election result 2014 Inida Places its faith in Moditva The Time of India
15. Final Result 2014 Lok Sabha, General Elections Press information Bureau, Govt. of India

(2017 के बाद के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चुनाव संबंधी कंपनियों की किस प्रकार की भूमिका रही है इस पर रिसर्च कार्य भी चल रहा है जल्दी ही संपूर्ण होने पर उसको पब्लिश किया जाएगा | इससे संबंधित किसी प्रकार का फीडबैक और सुझाव देना चाहते हैं तो मेल करके जानकारी दे सकते हैं |)

# शांति, मानवाधिकार तथा लोकतंत्र शिक्षा की आवश्यकता

**डॉ0 बृजेश कुमार पाण्डेय**

मानवाधिकार शिक्षा का मूल मंत्र मानवीय गरिमा का आदर करना, मानवाधिकार उल्लघंन को रोकना एवं मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। मानवाधिकार शिक्षा से आशय मानवाधिकारों के प्रति ज्ञान, समझ, सकारात्मक सोच, जागरूकता के कौशल को विकसित करना है। मानवाधिकार शिक्षा का अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से भी है, जिसके द्वारा मनुष्यों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो। मनुष्यों में मानवीय गुणों का उदय हो जो प्रत्येक मनुष्य को मूलभूत अधिकारों का ज्ञान कराए। मानवाधिकार शिक्षा के द्वारा ही मनुष्यों में मानवाधिकार के प्रति ज्ञान, समझ एवं कौशल का विकास होगा और मनुष्य अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकेगा। इस प्रकार मानवाधिकार शिक्षा का तात्पर्य वस्तुतः एक ऐसी शिक्षा पद्धति से जो मानव गरिमा के अनुकूल हो।

मानवाधिकार शिक्षा वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। मानवाधिकारों के रक्षार्थ विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मानवाधिकार न्यायालयों के माध्यम से मानवाधिकार की रक्षा के साथ-साथ जनता और समाज में ''जियो और जीने दो'' की भावना का विकास होना भी आवश्यक है। वास्तव में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना होगी और सुखी समृद्ध समाज का निर्माण होगा। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का विकास मानवाधिकार के संरक्षण से ही हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति एवं राष्ट्र को जाति, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के संकीर्ण घेरे से निकल कर मानव जाति के कल्याण और उत्थान का प्रयास करना चाहिए।

भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और संस्कृतिबहुल देश में मानवाधिकारों के प्रवर्तन में कई व्यावहारिक उलझनें भी सामने आती हैं। गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, पलायन, जातिवाद, विषमता, अपराधीकरण, आतंकवाद, पर्यावरणीय क्षरण और कुपोषण कुछ ऐसी ही उलझने हैं। शिक्षा समस्त मानवों, उनकी संस्कृति, सभ्यताओं, मूल्यों एवं जीवन शैलियों के प्रति सम्मान विकसित करने वाली होनी चाहिए। व्यक्तियों व राष्ट्रों की बढ़ती अन्योन्याश्रिता की चेतना का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। पारस्परिक सम्प्रेषण की दक्षता, अधिकारों की ही नहीं कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग व एकता की आवश्यकता की अनुभूति, समुदाय के साथ-साथ राष्ट्र व विश्व की समस्याओं के समाधान में व्यक्ति की तत्परता, ऐसे निर्देशक सिद्धान्त हैं, जिन्हें सभी राष्ट्रों को अपनी शिक्षा व्यवस्था का आधार बनाना होगा।

समता व समानता के सिद्धान्तों के अनुपालन के प्रति सजग रहते हुए वंचितों को उनका दायभाग दिलाने हेतु और शोषण से मुक्ति के संघर्ष में उन्हें सक्षम बनाने के लिए मानवाधिकार शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा इस बात पर बल देती है कि विस्तार, आक्रामकता, प्रभुत्व अथवा दमन के लिए ताकत और हिंसा का प्रयोग पूर्णतया अनुचित है। मानवाधिकारों को सामान्यतः ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग और रक्षा की अपेक्षा रखने का हक प्रत्येक मनुष्य को है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में एक गहरी मानवतावादी और सहिष्णुता की परम्परा तथा विविधता के प्रति आदर की परम्परा रही है। मानव जाति का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य जिन अधिकारों के उपभोग करने का हकदार है, इतिहास में उनकी अवधारणा के विकास में ये संघर्ष हमेशा निर्णायक रहे हैं और अब भी हैं, खासतौर पर उन अधिकारों का वास्तविक उपभोग करने में इतिहास में मानव अधिकारों की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया और अधिकारों के वास्तविक व्यवहार में आने में परस्पर विरोध पाये जाते रहे हैं।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों में शिक्षा के अधिकार को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनमें मानवाधिकारों के अभिवर्धन में शिक्षा के महत्त्व पर भी बल दिया गया है। शान्ति, मानवाधिकारों

और लोकतंत्र की शिक्षा के लक्ष्यों को पूर्णतः अमली रूप देने और इस तरह स्थाई विकास और शांति की संस्कृति के निर्माण में योगदान करने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित सभी लोगों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करने दायित्व न केवल माता-पिता पर बल्कि सम्पूर्ण समाज पर है। युवा लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण करने की प्रक्रिया में अनौपचारिक शिक्षा पर निर्णायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी आती है।

शांति, मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र की शिक्षा के समेकित ढाँचे का उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 44वें अधिवेशन में अंगीकृत घोषणा को कार्य रूप देना है। इसमें वे बुनियादी मार्ग-दर्शिकायें सुझाई गई हैं, जिन्हें अलग-अलग समुदायों की परिस्थितियों के अनुसार संस्थागत तथा राष्ट्रीय स्तरों पर रणनीतियों, नीतियों एवं योजनाओं को कार्यरूप दिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग और शांति की शिक्षा तथा मानवाधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं सम्बन्धी शिक्षा के बारे में की गई सिफारिश से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, कार्य के इस ढाँचे में सदस्य राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के समक्ष शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र विषयक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं और रणनीतियों की एक अद्यतन और समेकित दृष्टि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।

औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या में शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र से सम्बन्धित पाठों के समावेश पर अत्यधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक समाज की संस्कृति, विकास की समस्या और इतिहास तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब भी नई पाठ्य सामग्री तैयार करनी हो तो उन्हें नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित विषय के अलग-अलग परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किये जाने चाहिए और जिस राष्ट्रीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में वे लिखी जा रही हैं , उसे पारदर्शी रूप में पेश करना चाहिए। उनकी अन्तर्वस्तु वैज्ञानिक जानकारियों पर आधारित होनी चाहिए।

शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र की शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति सम्बन्धी कार्यक्रमों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। पठन, लेखन और उच्चारित शब्दों की व्यापक समझ नागरिकों को जानकारियां प्राप्त करने, जिस परिस्थिति में वे रहते हैं, उसे समझने, अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने तथा सामाजिक परिवेश में चलने वाली गतिविधियों में भाग लेने की सामर्थ्य प्रदान की जाय। इस प्रकार से विदेशी भाषायें सीखने से अन्य संस्कृतियों को अधिक गहराई से समझने का साधन सुलभ हो जाता है।

शैक्षिक परिवर्तन के प्रस्तावों को अपना स्वाभाविक स्थान, स्कूलों और कक्षाओं में ही प्राप्त होता है अध्यापन और ज्ञानार्जन के तरीकों, कार्यवाई के रूपों और संस्थागत नीतियों की दिशाओं में मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र को रोजमर्रा के व्यवहार की चीजों के रूप में स्थान देना है और उन्हें ऐसी चीजें मानकर चलना है, जिन्हें सीखना जरूरी है। जहाँ तक इस कार्य के तरीकों का सम्बन्ध है, सक्रिय तरीकों, सामूहिक कार्य, नैतिक मसलों की परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। संस्थागत नीतियों की दिशाओं के सम्बन्ध में प्रबन्धन और भागीदारी के कुशल तरीके स्कूलों के लोकतांत्रिक प्रबन्धन को अवश्य बढ़ावा देंगे और इस कार्य में शिक्षकों, शिक्षार्थियों, माता-पिता तथा सम्पूर्ण स्थानीय समुदाय को जोड़ेंगे। शिक्षार्थियों, छात्रों, शिक्षकों तथा विभिन्न देशों या सांस्कृतिक परिवेशों के अन्य शिक्षाकर्मियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क और नियमित आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए और जिन स्थापनाओं में सफल प्रयोग और नवाचारों का प्रवर्तन किया गया हो, उन्हें देखने-जानने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था खासतौर से पड़ोसी देशों के बीच की जानी चाहिए। विफल शिक्षार्थियों का अनुपात घटाने के प्रयत्न को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों अर्थात् अध्यापकों, नियोजकों, प्रबन्धकों, अध्यापक प्रशिक्षकों आदि के स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण में शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र के विभिन्न शिक्षा का समावेश आवश्यक है।

उच्चतर शिक्षा संस्थायें, शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र के निमित्त दी जाने वाली शिक्षा में कई प्रकार से योगदान कर सकती हैं। इस सिलसिले में पाठ्यचर्या में शांति, मानवाधिकारों, न्याय लोकतंत्र के व्यवहार, व्यावसायिक नैतिकता, नागरिक प्रतिबद्धता और सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित ज्ञान, मूल्यों और कौशलों का समावेश करने की संस्तुति की जा सकती है। इस स्तर की शैक्षिक संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी भूमण्डलीकरण की ओर बढ़ते समाज में राज्यों की आत्मनिर्भरता को समझें। नागरिकों की शिक्षा केवल शैक्षिक क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, बल्कि घर, परिवार, समाज, जनसंचार माध्यम आदि की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक स्कूल और परिवार के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, स्कूल की गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उपाय किये जाने चाहिए। बच्चों तथा युवाओं के सामाजीकरण में जन संचार माध्यमों के प्रभाव को अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि इन माध्यमों के आलोचनात्मक विश्लेषण और उपयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए और विद्यार्थियों को तैयार किया जाए। जनसंचार माध्यमों से आग्रह किया जाए कि वे शांति, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और सहिष्णुता के मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दें, जिसके लिए खास तौर से यह जरूरी होगा कि ऐसे कार्यक्रमों में ऐसी सामग्री से बचा जाय जो घृणा, हिंसा, निष्ठुरता और मानवाधिकारों के प्रति अनादर की भावना को भड़का सकती है।

युवा वर्ग के जो लोग स्कूल से बाहर काफी समय बिताते हैं और जिन्हें अक्सर औपचारिक शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलता अथवा कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या नौकरी नहीं मिलती और साथ ही जो युवक अनिवार्य सैनिक सेवा कर रहे हैं, वे शांति मानवाधिकारों तथा लोकतन्त्र की शिक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण समूहों के सदस्य हैं। इसलिए जब वे औपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की बेहतर सुलभता की तलाश में हो, तब यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा उन्हें नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका दायित्वपूर्ण तथा प्रभावकारी रीति अपनाने के लिए तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त शांति, मानवाधिकारों तथा कानून के प्रति सम्मान की शिक्षा जेलों, सुधारगृहों में पड़े युवकों को भी दी जानी चाहिए।

शान्ति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय एवं सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय, व्यावसायिक हलकों, उद्योग तथा जनसंचार माध्यमों के बीच सहयोग के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी। इस एकजुटता तथा सहयोग को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए, ताकि वे शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र की शिक्षा को आग बढ़ाने से सम्बन्धित अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के निर्माण के लिए एक अद्वितीय पूँजी निवेश है।

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली उस राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के सम्भाव्य स्वरूप का प्रतिबिम्ब होती है। शिक्षा के स्वरूप, उसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में उस राष्ट्र के आदर्श, आकांक्षायें, महत्त्वाकांक्षायें प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। ऐसा तब होता है जब शिक्षा को राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़कर उसको सोद्देश्य रूपायित किया जाता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ शिक्षा को कैसे जोड़ा जाए, यह एक कठिन समस्या है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूलमंत्र यह है कि निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जाति-पॉति, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत करे । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत यह जरूरी है कि सारे देश में

एक ही प्रकार के  शैक्षिक संस्थान हों। हमें समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्त्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत है।

**डॉ0 बृजेश कुमार पाण्डेय**
**प्राचार्य,रामजी सहाय पी0जी0 कालेज,रूद्रपुर, देवरिया उ0प्र0 |**

# सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा

**डॉ. सुनीता रानी घोष**

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और देखते ही देखते मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र इस विकास से अछूता नहीं रहा। गुणाकर मुले लिखते हैं "पुराने साधन लेखक के सक्रिय सहयोग के बिना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। टाइपराइटर की एक कुंजी दबाने से कागज पर सिर्फ एक ही संकेत टंकित होता है, परंतु कंप्यूटर-कुंजी-पटल की केवल एक कुंजी स्पर्श-टंकित की जाए तो लेखन व मुद्रण से संबंधित कई तरह के कार्य कुशलता एवं तीव्र गति से स्वयमेव संपन्न हो जाते हैं। यह साधन लिपि, लेखन व मुद्रण, भाषा व साहित्य और समाज को भी, बड़े व्यापक पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। कोई भी भाषा, साहित्य या समाज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की उपेक्षा करके, अब तेजी से आगे बढ़ने की अपेक्षा नहीं रख सकता।" (मुले गुणाकर, पृष्ठ संख्या-13)|सर्वविदित है कि हमारे जीवन में कंप्यूटर से आमूल-चूल परिवर्तन आया है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने के तौर-तरीके बदल गए हैं। चाहे वह संचार का विषय हो, सामान्य वार्तालाप हो, बैंकिंग हो, रेल, बस, या हवाई यात्रा के टिकट हों, होटल की बुकिंग हो या सिनेमा घर के टिकट की, मंदिर के दर्शन हों या किसी डॉक्टर से भेंट , हम जहाँ भी दृष्टि डालें कंप्यूटर का चमत्कारी प्रभाव परिलक्षित होता है। कोविड काल में तो यह प्रभाव और भी गहरा गया जब बच्चों की पढ़ाई, खेल व नौकरियां सभी इन्टरनेट की दुनिया से अटूट रिश्ता बना बैठे। लेकिन क्या ऐसा ही हिंदी के विषय में भी कहा जा सकता है? इसके उत्तर में यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इस क्षेत्र में भी विकास हुआ है और इस विषय पर गंभीर चर्चा भी की जाती रही है। सूचना क्रांति ने इंटरनेट को आम जन के लिए सुलभ बना दिया। इंटरनेट अब विकल्प एवं मनोरंजन से बहुत आगे बढ़कर आवश्यकता का रूप धारण कर चुका है। विकल्प से आवश्यकता बनने तक का यह सफर चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचक रहा है और कई नए बदलावों को अपने अंदर समेटे हुए है। आज लगभग हर आदमी हाथों में मोबाइल थामे देश-विदेश से जुड़ रहा है। छोटी-बड़ी कागजी कार्यवाहियों की जगह अब मोबाइल संदेश, ई-मेल जैसी सेवाओं ने ले ली है। ऐसे में सूचना/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को और अधिक सहज एवं सुलभ बनाने के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इसके उपयोग की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध होती है।

हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोले जानी वाली भाषा है और भारत ही नहीं, अपितु विश्व के अन्य अनेक देशों में भी इसका प्रसार हो रहा है। विश्व के लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। गूगल की एक रिपोर्ट के आधार पर हिंदी का उपयोग इंटरनेट पर हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 में प्रकाशित गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार 90 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय अपनी स्थानीय भाषा में सामग्री के खोजने एवं विश्लेषण को वरीयता देते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईआईटी, आईबीएम, सी डैक इत्यादि संस्थाओं ने हिंदी भाषा को कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई संस्थान इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्लॉग्स के माध्यम से हिंदी में लिखे गए लेख लोगों में इंटरनेट पर हिंदी में विविध प्रकार का साहित्य पढ़ने की रुचि जगा रहे हैं | हिंदी समाचार पत्रों के ई-संस्करण तथा इंटरनेट पर ई-न्यूज़ के रूप में हिंदी समाचारों का प्रकाशन हो रहा है। हिंदी भाषा के सभी प्रमुख समाचार पत्र ई-संस्करण के रूप में इंटरनेट पर पढ़े जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ नए साहित्य का प्रकाशन पुस्तकों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी

विविध रूपों में हो रहा है। हिंदी का नवीन एवं प्राचीन साहित्य हिंदी में ई-बुक, पीडीएफ़, एचटीएमएल तथा अन्य अनेक फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जा रहा है। ई पुस्तकालय, कविता कोश, गद्य कोश, हिंदी समय इत्यादि पोर्टल इस दिशा में सार्थक एवं बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग में भी हिंदी का प्रयोग गति पकड़ चुका है और आम जनता में भी अपनी पहुँच बना चुका है। सोशल मीडिया के विविध मंच ट्विटर, व्हाट्सएप , फेसबुक को अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में उपलब्ध कराने का कारण हिंदी के उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या रही है। हिंदी प्रयोक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण ट्विटर कंपनी ने 2011 में हिंदी इनपुट ट्विटर पर उपलब्ध कराया।हिंदी में लगभग हर विषय पर पत्र-पत्रिकाएं इंटरनेट पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ भी व्यापक प्रसार हेतु इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। हिंदी में अनेक सॉफ्टवेयर तथा टूल विकसित हो चुके हैं जो हिंदी भाषा को कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सफल भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हिंदी में पहले वेबपोर्टल वेबदुनिया ने इंटरनेट पर 2000 में कदम रखा और आज 2022 में हिंदी में अनेक पोर्टल तथा वेबसाइट उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने सभी सरकारी शैक्षणिक चैनल हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए हैं। भारत जैसे वैश्विक बाजार को लुभाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पादों के विक्रय एवं प्रसार के लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आम भारतीय से जुड़ना तभी संभव था, जब आम भारतीय तक उत्पाद की जानकारी उनकी भाषा में ही पहुँचे और भारतीय बाजार में अपनी पहुँच बनाने के लिए यह हिंदी के माध्यम से ही संभव था। इंटरनेट पर हिंदी बड़े बाजार की भाषा के रूप में विकसित हुई और आज इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है।

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में हिंदी का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है और अभी भी इस मंच पर हिंदी अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इंटरनेट पर हिंदी के माध्यम से बहुत कुछ हुआ है, परंतु अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इंटरनेट पर हिंदी के कई पहलू आज भी अनछुए हैं और शायद इसका कारण इंटरनेट पर हिंदी के उपयोग में आने वाली समस्याएं व चुनौतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। चुनौतियों के समाधान की दिशा में बहुत गंभीरता और त्वरित गति से कार्य हो रहा है। हिंदी में यूनिकोड के प्रयोग ने हिंदी टाइपिंग को आसान बना दिया है। इसके साथ ही "वॉयस टू टेक्स्ट" प्रौद्योगिकी में भी हिंदी का प्रयोग सफलता से हो रहा है। "वॉयस टू टेक्स्ट" प्रौद्योगिकी के अनेक टूल या औजार बाजार में उपलब्ध हैं और इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए यूनीकोड़ के आगमन के साथ ही वर्तनी जाँचक, फॉन्ट परिवर्तक हिंदी में तेजी से विकसित हुए हैं। विकास का यह क्रम जारी है। हिंदी को इंटरनेट की प्रभावी भाषा बनाने के लिए नित्य नवीन टूल एवं सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे हैं।

अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ हिंदी भाषियों को हिंदी लेखन एवं संपादन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के विषय एवं लेखों की संरचना भी चिंता का विषय हैं। अंग्रेजी में उपलब्ध लेखों से तुलना करें तो विषयों की प्रासंगिकता, सटीकता एवं विश्वसनीयता का अंतर समझा जा सकता है। हिंदी में विषय-सामग्री को और अधिक सटीक एवं विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है। पाठकों की रुचि जगाने के लिए विषयों का बहुआयामी होना भी आवश्यक है। भारत के बढ़ते वैश्विक बाज़ार ने इंटरनेट पर हिंदी की उपयोगिता तो सिद्ध कर दी परंतु तकनीकी दिक्कतों को दूर किए बिना इनकी सफलता पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके साथ ही तमाम हिंदी भाषियों और हिंदी ब्लॉग लेखकों से अपेक्षा है कि वे महत्वपूर्ण वैश्विक

सामयिक जानकारियों को हिंदी में उपलब्ध कराएं। किसी भी भाषा में लिखे गए साहित्य या लेखों की प्रासंगिकता उस भाषा के पाठकों द्वारा ही तय की जाती है।

हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यूआरएल (Uniform Resource Locator ) या आम भाषा में कहें तो web address की है, क्योंकि सभी वेबसाइट के पते हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में लिखने की सुविधा जब तक नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी न जानने वाले भारतीय इंटरनेट पर अपना सर्वोत्तम नहीं दे पाएंगे। एक और बड़ी व्यावहारिक समस्या है कि हिंदी भाषा बोलने वाली जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत गाँवों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में रहता है, जहाँ इंटरनेट का नेटवर्क पर्याप्त नहीं होता । इसलिए ऐसे स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में बहुत दिक्कतें भी आती रही हैं । हालांकि इस दिशा में प्रयास जारी हैं और सरकार दूर-दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की पहुँच या कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है और इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी इंटरनेट पर हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में मशीनी अनुवाद भी कारगर नहीं है, जब तक हिंदी भाषा का डेटाबेस नहीं बढ़ेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र में इंटरनेट के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सरकार को चाहिए कि वह हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में काम करने वाले, विशेष रूप से सामग्री अपलोड करने हेतु कम आय वाले प्रयोक्ताओं को इंटरनेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराए। आज के युग में इंटरनेट पर किसी भी भाषा का प्रसार उस भाषा के लिए संजीवनी शक्ति होता है। इंटरनेट ने हिंदी भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी भी इनमें अपेक्षित सुधार के साथ उपयोग की सहजता को बढ़ावा देकर इंटरनेट और हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बनाकर चुनौतियों का समाधान खोजते हुए प्रगति करती है तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में हिंदी का भविष्य स्वयं ही उज्ज्वल होगा और अगर हिंदी भाषा की स्थिति दोयम दर्जे की बनी रही तो हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में हिंदी के भविष्य अथवा विकास को लेकर अधिक आशावादी नहीं हो सकते।

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के विकास में जो चुनौतियां प्रस्तुत हुईं, उनमें से एक मूलभूत समस्या का निदान काफी हद तक यूनिकोड के लगातार हो रहे विकास से हुआ है और आने वाले समय में हिंदी या अन्य भाषाओं में कंप्यूटिंग का यह आधार बनेगा- "यूनिकोड में विश्व की हर भाषा के हर अक्षर के लिए कोड दे दिया गया है, जिससे इंटरनेट समेत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की भाषाई पोर्टेबिलिटी से निजात अंततः मिल ही गई।" (रवि रतलामी, पृष्ठ संख्या 53) यद्यपि हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में अभी यूनिकोड की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी हिंदी में अनेक फॉन्ट प्रचलन में हैं। "भिन्न-भिन्न व्यक्ति अर्थात् लेखक, प्रकाशक, वेबसाइट निर्माता अपनी-अपनी पसंद के अनुसार फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे - प्रकाशक अभी भी हिंदी में यूनिकोड में काम न करके कृतिदेव या ऐसे ही किसी फॉन्ट को वरीयता देते हैं। इससे बहुत समस्या आती है। अगर प्रयोक्ता के पास सिस्टम में वह फॉन्ट संस्थापित नहीं है तो वह उस विषय-सामग्री को नहीं देख सकता है।" (सुनीता रानी घोष, पृष्ठ संख्या - 164) गूगल द्वारा विकसित मशीन लर्निंग टूल 'भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी प्रतिनिधित्व' (Multilingual Representations for IndianLanguages & MuRIL)का प्रमुख उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए इंटरनेट को सुविधाजनक बनाना तथा वर्तनी की भिन्नता, लिप्यंतरण, अनुवाद आदि भाषिक चुनौतियों का समाधान खोजना है। इसके द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में उपलब्ध सामग्री एवं सूचनाओं को स्थानांतरित करना संभव

होगा, जिससे निश्चित रूप से हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की अच्छी संभावना है।

यदि आज हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो पाएंगे कि सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 एक ही भाषा के इंटरफ़ेस का विकल्प देता है। अगर हम एक से अधिक भाषा में इंटरफ़ेस चाहते हैं तो उसके लिए हमें अधिक मूल्य देना होता है। अतः भिन्न-भिन्न भाषाओं में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विंडोज सहित सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर या तो भाषामुक्त हों या उनका सस्ता होना आवश्यक है।

किसी भी भाषा की ऑनलाइन कंप्यूटिंग के विकास में सर्च इंजन का अधिकतम योगदान होता है। इसे इंटरनेट पर सूचना प्रसारण व वितरण की रीढ़ कहा जा सकता है। यदि हमें कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा के विकास एवं बेहतर भविष्य की चिंता है तो हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि विभिन्न सर्च इंजनों में हिंदी भाषा की विषयवस्तु का अनुक्रमण व्यापक व दोष रहित हो। ऐसा होने पर ही हिंदी कंप्यूटिंग अधिक प्रभावी व सरल होगी जिससे उसका प्रयोग स्वयं ही बढ़ेगा और प्रयोग की अधिकता से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा का भविष्य सुरक्षित एवं विकास समुचित होगा। इस विषय में अगर हम चीन पर नजर डालें तो विषय की गंभीरता का एहसास हो जाएगा। यह आश्चर्य का विषय है कि जहाँ हम इंटरनेट पर अपनी सर्च या खोज के लिए गूगल पर पूरी तरह आश्रित हैं वहीं चीन में गूगल चौथे स्थान पर है और 2.5 प्रतिशत से भी कम चीनवासी गूगल का प्रयोग सर्च हेतु करते हैं। इसमें एक कारण तो चीन की एक देश के रूप में नीतियाँ भी हो सकती हैं, परंतु मुख्य कारण स्थानीय ही हैं। चीन में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ बायडू (ठंपकन) सर्च इंजन प्रथम स्थान पर है। चीनी लोगों द्वारा चीनियों के लिए बनाए गए इस सर्च इंजन की सफलता का मुख्य कारण स्थानीय भाषा व सामग्री पर उनकी पकड़ है।

सर्च इंजन हमारे जीवन का एक भाग बनते जा रहे हैं, जैसे कि वे हमारे शरीर का हिस्सा हों और हमारे पास हर समय मौजूद विभिन्न तकनीकी उपकरणों जैसे - मोबाइल, टेबलेट इत्यादि पर उनकी उपलब्धता कुछ इस तरह हो गई है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी व हमारे स्वयं के मस्तिष्क में संग्रहीत जानकारी में जैसे कोई अंतर ही न रहा हो। यह सब हमारी अँगुलियों पर उपलब्ध होना वास्तव में क्रांतिकारी है। यह कल्पना की जा सकती है कि यह सब अगर हमारी अपनी भाषा में उपलब्ध हों तो इसके कितने दूरगामी प्रभाव होंगे। तब हम डिजिटल विकास को अपनी सबसे उपेक्षित व अविकसित जनसंख्या तक ले जाने में सफल हो पाएंगे। उल्लेखनीय है कि आज भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अंग्रेजी वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं रखती। भारत के इस वर्ग को कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से पूरी तरह जोड़ना एक बड़ी चुनौती है।

जानकारी का स्थानीय भाषा में उपलब्ध होना व सर्च इंजन की सफलता के बीच के संबंध का एक और उदाहरण है यैंडेक्स (Yandex) सर्च इंजन। statscounter.com के अनुसार मार्च 2022 तक रूस के सर्च इंजन बाजार में यैंडेक्स की हिस्सेदारी 50.34 प्रतिशत है। हालांकि यैंडेक्स की अपनी वेबसाइट पर यह आँकड़ा 60 प्रतिशत से ऊपर बताया गया है। स्पष्ट है कि अगर विषय-सामग्री आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो तो जनसामान्य उसको वरीयता देता है।

सरकार इस दिशा में काम कर रही है परंतु बड़ी जिम्मेदारी युवा उद्यमियों पर है। बायडू का निर्माण चीन के युवाओं ने किया, यैंडेक्स का निर्माण रूस के युवाओं ने किया है। इसी प्रकार भारतीय युवाओं को भी आगे आकर कुछ अभिनव कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा हम केवल "गूगल भारतीय भाषाओं के लिए और भी कुछ करे", ऐसी प्रार्थना करते रह जाएंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं जैसे कि guruji.com,khoj.com,Rediff.com,epicsearch.in,neeva.com व हाल ही में विकसित qmqmu.com इत्यादि। लेकिन इनकी पहुँच सीमित ही रही है। ( सुनीता रानी घोष, पृष्ठ संख्या-160 )

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार 'भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास' Technology Development for Indian Language (TDIL) कार्यक्रम के अंतर्गत इस पर काम कर रहा है । tdil का उद्देश्य तकनीक के विकास में भाषाई व्यवधान को दूर करना है। tdil द्वारा इस हेतु विविध सॉफ्टवेयर व टूल विकसित कराए गए हैं। यह भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा 2021 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) नामक एक मिशन की भी घोषणा की गई है जो 'भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास' कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा ।

दिसंबर 2021 में लिंक्डइन (Linkedin) ने अपने मंच को हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफार्म है जो रोजगार के चाहने या उसमें और उन्नति चाहने वालों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। हिंदी पहली भारतीय भाषा है, जिसमें अब लिंक्डइन उपलब्ध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत लिंक्डइन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हिंदी में उपलब्ध होने के बाद यह कहाँ तक पहुँचेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बड़े प्रतिष्ठान द्वारा यह निर्णय लिया जाना यह दिखाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का भविष्य न केवल सुरक्षित है बल्कि उज्ज्वल भी है। अगर हम इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएंगे तो यह डाटा बड़े प्रतिष्ठानों तक पहुँचेगा और बढ़ते बाजार को भुनाने हेतु वे हरसंभव प्रयास करेंगे। वे अवश्य लाभ कमाने के लिए आगे आएंगे और यह कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सर्वविदित है कि जैसे-जैसे देश-विदेश में हिंदी भाषा का विकास-प्रसार हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में उसके विकास के रास्ते खुलते गए।

**डॉ. सुनीता रानी घोष**

**अध्यक्ष, हिंदी विभाग, आगरा कॉलेज ,आगरा |**

# राजभाषा हिंदी का संक्रमण काल और उसकी स्थिति

**डॉ. रेखा गुप्ता**

''एकता और अखण्डता की कड़ी हूँ मैं
राजभाषा हूँ देश की, सबसे जुड़ी हूँ मैं''

प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है कि राष्ट्रपिता ने इस देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्र भाषा को ही बताया था और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जब हमारी संविधान सभा ने अंगीकार किया तो निश्चय ही उसके सामने राष्ट्रपिता की तस्वीर रही होगी।

''महात्मा गाँधी का सपना था, अपना देश एक हो चाहे वह अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित हो। उस देश की एक भाषा हो, चाहे उसमें अलग-अलग बोलियों के शब्दों का समावेश हो। इन शब्दों को जोड़कर जो भाषायी गुलदस्ता बनेगा, वही हमारी भाषा हिंदी होगी। घर में माँ जैसी देश के लिए हिंदी ।''

भाषा मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है साथ ही एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है, परस्पर सुख-दुख, आशा, आकांक्षाओं, आचार विचार ,वेष-भूषा, ज्ञान-विज्ञान कला सहित समस्त आध्यात्मिक विरासत, संस्कृति तथा समस्त चिन्तन भाषा में निबद्ध होते हैं। प्रजातंत्रीय राष्ट्र के चार अनिवार्य तत्वों में संविधान, राष्ट्रगान ,राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्र भाषा भी नितांत आवश्यक होती है।

राष्ट्रभाषा से तात्पर्य देश के सबसे बड़े भूभाग पर बोली,पढ़ी,लिखी और समझी जाने वाली उस भाषा से है जिसमें उस भूभाग पर रहने वाले लोगों की संस्कृति के तत्वों को अन्तर्निहित करने की क्षमता तथा प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता निहित हो।

वैदिक ऋचाओं से लेकर सूफियों और सन्तों की वाणियों तक हमारे पास जो अक्षय भण्डार है, वह हमारी भाषायी विरासत और संस्कृति का वैभव है। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सूरदास, मीरा, तुलसीदास, कबीर, रैदास की परम्परा एक ओर तथा रामानंद, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य की परम्परा दूसरी ओर, एक का तत्व चिन्तन और दूसरे का भावबोध। दोनों भाषा के सहारे ही आगे बढ़ते हैं।

ये सच है कि जब किसी राष्ट्र पर कोई विदेशी भाषा हावी होने लगती है तभी उस राष्ट्र की संस्कृति का ह्रास होने लगता है। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। किसी भी राष्ट्र और संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। इस सूत्र को भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने भली-भाँति समझा और आरंभिक आक्रमणकारियों ने संस्कृत जैसी समृद्ध वाणी को हाशिए पर करके अपनी भाषाएँ लादने की कोशिश की। बाद में अंग्रेज आए और अपनी दूरगामी नीति के तहत भारतीय भाषाओं की धज्जियाँ उड़ाकर अपनी भाषा और अपना हित लाद कर चले गये। इसी वजह से भारत का आत्मविश्वास कुछ समय के लिए कमजोर अवश्य हो गया था लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ |

आज हिंदी अपनी वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है, हमारे भाषाविदों ने इस चुनौती को स्वीकार करके वर्षों पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिया था। डा0 रघुवीर, डा0 अरविन्द कुमार जैसे महानुभावों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है |आज भाषिक संरचना की दिशा में निरन्तर अनुसंधान हो रहे हैं। हिंदी भाषा आज के युग की भाषा बने, विज्ञान और नई तकनीकी की भाषा बने, यह आज के युग की माँग है।

उपभोक्ता संस्कृति में लाभ की भाषा, बिकने की भाषा, बाजार व विपणन की भाषा सबसे बड़ी होती है | हिंदी की व्यावसायिक सामर्थ्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भली-भाँति समझती हैं। इसीलिए आज हिंदी भाषा बाजार और मुनाफे की कुंजी बन रही है।

आज हिंदी की व्यापक लोकप्रियता और इसे संप्रेषण के माध्यम के रूप में मिली आम स्वीकृति किसी संवैधानिक प्रावधान या सरकारी दबाव का परिणाम नहीं है। मनोरंजन की फिल्म की दुनिया ने इसे व्यापार और आर्थिक लाभ की भाषा के रूप में विस्मयकारी रूप से स्थापित किया। उसने आज पारंपरिक विरोधियों व उनके दुराग्रहों का मुंह बन्द कर दिया | आज हम स्पष्ट देख रहे हैं, कि आर्थिक सुधार व उदारीकरण के दौर में निजी पहल का जो चमत्कार हमारे सामने आया है इससे हिंदी दुनियाँ के दूर-दराज के एक बड़े भूभाग में समझी जाने वाली भाषा स्वतः बन गई है।

आज के युग में विज्ञान के ज्ञान को जन साधारण तक पहुँचाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, यह स्वयंसिद्ध है, विज्ञान के सरल ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना विदेशी भाषा के द्वारा नहीं हो सकता और न ही विकास का मार्ग ही प्रशस्त हो सकता है। इसीलिए भारतेन्दु जी ने कहा था.....

''निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल

बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल''

आजकल साक्षरता के प्रचार में हिंदी विज्ञान लेखन में नाटक विधा का समावेश हो चुका है। विज्ञान लेखन में आयोजित नाटकों एवं नुक्कड़ नाटकों में यह विधा उपयोगी है। इसमें वार्तालाप के बीच-बीच में प्रभावी कविताओं तथा शेर शायरी का उपयोग किया जाता है। विज्ञान लेखन को ललित बनाने में यह शैली अत्यन्त उपयोगी है।

विज्ञान लेखन कई विधाओं -कहानी, गल्प, कार्टून, कविता, पहेली, चुटकुले, नाटक, कथा आदि में मिलते हैं। देहाती क्षेत्रों में रेडियो आज भी बहुत लोकप्रिय संचार माध्यम है। आकाशवाणी द्वारा समय-समय पर विज्ञान वार्ताएँ, कृषि एवं विज्ञान समाचार, मौसम संबंधी जानकारी सुलभ करायी जाती है। आकाशवाणी द्वारा ज्वलंत समस्याओं एवं नवीन विषयों- एड्स लेज़र चिकित्सा, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण, गर्भावस्था एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, कंप्यूटर,सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी पर विज्ञान, नाटक, कविताएँ, कहानियाँ आदि आमंत्रित की जाती है।

अतः राजभाषा के भविष्य को लेकर यही कहना है कि आज हिंदी का विकास निरन्तर उत्तरोत्तर गति से बढ़ता जा रहा है।

**डॉ. रेखा गुप्ता**

**एसोसिएट प्रोफेसर ,हिंदी विभाग,अवध गर्ल्स पी0 जी0 कॉलेज**

**लखनऊ |**

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1 विश्व बाजार में हिंदी , संपादक-महिपाल सिंह, देवन्द्र  मिश्रा, पृष्ठ 19''
डा0 सुरेश बाला, का लेख -''मेरी यात्रा''
2 विश्व बाजार में हिंदी , संपादक महिपाल सिंह, देवन्द्र मिश्र, पृष्ठ 215
3 ''हिंदी  राष्ट्रभाषा- राजभाषा, जनभाषा-शंकर दयाल सिंह ,पृष्ठ 56
4 हिंदी  राष्ट्रभाषा, राजभाषा और जनभाषा, शंकर दयाल सिह, पृष्ठ 112

# घरेलू बचत और वित्तीय साक्षरता

**डॉ. संजीव कुमार सिंह, प्रो. नावेद जमाल**

सकल घरेलू बचत दर (जी डी एस आर), किसी देश में परिवारों द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के अनुपात में, बचत के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। यह देश की वित्तीय स्थिति और विकास को इंगित करता है, क्योंकि घरेलू बचत सार्वजनिक सेवाओं को निधि देने के लिए सरकार के उधार का मुख्य स्रोत है। जी.डी.एस.आर. भिन्न-भिन्न देशों के बीच अलग-अलग होता है और विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि सेवानिवृत्ति की आयु, उधार लेने में बाधा, जीवनकाल में आय वितरण, जनसांख्यिकी और कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकारों द्वारा उठाए गए कदम। उदाहरण के लिए, एक देश जो कामकाजी उम्र के लोगों पर लगाए गए कर से उत्पन्न सेवानिवृत्ति पेंशन का भुगतान करता है, उन देशों की तुलना में जी.डी.एस.आर. कम होगा जहां लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से अंशदान करने के लिए बचत करनी होगी।

दूसरी तरफ, वित्तीय साक्षरता, कौशल और ज्ञान का एक ऐसा सेट है जो किसी व्यक्ति को अपने सभी वित्तीय संसाधनों के सन्दर्भ में प्रभावी निर्णय लेने के लिए सक्षम और कुशल बनता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वित्तीय साक्षरता - वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का संयुक्त समग्र रूप है, जिसकी सहायता से वित्तीय फैसले लिये जा सकें और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। वित्तीय साक्षरता को वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है विशेष रूप से तब, जब नए वित्तीय उत्पाद बाजार में आये हैं और वित्तीय बाजारों की जटिलता बढ़ी है। इन नए कारकों को समझने के लिए लोगों में व्यापक वित्तीय समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से तब, जब भारत में वित्तीय साक्षरता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। भारत में वित्तीय साक्षरता का स्तर ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम लगभग 24 प्रतिशत, है जबकि ब्रिक्स राष्ट्रों में 28 प्रतिशत और यूरोपीय राष्ट्रों में 52 प्रतिशत है। अधिकतर देश आज वित्तीय साक्षरता के लिए राष्ट्रीय रणनीति बना रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता किसी देश में मानव संसाधन विकास और जीवन स्तर की वृद्धि करने में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि आज, भारत सहित बहुत से विकसित और विकासशील देशों में वित्तीय साक्षरता के लिए राज्य द्वारा अभियान चलाए जा रहे है। राष्ट्रीय बचत का मुख्य स्रोत होने के कारण भी परिवारों द्वारा की गई बचत आज राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रमों का फोकस हैं। देश में पारिवारिक बचत, सकल घरेलू बचत का ही एक संघटक है। परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, परिवार क्षेत्र का योगदान सकल बचत का लगभग 60 प्रतिशत है। इसप्रकार भारतीय परिवारों द्वारा की गई बचत जी डी पी का लगभग 18 प्रतिशत है। यही कारण है कि नीति निर्माताओं द्वारा गंभीरता से विचार किया गया है। वास्तव में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को समझने से लोगों को पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। उपयुक्त वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण वाले लोग बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाने में सक्षम होते है पैसे का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं।

भारतीयों को बचतकर्ता के रूप में जाना जाता है, परन्तु यह आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों से गिर रहा है, जिसका मुख्य कारण सापेक्षिक आय में कमी और घरेलू खपत में वृद्धि है। हालाँकि, भारत में राष्ट्रीय बचत दर वर्तमान में विश्व औसत से पांच प्रतिशत ज्यादा है परन्तु 2010 से 2017 के बीच यह क्रमिक रूप से चार प्रतिशत गिरी है। वस्तुतः राष्ट्रीय बचत दर कम होने से सकल मांग दर के कम होने का खतरा बना रहता है। भारत में मौजूदा बचत दर 29.8 है। वास्तव में बचत को वित्तीय साक्षरता माध्यम से प्रभावी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। किसी देश में यदि पूंजी निवेश की दर उच्च है तो कम बचत दर का एक तार्किक कारण दीखता है और यह निवेश अंततः सकल घरेलू उत्पाद के रूप में सामने आ पाता है परन्तु भारत में बचत दर के साथ निवेश दर में भी कमी आई है। विशेष रूप से देश में शहरी क्षेत्रों में बचत दर में अधिक कमी आई है जिससे मांग प्रेरित वृद्धि के कम होने की आशंकाए आई है।

बचत को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं जैसे - आय का स्तर, बचत करने की इच्छा, सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता का स्तर, सामाजिक- धार्मिक रुझान, जनसँख्या का दबाव और सरकार की आर्थिक नीतियां। इन सब कारकों द्वारा बचत में वृद्धि या कमी दर्ज की जाती है। वस्तुतः वित्तीय साक्षरता इन्हीं सभी बाधाओं और कारकों के प्रति लोगों को सचेत करती है और यह बताती है कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें।

भारत जैसे देश, जहाँ आय का स्तर निम्न है, के लिए वित्तीय साक्षरता एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और अंततः वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी (एसएंडपी) द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण एशियाई देशों में, 25% से कम वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत में वित्तीय साक्षरता लगातार खराब रही है। वित्तीय अशिक्षा वित्तीय सुरक्षा की उच्च लागत और कम समृद्धि के रूप में राष्ट्र पर बोझ डालती है। इसका एक उदाहरण यह तथ्य है कि अधिकांश लोग भौतिक संपत्ति और अल्पकालिक साधनों में अधिक निवेश करने का सहारा लेते हैं, जो दीर्घकालिक निवेश की अधिक आवश्यकता के साथ संघर्ष करते हैं। वित्तीय साक्षरता, परिवारों को अपने जीवन स्तर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ देश में पूंजी निर्माण, दोनों, के लिए महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता बढ़ाती है।

वित्तीय साक्षरता का न होना विकासशील देशों के लिए एक चुनौती है। विकासशील देशों में वृद्धि दर बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि लोगों की समझ बढ़ने पर कार्य किया जाए। आज जब प्रौद्योगिकी में तेजी विकास हुआ है और इंटरनेट के प्रसार ने वित्तीय सुविधाओं और उत्पादों को बिलकुल ही बदल कर रख दिया है। साथ ही वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की चिंताए भी उभर कर आई है। इसलिए आज वित्तीय साक्षरता की जरूरत पहले से कही अधिक महसूस की जा रही है। इंटरनेट ने जहा एक तरफ चुनौती कड़ी की है वही दूसरी तरफ यह सुविधा भी दी है कि हम लोगों तक आसानी से पहुंच बना सके साथ ही साथ इंटरनेट के जरिए वित्तीय सुविधाए पहुंचा सकें।

दुनियाँ भर में आज ई-मार्केटिंग और ई -वित्तीय उत्पादों की भरमार लग गई है इस लिए आज वित्तीय साक्षरता आज ई-साक्षरता से भी जुड़ गयी है।

इस प्रकार जटिलताओं के बढ़ने के क्रम में यदि समय रहते कार्य नहीं किया गया तो लोग पारिवारिक बचत स्तर पर अपनी सक्षमता खो सकते हैं।

समय-समय पर आने वाले वित्तीय संकटों ने वित्तीय साक्षरता का महत्त्व और बढ़ा दिया है। जैसे 2008 - 2009 में वित्तीय संकट ने दुनिया का ध्यान वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता की तरफ खींचा। आज विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित देश भी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं पर विकासशील देशों में वित्तीय साक्षरता कम स्तर से वित्तीय संकट के दुष्परिणाम अधिक दुखदायी हैं। विकासशील देशों में भी विशेष रूप से गरीब आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता आमतौर पर बहुत कम है।

सरकार और RBI बृहद स्तर पर लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में बैंकिंग व्यवस्था में ढांचागत सुधार के साथ लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में वित्तीय नियामक- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने मिलकर एक संयुक्त चार्टर बनाया है जिसमें उनके द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति की पहल के साथ-साथ बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकिंग हाउस, म्युचुअल फंड और बीमाकर्ताओं जैसे अन्य बाजार सहभागियों के प्रयासों का भी विवरण है। लोगों में एक मिथक है कि वित्तीय साक्षरता, सामान्य साक्षरता के साथ ही आ जाती है या जो साक्षर है वह वित्तीय रूप से भी साक्षर होगा परन्तु यह सही नहीं है बल्कि वित्तीय साक्षरता, साक्षरता से अधिक वित्तीय व्यवहार में बदलाव के बारें में है बात करता है।

भारत में विभिन्न वित्तीय नियामक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति नियमन बोर्ड-सेबी, विनियामक और विकास प्राधिकरण आदि बहुसूत्रीय प्रणाली के जरिए विशाल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पहले ही शुरू कर चुके हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों, और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों को केन्द्रीय बैकों के बारे में और सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 'प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी'' नाम से एक परियोजना शुरू की है। सेबी ने देशभर में अनुभवी और जानकार लोगों की एक सूची तैयार की है, जो विभिन्न समूहों को बचतों, निवेश, वित्तीय आयोजन, बैंकिंग, बीमा, सेवानिवृत्ति के बाद धन के उपयोग की योजनाओं, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। विभिन्न राज्यों में अब तक ऐसी 3500 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग 3 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं।11

बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण पॉलिसी धारकों को अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में और विवादों को हल करने के तरीकों के बारे में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी तथा 11 अन्य भारतीय भाषाओं के जरिए सरल भाषा में संदेश और जानकारियां देते हैं।

पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण, आम जनता को सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदेश देता है। इस प्राधिकरण ने पेंशन के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची को अपनी वेबसाइट पर डाला है तथा समाज के वंचित वर्गों को पेंशन सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए यह विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। इसी प्रकार, व्यावसायिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन एजेंसियों और म्युचुअल फंडों ने भी वित्तीय शिक्षा के बारे में प्रयास किये हैं। इसके लिए उन्होंने सेमिनार आयोजित किये हैं और समाचार पत्रों में अभियान चलाए हैं तथा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं।

सरकार वित्तीय समावेशन के लिए बड़े स्तर पर भले ही काम कर रही हो या वह सभी के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दे परन्तु वित्तीय साक्षरता के अभाव में वह लोगों को बैंकों तक पहुंचने की आदत नहीं डाल सकती। वास्तव में बचत और वित्तीय प्रबंधन जरूरत के साथ-साथ एक प्रवृत्ति और आदत भी है।

इस प्रकार आप लोगों को बैंक ग्राहक बना सकते हैं परन्तु जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करते तब तक आप किसी बैंकिंग सेवाओं का उपयोगकर्ता नहीं बना सकते। बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता और समझ, वित्तीय उत्पादों की मांग बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम हो सकता है।

वित्तीय साक्षरता का मुद्दा उतना सरल नहीं है जितना लगता है। इसके लिए जागरुकता संबंधी रणनीतियां बनानी होंगी, उपभोक्ता की आवश्यकता और वित्तीय उत्पादों की गुणवत्ता को समझना और समझाना होगा ताकि लोगों की जरूरतों के अनुसार उन्हें उचित वित्तीय उत्पाद चुनने में मदद मिल पाए। इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम ख़राब और मिससेलिंग वाले उत्पादों पर कड़ी कार्यवाही भी है जो लोगों को बचत और निवेश के लिए हतोत्साहित करते हैं।

भारत में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचने की जरूरत है। लोगों का वित्तीय साक्षरता पर और पारंपरिक तरीकों पर टिके रहने की प्रवृत्ति इस मार्ग में बाधा बनी हुई है। वस्तुतः वीडियो क्लिप, लघु फिल्म और वित्तीय शिक्षा पर इंटरैक्टिव क्विज़ जैसे पारंपरिक प्रयास पारंपरिक माध्यम की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल ने इन उपायों का बेहतर तरीके से प्रयोग किया है और इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की जरूरत है। वित्तीय साक्षरता को एक बहु-स्तरीय प्रयासों के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। लोगों तक सिर्फ मल्टीमीडिया के जरिए पहुंचना ही काफी नहीं होगा बल्कि लोगों के वे सामाजिक-धार्मिक रूझान जो बचत को हतोत्साहित करते हैं या वित्तीय व्यवहार को विकृत करते हैं उनसे भी पार पाना होगा। इसी प्रकार स्कूली शिक्षा में वित्तीय साक्षरता को जोड़कर भी एक बड़ी सफलता इस दिशा में प्राप्त की जा सकती है।

वस्तुतः वित्तीय साक्षरता अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए :-

पहला, वित्तीय सेवाओं, विभिन्न वित्तीय उत्पादों और उनकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को जागरुक बनाना और शिक्षित करना। दूसरा, जानकारी को व्यवहार में बदलने की वृत्तियों को विकसित करना। तीसरा, वित्तीय सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना और चौथा वित्तीय उत्पादों से संबंधित किसी भी शिकायत और निवारण के तरीकों को समझाना।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों के संयुक्त प्रयासों को साथ-साथ चलाया जाए ताकि लोगों की धारणाओं में परिवर्तन और जागरुकता के माध्यम से औसत वित्तीय प्रबंधन में सक्षम बनाया जा सके। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों और व्यक्तिगत प्रयासों को भी समेकित किया जाना चाहिए। भारत में वित्तीय साक्षरता फैलाने के कार्य में केन्द्र और राज्य सरकारें, वित्तीय नियामक, वित्तीय संस्थाएं, सभ्य समाज, शिक्षाविद् और अन्य एजेंसियां जैसे सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति बनाने और उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। एक एकीकृत, समन्वित और विस्तारित वित्तीय शिक्षा अभियान लंबी अवधि तक चलाए जाने से ही अधिक से अधिक लोग कारगर तरीके से अपने धन का प्रबंधन कर सकेंगे |

***डॉ. संजीव कुमार सिंह***
***भारतीय सूचना सेवा , नई दिल्ली |***
***प्रो. नावेद जमाल***
***जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली |***

# निर्णय लेखन -एक कला

**डॉ. मिथिलेश चंद्र पांडेय**

न्यायाधीशों द्वारा दोनों पक्षकारों की दलीलों और सबूतों का विधि की लागू परंपरा के आधार पर निर्णय सुनाने या लिखने की विधा को निर्णय लेखन कहा जाता है। यह एक ऐसी विशेष विधा है जिसकी जानकारी के बिना कोई भी न्यायनिर्णायक व्यक्ति सही और सटीक निर्णय पर पहुंचने में सफल नहीं हो सकता है।

आम जनता विशेषकर वाद के दोनों पक्षकारों का यह अधिकार है कि वे न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की विषय- वस्तु को ठीक से जानें और समझें। न्यायाधीश को निर्णय देते समय उसी भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहिए जिसे दोनों पक्षकार आसानी से जानते और समझते हों। हमारे देश के 43 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते और समझाते है.। अतः यह प्रासंगिक है कि न्यायाधीश द्वारा अपना निर्णय अंग्रेजी भाषा के बजाए हिंदी भाषा में लिखा और सुनाया जाए।

निर्णय-लेखन एक कला है। केवल वही न्यायाधीश निर्णय लेखन की कला में पारंगत हो सकते हैं जिसे निर्णय लेखन के सभी आयामों की समुचित समझ हो। न्यायाधीशों, विशेषकर उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में निर्णय दिया जा रहा है। हिंदी में निर्णय दिया जाना सरल और सहज है। हिंदी में प्रचुर शब्द और शब्दावलियां हैं। अतः न्यायाधीश इनके सहयोग से हिंदी भाषा में निर्णय लिख/ सुना सकते हैं।

प्राचीन धर्मशास्त्रों में न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित श्लोक का स्मरण करना न्यायोचित होगा।

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः।

सप्राडिववाकस्सामात्य: सब्राह्मणपुरोहितः ॥

समाहितमतिः पश्येद् व्यवहाराननुक्रमात्।

नैकः पश्येच्च कार्याणि वादिनो: श्रणुयाद्वचः ॥

रहसि च नृपः प्राज्ञः सभ्याश्चैव कदाचन।

अर्थात्-

(1) राजा को वाद क्रिया में मुख्य न्यायाधिपति को, अमात्य ब्रह्मणों की एवं पुरोहितों की सहायता लेनी चाहिए। उसे धर्मशास्त्रों का पूर्णतया अनुसरण करना चाहिए, लोभ और क्रोध से दूर रहना चाहिए।

(2) राजा को अकेले में न तो न्याय क्रिया करनी चाहिए न पक्षकारों को सुनना चाहिए।

(3) राजा और न्यायाधीशों को एकांत में कभी न्याय क्रिया नहीं करनी चाहिए।

न्यायाधीश का प्रमुख कार्य सत्य का पता लगाना है। सत्य की खोज प्रमुखतः तथ्य और तर्क पर आधारित होती है किंतु न्यायाधीश सामान्यतः अपने अनुभव, मनोविज्ञान और मानव प्रवत्तियों की कसौटी पर परिकल्पना को आंकते हुए अपना निर्णय देता है। निर्णय सामान्यतः व्यावहारिक जीवन से ओत-प्रोत होता है। न्यायाधीश साक्ष्य स्वीकार करने के सभी सिद्धांतों को लागू करता है और कानून के निर्वचन के भी सिद्धांतों का पालन अपना निर्णय देते समय करता है।

विवादों को मोटे तौर पर तीन परंपरागत भागों में बांटा जा सकता है- (1) सिविल, (2) दांडिक और (3) राजस्य। सिविल विवाद में वाद-पत्र फाइल होने के पश्चात् समन जारी होने पर प्रतिवादी से लिखित कथन मांगा जाता है। न्यायाधीश दस्तावेजी साक्ष्य तथा वाद-पत्र और लिखित कथन के परीक्षण के पश्चात् विवाद्यक तैयार

करता है और निर्णय लेखन में उन्हीं विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए कानूनों, पूर्व निर्णयों और दस्तावेजी साक्ष्यों को आधार बनाता है। इसी प्रकार दांडिक मामलों में भी दंड न्यायालय तथ्यो, साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य के गहन मूल्यांकन के पश्चात् अपना निर्णय देता है। राजस्व मामले में भी न्यायाधीश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय देता है।

न्यायाधीशों और निर्णय का विवेचन करने वाले लोगों को यह सुस्पष्टतः ज्ञात होना चाहिए कि निर्णय लेखन के क्या आयाम हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्री महावीर कार्बन लि. बनाम ओम प्रकाश जालान (फाइनेन्सर) और एक अन्य (2016) 1 एस.सी. सी. (क्रि.) पृ. 315 वाले मामले में इस बात पर बल दिया कि सभी वाद-बिंदुओं को निपटाने के पूर्व उनके कारण सहित प्रभावी, व्यावहारिक और व्यवहार्य विनिश्चय किया जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश और निर्णय लिखने के संबंध में कतिपय निर्देश दिए हैं जो इस प्रकार है:-

(1)निर्णय या आदेश देते समय न्यायाधीश को सदैव स्वविवेक से मामले से संबंधित तथ्य और विधि से संबंधित तर्कों का ही उल्लेख करना चाहिए।

(2) निर्णय का प्रारूप तैयार करते समय यथावश्यक निष्कर्ष तक पहुंचने वाली सभी बातों को अंकित किया जाना चाहिए।

(3) निर्णय लिखने में क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(4) निर्णय की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए।

(5) निर्णय लिखते समय उचित सावधानी बरतनी आवश्यक है, किंतु संपूर्ण विधिक उपबंधों का उल्लेख करना अतिआवश्यक नहीं है।

निर्णय लेखन में कारणों का बहुत महत्व है। विवाद्यक से संबंधित कारणों पर विचार करना अति महत्वपूर्ण है किंतु यदि निर्णय में कारण नहीं है तो यह सर्वमान्य नहीं है। न्यायाधीश को निर्णय लिखने का प्राधिकार है किंतु न्यायाधीश इस अधिकार का प्रयोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं कर सकते । विद्वान् डैनिश डिडरोट के शब्दों में 'न्यायालयों के निर्णय केवल मुदित नहीं होते बल्कि आगे चलकर वे विधि का प्राधिकार ग्रहण कर लेते है।

अंततः यह कहना समीचीन है कि किसी भी विवाधक के निर्णय में उस विषय से संबंधित सांगोपांग आयामों का विवेचन करते हुए उसका निष्कर्ष समाहित होता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, युक्तिसंगत उपबंध का विवेवन करना, निर्वचन और अर्थान्वयन के सिद्धांतों को लागू करना, पूर्व निर्णयों को मामले के संदर्भ में उपयोजित करना तथा व्यावहारिक परिस्थितियों पर ध्यान देना न्यायाधीश की निर्णय लेखन के समय दृष्टि होनी चाहिए । निर्णय-लेखन एक कला है और बराबर परिमार्जन से ही कला उभरकर निकलती है। इसलिए, निर्णय-लेखन के लिए उपरोक्त विषयों पर ध्यान देना अपरिहार्य है।

डा. मिथिलेश चंद्र पांडेय
पूर्व प्रधान संपादक
विधि साहित्य प्रकाशन,विधि और न्याय मत्रालय,नई दिल्ली |

# नगर एक- राजा दो

**डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी**

प्रकृति ने मध्य प्रदेश को नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों के माध्यम से प्राकृतिक सुषमा का वरदान दिया है। मध्यप्रदेश का मालवा अंचल का भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य इसे अन्य अंचलों की तुलना में विशेष स्थान देता है। इसके बारे में कहा जाता है- मालव धरती गहन गंभीर, पग पगरोटी, डग-डग नीर, वर्तमान में देवास, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर इस मालवा के प्रमुख नगर हैं। इन्दौर को साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक और देवास को औद्योगिक तथा उज्जैन को आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है।

वाराणसी के भोर अवध की शामों की भांति मालवा की रातें विख्यात हैं। इसका मूल कारण इस क्षेत्र की जलवायु है। सूर्योदय के साथ मालवा में तापक्रम बढ़ जाता है, सूर्य ढलने के साथ-साथ इसमें गिरावट आ जाती है और रात्रि में तापक्रम काफी गिर जाता है। मई-जून के महीने में जहाँ उत्तर भारत में 'एसी' का प्रयोग चरमसीमा पर होता है वही मालवा में सामान्यतः पंखो का प्रयोग भी न्यूनतम होता है यदि आप खुली छत पर हैं तो रात्रि में आपको कम्बल की भी जरूरत हो सकती है। यह भारतीय वसुंधरा की विशिष्टता है।

इतिहास में देवास का उल्लेख 1600ई. के आस-पास मिलता है। कहा जाता है कि देवा शाह नामक महाजन ने इसे बसाया था। इसी से इसका नाम देवास हो गया। उस समय नगर नागदा- ग्राम देवास कहा जाता था। यह नगर मध्यप्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर तथा धार्मिक/ पौराणिक नगरी उज्जैन से मात्र 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग स्थित हैं जिनमें से पहला ज्योतिर्लिंग (महाकाल) उज्जैन तथा दूसरा ओंकारेश्वर/ ममलेश्वर में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग देवास से लगभग 110 कि.मी. दूर है। उज्जैन में प्रत्येक बारह वर्ष बाद क्षिप्रा नदी के तट पर बाबा महाकाल के सान्निध्य में कुंभ मेले/ स्नान का आयोजन होता है। यह महापर्व 'सिंह' राशि में आयोजित होने के कारण इसे कुंभ के स्थान पर 'सिंहस्थ' कहा जाता है।

इन्दौर के होल्कर साम्राज्य के अशक्त पड़ जाने पर देवास पर शाह और पंवार वंश का आधिपत्य हो गया। देवास वह ऐतिहासिक नगर है जिसमें दो राजाओं की एक राजधानी थी। आज भी देवास में दो राजवाडे (महल) हैं जो छोटी पाती, बडी पाती के रूप में विभाजित हैं। उस समय एक राजधानी और दो शासकों का लाभ उठाने में अपराधी पीछे नहीं रहते थे क्योंकि विभाजक सीमा रेखा नगर के मध्य होने के कारण अपराध करके दूसरे राज्यों में पहुँच जाते थे जिससे उन्हें तुरंत पकड़ पाना कठिन होता था।

बड़ी पाती पर पंवार वंश और छोटी पाती पर कोल्हापुर नरेश 'शाह वंश' का आधिपत्य था। इन शासकों में दादा के बाद पौत्र को दादा का नाम मिलता था और प्रथम द्वितीय की संज्ञा से जाने जाते थे। स्वाधीनता मिलने पर ये दोनों रियासतें भारत संघ में शामिल हो गयीं। 01 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश बन जाने के बाद पंवार वंश राजनीति में कूद गया और तत्कालीन पूर्व शासक श्री कृष्णाजी राव पंवार भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, तदनन्तर विधायक बने। कुछ समय बाद इनके पुत्र श्री तुकोजीराव पंवार अनेक वर्ष विधायक रहे और राज्य मंत्री परिषद में मंत्री पद पर भी रहे | वर्तमान में उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री राजे देवास नगर की विधायक हैं।

1857 की क्रांति में देवास भी क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र रहा। होल्कर वंश, पंवार वंश स्वयं अधिक शक्तिशाली नहीं थे। इसीलिए ये खुलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाए। होल्कर वंश के सेनानायक शहादत अली ने राजवंश की मूक सहमति से तोपखाने के साथ क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तात्या

टोपे भी  कई बार देवास में  आकर छिपे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन देवास नरेश के एक चिकित्सक अपने 11 चिकित्सा कर्मी /सहयोगियों  के साथ अंग्रेजों की ओर से शामिल हुए थे, लेकिन देवास नरेश की मौन सहमति पर अंग्रेजों का साथ छोड़कर नेताजी सुभाषचन्द्र की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया।  जब आजाद हिंद फौज अंग्रेजों की फौज को हराती हुई मणिपुर पहुंची तब अंग्रेजों की सेना से युद्ध के दौरान सबसे पहला शहीद सैनिक अप्पाजी कदम देवास के ही नागरिक थे। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में भारत की भूमि पर पहली शहादत देवास ने दी।

स्वाधीनता के समय देवास आदिवासी बहुल पिछड़ा क्षेत्र था |बीसवीं सदी के छठे दशक में श्री प्रकाश चन्द्र सेठी के प्रयत्नों  से देवास में औद्योगीकरण प्रारंभ हुआ। भारत सरकार ने देवास में आधुनिक जटिल मशीनों से युक्त करेंसी छापने का कारखाना 'बैंक नोट मुद्रणालय' स्थापित किया। नर्मदा और क्षिप्रा जैसी नदियों से समृद्ध देवास में औद्योगीकरण हेतु भूमि तो सुलभ थी लेकिन पानी की किल्लत थी,जो धीरे- धीरे इक्कीसवीं शताब्दी में दूर हुई। इस कारखाने में उस समय लगभग 3000 कर्मचारी (जिनमें से लगभग 80% स्थानीय और आदिवासी) कार्यरत थे। इसके बाद धीरे-धीरे औद्योगीकरण की बढ़ती गति ने देवास और आस-पास का नक्शा बदल दिया।

देवास की पहाड़ी  पर स्थित मां चामुंडा का ऐतिहासिक मंदिर भी अनूठा था। इसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। मां चामुंडा देवास नरेश की कुल देवी हैं। इसके अतिरिक्त अनेक धार्मिक स्थल यथा शीलनाथ धूनी संस्थान, नारायण कुटी आदि भी हैं।

औद्योगीकरण के साथ देवास साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी समृद्ध है। वर्तमान में चार-पांच लाख जनसंख्या वाले इस नगर में अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं सक्रिय हैं। मालवी कवि (स्व.) श्री मदनमोहन व्यास जी की अनेक मालवी रचनाएं स्थानीय पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त प्रभु जोशी, जीवन सिंह ठाकुर, प्रकाश कांत, डॉ. आलोक रस्तोगी सहित अनेक साहित्यकार बीसवीं सदी के अंतिम दशक तक सक्रिय रहे हैं और देवास को गौरवान्वित करते रहे। भारत सरकार के राजभाषा नियम 1963 के लागू होने पर बैंक नोट मुद्रणालय ने लगातार 2 दशकों तक देवास ही नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। इसके लिए बैंक नोट मुद्रणालय के तत्कालीन सहायक निदेशक (राजभाषा) की सक्रियता सदैव स्मरण रहेगी। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश तिवारी 'जपेश' द्वारा मां चामुण्डा की स्तुति में लिखे गए छन्द मालवांचल की शान है।

संगीत सम्राट उस्ताद रजब अली खान, पद्म विभूषण डॉ. कुमार गंधर्व की अनूठी गायकी ने देवास को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बना दिया। अनूठे वाद्य  यंत्र 'नस तरंग' वादक बशीर खान भी देवास का गौरव हैं।

मालवांचल की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। पं कुमार गंधर्व टी बी का इलाज करवाने हेतु देवास आए और स्वस्थ होकर उन्होंने गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की धाक जमा दी। देवास और मालवा की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के बारे में बींसवीं शताब्दीं के छठे दशक में देवास पधारे अंग्रेज घुमक्कड़ लेखक श्री ई.एम.फॉस्टर ने "ए पैसेज टू इंडिया" तथा "द हिल ऑफ देवी" नामक दोनों पुस्तकों में तत्कालीन स्थितियों का विशद वर्णन किया है। इस समय यह पुस्तकें अप्राप्त हैं।

तत्कालीन (देवास और वर्तमान देवास) में आमूल-चूल परिवर्तन आ चुका है। ग्राम सदृश आदिवासी बहुल जिला देवास में आज सर्व सुविधा युक्त बहुमंजिले  भवन भारत और मध्य प्रदेश की प्रगति की स्वयं सिद्ध गाथा कह रहे हैं। आज भी इस क्षेत्र के रहवासी सहज और सरल हैं। मालवी सत्कार महानगरों के वासियों को बार-बार आमंत्रण देता है। मालवा ने अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा है। होली का पर्व 'धुलेंडी ' और 'रंग पंचमी' के रूप में प्रेम और उत्साह से मनाया जाता है। संझा और 'टेसू' नामक गीत पर्व जो उत्तर भारत से

प्रायः लुप्त हो चुके हैं, अभी भी मालवा में प्रेमपूर्वक मनाए जाते हैं। मोबाइल और टेलीविजन के इस दौर में भी सायंकाल काल के समय इस क्षेत्र के निवासियों को घर से बाहर चौपाल लगाए हुए देखा जा सकता है।

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री राजकुमार चंदन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जो शिक्षक होने के साथ-साथ साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार हैं। विश्व की सबसे लंबी ग़ज़ल का कीर्तिमान श्री चंदनजी के नाम है और पानी पर सबसे बड़ी रंगोली का रिकॉर्ड भी आपके नाम है। अंत में इस ऐतिहासिकता का उल्लेख बहुत आवश्यक है कि 'जनमेजय का नाग यज्ञ' इसी मालवा अर्थात् देवास क्षेत्र में हुआ था। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर नागदा जंक्शन आता है, यही नागदा (नाग दाह) है। देवास नगर की सीमा बालगढ़ पर भी छोटी सी पहाड़ी पर नागदा नामक छोटा सा गांव है। इस पूरे क्षेत्र में आज भी नाग (किंग कोबरा) बहुतायत में पाए जाते हैं। इनके बारे में यहां के निवासियों में अनेक किस्से और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इस क्षेत्र की जमीन काली है। इस क्षेत्र में पहले मूंगफली तदनन्तर सोयाबीन की खेती बहुतायत से की जाती है। यहां का मालवी (पिस्सी) गेहूं, मालवी बाटी और बाफले के लिए प्रसिद्ध है।

डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी
एस.606/607 ,स्कूल ब्लॉक-II,पार्क एंड अपार्टमेंट्स,
मनोकामना मंदिर के पास ,शकरपुर ,नई दिल्ली-110092

**ज्ञान चर्चा - 2**

# परीक्षा का भूत

परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। परीक्षा से कुछ अन्य शब्दपरीक्षा ज्वर (examination fever), परीक्षा का खौफ और परीक्षा का भूत जो वर्षों के बाद भी नींद में सताता है और नींद खुल जाती है और अब ,जब कि परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है, विद्यार्थियों में घबराहट का होना स्वाभाविक है। परीक्षा भवन का माहौल भी नर्वस (nervous) करने वाला होता है । कहा जाता है कि उसी प्रश्नपत्र को घर के शांतिपूर्ण परिवेश में विद्यार्थियों को हल करने को कहा जाए तो वे कहीं अच्छा करेंगे ।

बिल्कुल प्रात: उठकर पढ़ने का रिवाज एक प्रकार से समाप्त हो गया है। अतः विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी देर रात तक जगकर करते हैं | कुछ लोग तो परीक्षा से एक दिन पहले पूरी रात तक जागकर तैयारी करते हैं। परिणाम यह होता है कि जब वे परीक्षा भवन में प्रवेश करते हैं तो उनकी नींद पूरी न होने के कारण दिमाग पर एक प्रकार का बोझ होता है। इस कारण वे तरोताजा नहीं महसूस करते । वैसे भी कहा जाता है कि जब तक कि बहुत आवश्यक न हो परीक्षा के कुछ दिन पहले नया नहीं पढ़ना चाहिए और जो कुछ पढ़ा गया है उसकी पुनरावृत्ति ( revision ) ही की जानी चाहिए ताकि दिमाग पर अनावश्क बोझ न पड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रात पूरी नींद ली जानी चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशील झा का कहना है कि जो कुछ पढ़ा गया है उसके प्रतिधारण (retain) करने में नींद की अहम भूमिका है। उन्होंने अपने अनुसंधान द्वारा यह स्थापित किया है कि अधिगम ( learning ) के दौरान निद्रा के प्रतिरूप ( sleeping pattern ) में भी परिवर्तन होता है । कहा जाता है कि यदि आपने कुछ नया सीखा है या प्रशिक्षण लिया है तो उस रात आप कुछ अधिक सोएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि स्मृति के समेकन(consolidation) के लिए पर्याप्त निद्रा आवश्यक है। निद्रा से मस्तिष्क की प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी सक्रियित होती है जिससे स्मृति के समेकन में सहायता मिलती है। इतना ही नहीं निद्रा से मस्तिष्क का विकास भी होता है। इसी कारण शिशु बहुत अधिक सोते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क विकासशील अवस्था में होता है । डॉ. झा ने अपने अनुसंधान में यह दर्शाया कि यदि चूहों को न सोने दिया जाए तो सामान्य नींद लेने वाले चूहों की तुलना में उनकी अधिगम क्षमता ( learning capacity) में कमी आ जाती है।

नोटरे डैम (Netre dam ) विश्वविद्यालय के आधुनिक अनुसंधानों में कहा गया है कि सीखने या पढ़ने के बाद समय से सोना, पढ़ी गई सामग्री की पुनरावृत्ति के लिए बहुत लाभप्रद होता है।

यदि कोई व्यक्ति तनाव में हो तो स्मरण शक्ति की पुनरावृत्ति - क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और पूरी या अधूरी नींद न लेने का दीर्घकालिक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति उच्चरक्त दाब ( hypertension ) ,मधुमेह और मोटापे के शिकार हो सकते हैं | ये सब अवस्थाएं परस्पर संबद्ध हैं ।

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षा कोई भी हो परंतु व्यक्ति को परीक्षा से पहले की रात्रि को सामान्य नींद लेनी चाहिए तभी आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। परीक्षा की चिंता व तनाव के

कारण निद्रा बाधित हो सकती है। फिर भी नींद के लिए प्रयास करना चाहिए | यदा कदा की बात अलग है ,परंतु निद्रा मनुष्य की एक प्राथमिक आवश्यकता है।

सतीश चन्द्र सक्सेना

बी.बी. 35F,जनकपुरी ,नई
दिल्ली-110058

## पत्रिकाएँ (त्रैमासिक) / Journals (Quaterly)

1- विज्ञान गरिमा सिंधु / Vigyan Garima Sindhu – Sciences, Applied Sciences and Technology

2- ज्ञान गरिमा सिंधु / gyan Garima Sindhu – Humanities and Social Sciences

## सदस्यता शुल्क (उपर्युक्त दोनों के लिए) / Persons / Instututions:

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रति अंक व्यक्तियों/ संस्थानों के लिए<br>**Per Issue- For Individual / Institutions** | रु. 14.00<br>Rs. 14.00 | पौंड 1.64<br>£ 1.64 | डालर 4.84<br>$ 04.48 |
| वार्षिक चंदा<br>**Annual Subscription** | रु. 50.00<br>Rs. 50.00 | पौंड 5.83<br>£ 5.83 | डालर 18.00<br>$ 18.00 |
| प्रति अंक विद्यार्थियों के लिए<br>**Per Issue – For Students** | रु. 8.00<br>Rs. 08.00 | पौंड 0.93<br>£ 0.93 | डालर 10.80<br>$ 10.80 |
| वार्षिक चंदा<br>**Annual Subscription** | रु. 30.00<br>Rs. 30.00 | पौंड 3.50<br>£ 3.50 | डालर 2.88<br>$ 2.88 |

## बिक्री संबंधी नियम / Rules Regarding Sales

1- आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध होंगे।

The Publications of the Commission are available at the sale counter of the Commission and at the sale counters of Department of Publication, Government of India.

2- सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25% की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75% तक भी छूट जाती है।

A rebate of 25% available on the purchase of all the publications of the Commission. Rebate upto 75% is given on a few old publications.

3- सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी की जाती है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman,

CSTT, New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं हैं। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं। लेकीन सरकारी संस्थानों, केन्द्रीय उपक्रमों और विश्वविद्यालयों को आदेश प्राप्त होने पर शीघ्र ही भेज दी जाएंगी, परन्तु इनका भुगतान एक माह के अंदर करना होगा।

An invoice is issued by the Commission on the receipt of all types of purchase orders, Bank draft or moey order for the requisite amount should be drawn in favour of the Chairman, CSTT, New Delhi. Cheques are not acceptable. The books are sent only after the receipt of requisite amount but in case of Universities, Government institutions and Government of India Undertaking, the books will be dispatched immediately after receiving the demand of books, for which the payment will have to make within a month.

4- चार किलोग्राम वजन तक सभी पुस्तकें सामान्य डाक / अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैंकिग तथा फॉरवर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।

All books weighing upto 4Kg. are sent by ordinary dak/unregistered parcel. No packing and for warding charge is levied on sending these books.

5- चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जा सकती है तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन- व्ययों का भुगतान मांगकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

All books weighing more than 4 Kgs. are sent by road transport and the payment of transport charges on it are to be met by the indentor>

6- पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान मांगकर्ता को ही करना होगा।

After sending the books by the road, transport, the original receipt (Bill T) is immediately sent by the Commission to the indentor by registered Post. However, if the books are not got released from the transport office within the stipulated period, all the extra-charges to be levied on it are to be met by the indentor.

7- रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके पुस्तकें ले जा सकते है।

Minimum weighing charge is levied for books sent by road transport that varies based on distance. The concerned institution may also directly Purchase books by making necessary payment to the Sales Unit of the Commission.

8- दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं है। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होगीं।

It will not be possible to supply books by post against the orders received from Delhi and its nearby area. The concerned institution will have to get the books from the Sale Unit of the Commission by making necessary payment.

9- पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह के नुकसान का दायित्व आयोग पर नहीं होगा।

All care is taken to ensure that the books are properly packed and sent to the indentor in a good condition. The books are sent by ordinary dak/un-registered parcle/road transport. The Commission will not be held responsible for any damage/loss in the transit.

10- सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकें वापस नहीं होंगी। यदि क्रय राशि का समायोजन-आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में पुस्तकें ही दी जाएंगी।

Generally, after issuance of the bill, neither change is allowed in the purchase order nor books are taken back. If need arises to adjust the amount, money will not be returned. However Only books will be supplied against the said amount.

# ग्राहक फार्म

सेवा में :
अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066

महोदय,

कृपया मुझे "ज्ञान गरिमा सिंधु" (त्रैमासिक पत्रिका) का एक वर्ष /पाँच वर्ष के लिए ..... से ग्राहक बना लीजिए। मैं पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क ..... रुपये, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में, नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंक में देय डिमांड ड्राफ्ट सं. ..... दिनांक ..... द्वारा भेज रहा/रही हूं। कृपया पावती भिजवाएं।

नाम.....

पूरा .....

.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

| | सामान्य ग्राहकों / संस्थाओं के लिए | विद्यार्थियों के लिए |
|---|---|---|
| प्रति अंक | **रु. 14-00** | **रु. 8-00** |
| वार्षिक चंदा | **रु. 50-00** | **रु. 30-00** |
| पाँच व | **रु. 250-00** | **रु. 150-00** |
| दस वर्ष | **रु. 500-00** | **रु. 300-00** |
| बीस वर्ष | **रु. 1000-00** | **रु. 600-00** |

डिमांड ड्राफ्ट "अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, के पक्ष में नई दिल्ली स्थित अनुसूचित बैंक में देय होना चाहिए। कृपया ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम पूरा पता भी लिखें। ड्राफ्ट 'एकांउट पेई' होना चाहिए। यदि ग्राहक विद्यार्थी हैतो कृपया निम्न प्रमाणपत्र- भी संलग्न करे :

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखें

## विद्यार्थी-ग्राहक प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारीश्री/श्रीमती/ .....
इस विद्यालय/ महाविद्यालयविश्व/विद्यालय के .....
विभाग का छात्रकी/ छात्रा है।

(हस्ताक्षर)
(प्राचार्य/विभागाध्यक्ष)
(मोहर)

# प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र
# Sales Counters of Department of Publication

| | | |
|---|---|---|
| 1 | किताब महल<br>प्रकाशन विभाग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग,<br>स्टेट एम्पोरियम बिल्डिंग, यूनिट नं. 21,<br>नई दिल्ली-110001 | **Kitab Mahal**<br>Department of Publication,<br>Baba Kharag Sigh Marg,<br>State Emporia Building,<br>Unit No.-21, New Delhi-110001 |
| 2 | बिक्री पटल<br>प्रकाशन विभाग,<br>उद्योग भवन, गेट न.-3,<br>नई दिल्ली-110001 | **Sale Counter**<br>Department of Publication,<br>Udyog Bhawan,<br>Gate No.-3,<br>New Delhi-110001 |
| 3 | बिक्री पटल<br>प्रकाशन विभाग,<br>लोयर्स चैंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय, गेट न.-3,<br>नई दिल्ली-110001 | **Sale Counter**<br>Department of Publication,<br>Lawyers Chambers,<br>Delhi Highcourt,<br>New Delhi-110001 |
| 4 | बिक्री पटल<br>प्रकाशन विभाग,<br>संघ लोक सेवा आयोग,<br>धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110001 | **Sale Counter**<br>Department of Publication,<br>Union Public Service Commissions,<br>Dholpur House,<br>New Delhi-110001 |
| 5 | बिक्री पटल<br>प्रकाशन विभाग,<br>सी.जी.ओ.काम्पलेक्स,<br>न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई-400020 | **Sale Counter**<br>Department of Publication,<br>C.G.O. Complex,<br>New Marine Lines,<br>Mumbai-400020 |
| 6 | पुस्तक डिपो<br>प्रकाशन विभाग,<br>के.एस.राय मार्ग,<br>कोलकाता-700001 | **Pustak Depot,**<br>Department of Publication,<br>K. S. Roy Marg,<br>Kolkata-700001 |

## आयोग का बिक्री केंद्र
## Sales Counter of CSTT

| | |
|---|---|
| वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग<br>शिक्षा मंत्रालय<br>पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066. | **Commission for Scientific and Technical Terminology**<br>**Ministry** of Education<br>**West Block-VII, R. K. Puram,**<br>**New Delhi-110066** |

## अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
## For detailed information please contact:

| | |
|---|---|
| प्रभारी अधिकारी (बिक्री)<br>वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग<br>शिक्षा मंत्रालय<br>पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,<br>नई दिल्ली-110066<br>फोन नं.-01126105211/विस्तार-246 | **The Officer-in-Charge (Sales)**<br>Commission for Scientific and<br>Technical Terminology<br>Ministry of Education<br>West Block-VII, R. K. Puram,<br>New Delhi-110066<br>Ph. No.-011-26105211/ Extn.-246 |

*****

© भारत सरकार
Government of India

ISSN : 2321-0443
UGC care List Journal

**वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग**
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, सेक्टर-1
नई दिल्ली-110066
दूरभाष: +91-11-26105211
वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in

**COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY**
**MINISTRY OF EDUCATION**
**(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**
West Block-7, Ramakrishnapuram, Sector-1
New Delhi-110066
Telephone : +91-11-26105211
Website : www.cstt.education.gov.in